Page No. 1

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क २ ] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ७६ वां दिवस [ संख्या ४०



शुक्रवार, दिनांक ५ अप्रैल, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 8·05 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

(शिक्षा, विद्युत, नियुक्त, कृषि, पशुपालन, सहकारी, पर्यटन व उद्योग विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

प्रश्न संख्या 1127

श्री दौलतराम सारण

(अनुपस्थित, कृपाया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 1128

श्री शम्भूराम पेटल

(अनुपस्थित, कृपा आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 1129

रावजी श्री रूपसिंह

(अनुपस्थित, कृपाया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न संख्या ईलैवन थ्री जीरो।

श्री अध्यक्ष : Why do you break the tradition.

### पाली में विद्युत व्यवस्था

1130. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) चम्बल की बिजली पाली कस्बे व तहसील को कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

(2) क्या यह सत्य है कि अभी तक भीलवाड़ा से पाली तक की लाइन भी पूरी नहीं खिच पाई है ? और हां, तो यह कब तक पूरी होगी ?

(3) पाली शहर में कितनी मात्रा में बिजली की आवश्यकता है ?

(4) क्या यह सत्य है कि पाली में जो डीजल के सेट हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं हो सकती है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या इन्तजाम करने का विचार रखती है ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, विद्युत (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) दिसम्बर, 68 तक मिलने की सम्भावना है।

(2) जी हां, दिसम्बर, 68 तक।

(3) पाली शहर में लगभग 400 कि० वाट् लोड की आवश्यकता है।

# Page No. 2



(4) पाली को जोधपुर से बिजली मिल रही है न कि वहां के डीजल इंजनों से।

श्री मूलचन्द डागा : मे बताऊं कि पाली में 4 साल से रोज बिजली ब्रेक होती है और रोज बिना बिजली के रहते हैं। दीवाली में बिजली के बिना रहे। मैं आशा करूंगा कि सरकार यह व्यवस्था करेगी कि ताकि बिजली पूरी तरह मिल सके ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : चम्बल से बिजली जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अन्य प्रश्न, श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है कि आज सवारी का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है और बहुत सारे माननीय सदस्य नहीं आये हैं....

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। स्थान गृहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, सवारी का प्रबंध नहीं हुआ........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न नियमों के अन्तर्गत होता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, आप सड़क की बात पर भी व्यवस्था का प्रश्न उठा देते हैं।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ इनफार्मेशन है।

श्री अध्यक्ष : This can be right point of information.

मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर दें।

## व्यापारियों का चालान न करने से काश्तकारों को नुकसान

1131. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस आशय का आदेश प्रसारित किया है कि मंडी कमेटी द्वारा किसी मंडी कमेटी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यापारी के दोषी पाये जाने पर भी उसका चालान कोर्ट में नहीं किया जा सकेगा ? यदि हां, तो आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस आदेश के कारण काश्तकारों को अत्यधिक नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस आदेश को वापिस लेने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : (1) जी हां, आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 1 देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य : सूची सदन की मेज पर नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : अभी मालूम कर देता हूं। जितने और दूसरे पूरक प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : कमीशन एजेन्ट्स को चालान नहीं करने के आदेश जो दिये उसके आधार क्या हैं ?

# Page No. 3



श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, परसों भी इस संबंध में मैं वक्तव्य दे चुका हूँ। बहुत जल्द जो चालान नहीं करने के आदेश दिये थे उनको वापिस लिया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह आदेश किस आधार पर दिये थे ?

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी अर्ज किया कि 25 के करीब हाई कोर्ट से इस प्रकार के आदेश प्राप्त हुए थे मुख्तलिफ मण्डियों के बारे में और वह जजमेन्ट एक तरीके से जजमेन्ट इन पोरसोनम था, जजमेन्ट इन रेम नहीं था। इसलिए यह मुनासिब समझा कि इस प्रकार के आधार के जितने केसेज हैं अगर वह स्थगित कर दिये जाते हैं, नाहर कमेटी की रिपोर्ट आने तक इसलिए वह आदेश जारी किये गये। लेकिन अभी जैसे मैंने परसों अर्ज किया कि 8-7 रोज पहले चेयरमैन जो नाहर कमेटी के हैं श्री यशवंतसिंह जी नाहर उन्होंने यह लिखा कि चालान नहीं करने के आदेश हैं इनको वापिस कर लिया जाता है तो कमेटी के लिए आपत्ति नहीं होगी और इसी आधार पर फिर गवर्नमेन्ट फैसला कर रही है कि जो पहले आदेश दिये गये थे चालान नहीं करने के उनको वापिस लेने का जल्दी से जल्दी निर्णय कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि इस आदेश से कृषि मण्डियों को बहुत नुकसान है ?

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं कि 25 जगह पर जहां हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिये वहां पर जो मण्डियां चलती थीं वहां पर कोई इसका असर नहीं पड़ा। मैंने पहले भी कहा कि 41 के करीब मण्डियां ऐसी थीं। बावजूद इसके कि चालान नहीं करने के आदेश दिये वह बदस्तूर काम कर रही हैं। सिर्फ 6 मण्डियों का यह काम चालान होने की बात थी बाकी 17 के करीब ऐसी थीं कि जो प्रारम्भिक अवस्था में थीं। बाकी 25 के लिए स्थगन आदेश दे दिये बाकी 6 मण्डियों का सवाल था।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, अभी अनाज मण्डियों में आना शुरू हो गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने दिनों में यह फैसला हो जायेगा ? अनाज मंडियों में आना शुरू हो गया है बिकने के लिए काश्तकारों का। यह जो पाबन्दी है वह कितने दिनों में उठा ली जायगी ?

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये गये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : नाहर कमेटी की रिपोर्ट आ गई है क्या ?

श्री शोभाराम : अभी नहीं आई है।

श्री मूलचन्द डागा : नाहर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है तो सरकार इसको बिदड़ा क्यों करना चाहती है ?

श्री पृथ्वीसिंह (बालो) : क्या यह आदेश सभी कृषि-उपज मंडियों पर बाइंडिंग हैं ?

श्री शोभाराम : यह कानूनी मसला है। मैंने आपको अर्ज किया है कि इसे कानून विभाग को रेफर किया है। तो उसकी शकल कानूनी है कि उनको अधिकार था कि नहीं। मैं समझता हूं कि इसको जांच कराना इसलिए भी मुनासिब नहीं समझता हूँ कि 7-8 रोज के अन्दर इस प्रकार के आदेश को वापिस लेना है तो कोई महत्व नहीं रखता है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आॅर्डर, आॅर्डर! माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम !

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक

1132. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अनट्रेन्ड अध्यापक लगे हुये हैं ? यदि हां, तो क्या ट्रेन्ड अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं ?

(2) क्या सरकार ने ऐसा कोई आदेश दे रखा है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में ट्रेन्ड अध्यापक ही लगाये जायें ? यदि हां, तो इस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ और आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता देने की शर्तों में यह भी शर्त है कि ट्रेन्ड अध्यापक को ही नियुक्त करें ? यदि हां, तो इस शर्त का पालन किये बिना ही उक्त स्कूलों को सहायता क्यों दी गई है ?

(4) क्या सरकार इस स्थिति में है कि मौजूदा उक्त स्कूलों में अनट्रेन्ड अध्यापक हैं उनके स्थान पर ट्रेन्ड अध्यापक जो बिना सर्विस को बैठे हैं उनको लगा सकें ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) विभाग की जानकारी के अनुसार सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में अनट्रेन्ड अध्यापक लगे हुए हैं। जिसके कारण ये है कि अनेक स्थानों पर ट्रेन्ड अध्यापक उपलब्ध नहीं होते है या वे सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्य नहीं करना चाहते हैं।

(2) विभाग के ऐसे स्पष्ट आदेश जा चुके हैं कि जिसकी प्रति साथ संलग्न है।

(3) अनुदान नियमों में परिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त करने का प्रावधान था किन्तु कठिनाइयों की वजह से पुराने अप्रशिक्षित अध्यापकों जारी रखने की छूट दे दी गई है।

(4) विभागीय आदेशों के अन्तर्गत दिसम्बर, 1965 से पूर्व के अध्यापकों को जो व्यवस्थापकों द्वारा संस्था में स्थाई कर दिये गये हैं, उन्हें हटाना न्यायोचित नहीं है, किन्तु उक्त तिथि के बाद जितनी की नियुक्तियां हैं उस पर परिशिक्षा अध्यापकों की नियुक्त करने के लिए विभाग संस्थाओं पर दबाव डालता है तथा अनुदान हेतु मान्य करने में इस क्रिया कठोरता बरतता है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि 65 के बाद में जो अस्थाई नियुक्तयां होती हैं हर साल उसमें अनट्रेन्ड अध्यापक ज्यादा लगाये जाते हैं। सहायता-प्राप्त स्कूलों में ?

श्री शिवचरण माथुर : क्या ?

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने बताया कि 65 से लगे हुए हैं उनको स्थाई कर दिया है, तो 65 के बाद में हर साल अस्थाई तौर पर जो लगाये जाते हैं वे ज्यादातर अनट्रेन्ड अध्यापक लगाये जाते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : ज्यादातर नहीं लगाये जाते हैं, लेकिन जहां पर कोई संस्था ट्रेन्ड टीचर की अनएवेलिबिलिटी सर्टिफिकेट पेश कर देती है तो उसको इजाजत दे दी जाती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : थोड़े दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में आपने बताया था कि 5–7 हजार ट्रेन्ड अध्यापक बेकार बैठे हैं तो नॉन-एवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे पेश कर देते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : इसलिए कह रहा हूं कि सवाल ही नहीं उठता है कि अनट्रेन्ड अध्यापकों को लगायें।

श्री हरजीराम बुरड़क : कैसे ?

श्री शिवचरण माथुर : उसमें दो तरह के ट्रेन्ड अध्यापक हैं। एक तो बी० ए० के बाद ट्रेन्ड होते हैं तो उन अध्यापकों की कमी है। एस० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापकों की जो पोजीशन राजस्थान में है वह यह है कि 5–7 हजार व्यक्तियों को काम पर लगाना है। लेकिन बी० एड० ट्रेन्ड अध्यापकों की कमी महसूस की जाती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : एस०टी०सी० ट्रेन्ड अध्यापकों के स्तर के अध्यापकों पर नियुक्तियां अन ट्रेन्ड अध्यापकों की की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : अन्य प्रश्न।

प्रश्न संख्या 1133 :

श्री दीपचन्द छंगाणी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केसरीसिंह हाड़ा

## बूंदी उच्च महाविद्यालय में यूनिवर्सिटी कोर्स की कक्षाऐं

1134. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी उच्च महाविद्यालय में क्या युनिवर्सिटी कोर्स की कक्षायें बन्द कर दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों और कब ?

(2) क्या यह सही है कि इसके कारण जो छात्र सेकन्डरी से निकले हैं उनके दाखिले में बड़ी परेशानी हो रही है ?

(3) क्या सरकार छात्रों की परेशानी के व बाहर जाकर पढ़ने के खर्चे को देखते हुए इस पर पुन: विचार करेगी ?

(4) क्या पी० यू० सी० कक्षाएं सारे राजस्थान से ही हटा दी गई हैं ?

शिक्षामंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) बूंदी महाविद्यालय से केवल, प्री०-युनिवर्सिटी वाणिज्य की कक्षाएं छात्रों की कमी होने की वजह से इस सत्र से हटाई गई हैं। प्रि-युनिवर्सिटी कला व विज्ञान की कक्षाएं चल रही हैं ?

(2) जो छात्र सेकन्ड्री से निकले हैं उनको दाखले में कोई परेशानी नहीं हुई है। क्योंकि कुछ छात्र-छात्राएं इस कालेज में प्रि–युनिवर्सिटी कला तथा विज्ञान में प्रवेश पा सके है और शेष हायर सेकन्ड्री स्कूल में। प्रि-युनिवर्सिटी वाणिज्य की कक्षाएं कालेज में बन्द करने से भी कठिनाई नहीं

# Page No. 6



हुई है, क्योंकि वाणिज्य के छात्रों को भी हायर सेकन्ड्री में प्रवेश मिल गया है।

(3) प्रवेश के समय जितने भी विद्यार्थी कालेज में उपस्थित हुए उन्हें उक्त कक्षाओं में प्रवेश दे दिया गया था जो कि नियम में आते थे। अतः छात्रों को परेशानी व बाहर जाकर पढ़ने के खर्च के सम्बन्ध में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) पी० यू० सी० कक्षाएं केवल उन्हीं महाविद्यालयों से हटाई गई हैं जहां पर छात्रों की संख्या बहुत ही कम थीं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : क्या यह सही नहीं है कि इस सत्र के शुरू होने के पूर्व प्रि-युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को उसके अन्दर लेने के लिए काफी अर्से तक चक्कर खाने पड़े थे भर्ती होने के लिए। और प्रवेश छात्रों को 2-4 महीनों तक नहीं मिला ?

श्री शिवचरण माथुर : कॉमर्स क्लासेज में छात्रों की संख्या कम थी इसलिए पी० यू० सी० क्लास को तोड़ दिया गया व उनका दाखला हायर सेकन्ड्री स्कूल में करा दिया गया था इसलिए कठिनाई का सामना करना पड़ा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ।

श्री केसरी सिंह हाड़ा : बाद के अन्दर दाखला हुआ तो काफी परेशानी रही। 2-3 महीने तक घूमते रहे थे और यह निर्णय सरकार नहीं कर सकी कि प्रि-युनिवर्सिटी और ज्यादा नहीं रखेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी जो मुझे दी गई थी वह यह कि जितने विद्यार्थी दाखलों के लिए आये थे उनको दाखले दे दिये गये थे। कोई कठिनाई उनके सामने नहीं आई।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : दाखले दिये वे दो महिनों के बाद दिये गये।

श्री अध्यक्ष : अन्य प्रश्न।

प्रश्न संख्या 1135

श्री सुमेरसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 1136

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 1137

श्री शंकरलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 1138

श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री फतेहसिंह।

## कृषि उपज मंडी अधिनियम

1139. श्री फ़तेहसिंह (ब्यावर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कृषि उपज मण्डी अधिनियम राजस्थान में लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह अधिनियम केवल चुनी हुई मंडियों पर ही लागू किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों की मंडियों पर लागू किया गया है ।

(3) क्या इस वर्ष इस अधिनियम को राजस्थान उच्चन्यायालय में चुनौती दी गई है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा ऐसा किया गया ?

(4) क्या किशनगढ़, अलवर एवं ब्यावर के कुछ व्यक्तियों द्वारा रिट करने पर राजस्थान उच्च-न्यायालय द्वारा अस्थाई स्थगन (स्टे ऑर्डर) के आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

(5) क्या यह बात सही है कि अलवर व किशनगढ़ के कुछ नागरिकों की प्रार्थना पर राज्य सरकार ने किशनगढ व अलवर कृषि उपज मण्डी समितियां व उनके पदाधिकारियों को किशनगढ व अलवर के समान व्यापारियों के विरूद्ध कृषि उपज मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही न करने आदेश निकाल दिये हैं ?

(6) क्या ब्यावर के नागरिकों के एक प्रतिनिधि मण्डल की इसी प्रकार की प्रार्थना को राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया है ? क्या राज्य सरकार ब्यावर की कृषि उपज मण्डी समिति को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यापारी के विरूद्ध कार्यवाही न करने के आदेश जारी करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : (1) जी हां, यह अधिनियम जनवरी, 1964 में लागू कर दिया गया था ।

(2) यह अधिनियम राजस्थान में अनाज के समस्त प्रमुख संग्रहण केन्द्रों पर लागू कर दिया गया है । सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(3) जी हां, इस वर्ष कुछ व्यापारियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिकाएं प्रस्तुत की हैं । सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(4) जी हां ।

(5) जी नहीं ।

(6) जी नहीं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट ।

श्री फतेहसिंह : माननीय अध्यक्ष जो प्रश्न के खण्ड (5) में उत्तर दिया गया है मैं उसकी चुनौती देता हूं । यह बात सही है कि किशनगढ़ और अलवर के व्यापारियों की प्रार्थना पर आपने पहले यह आदेश जारी किया था कि कृषि उपज मण्डियों के कानून के अन्तर्गत किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जायगी, लेकिन जब ब्यावर के लोग आपसे मिले तो क्या आपने पहली बार उनको यह कहा था कि इस प्रकार का आदेश ब्यावर के सम्बन्ध में जारी नहीं करेंगे । यह मुझे पुख्ता इस बात की सूचना मिली है ।

श्री शोभाराम : मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि भाग (4) में आपने यह पूछा था कि "क्या किशनगढ़, अलवर एवं ब्यावर के कुछ व्यक्तियों द्वारा रिट करने पर

(श्री शोभाराम)

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अस्थाई स्थगन (टेम्प्रेरी स्टे आॅर्डर) के आदेश जारी कर दिये गये हैं ?' इस बात पर यह जो उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो यह सवाल आता है कि ब्यावर के सम्बन्ध में गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार के आॅर्डर्स जारी नहीं किये गये, बल्कि एक आम आॅर्डर जारी किया गया। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि जब तक नाहर कमेटी अपना फैसला नहीं देती है तब तक किसी प्रकार के चालान नहीं किये जायं। उससे वह कवर होता था। मैं समझता हूं कि कोई उसका........

श्री फतेहसिंह : ब्यावर के लोगों से यह कहा है कि जितने भी कानून के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं उनको चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय में जाय। क्या ऐसा उनको नहीं कहा गया था ?

श्री शोभाराम : मैंने पहले अर्ज किया कि हाई कोर्ट से जो स्टे आॅर्डर आता है वह जजमेंट इन परसोनम है और जजमेंट इन रेम नहीं है। एक आदमी किसी प्रकार का स्टे आॅर्डर किसी तथ्य पर ले आता है तो वह अस्थाई तौर से जब तक दूसरा व्यक्ति हाईकोर्ट में नहीं जाता है उस पर लागू नहीं होता है। यह मैंने कहा था।

श्री फतेहसिंह : कानूनी स्थिति यह है, वह ठीक है, वह बात सही है लेकिन मैं यह कहता हूं कि जब किशनगढ़ और अलवर के सम्बन्ध में एक सामूहिक आॅर्डर जारी कर दिया गया था कृषि उपज मण्डियों के सम्बन्ध में कि वहां पर किसी व्यक्ति के खिलाफ चालान नहीं किया जाय, तो इस प्रकार के आदेश ब्यावर के लिए क्यों नहीं लागू किये गये ?

श्री शोभाराम : मैंने अर्ज किया कि यह जो हाईकोर्ट में गये थे, किशनगढ़ और अलवर के व्यापारी हाईकोर्ट में जाकर कोई स्टे आॅर्डर्स ले आये थे, ब्यावर का एक आदमी जाकर स्टे आॅर्डर ले आया लेकिन जब किसी स्टे आॅर्डर चाहिए तो सब हाई-कोर्ट में जाय।

श्री फतेहसिंह : जो व्यापारी स्टे आॅर्डर लाया था तो वह लागू नहीं होता है और आम तौर से इस प्रकार से और व्यापारियों पर लागू हो जाय यह कोई कानूनी ढंग की बात नहीं है।

श्री शोभाराम : किन्हीं व्यापारियों के मामले आये तो एक जनरल आॅर्डर पास किया कि जब तक नाहर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक इसका चालान नहीं किया जाय।

श्री फतेहसिंह : ब्यावर में भी यह आॅर्डर लागू है ? इस प्रकार का आॅर्डर जब तक ब्यावर में लागू न हो तब तक किसी का चालान नहीं किया जाय, इस प्रकार का इश्यू किया है ?

श्री शोभाराम : यह पूरे राजस्थान की मंडियों के लिए लागू है।

श्री नत्थीसिंह : आपने जो आदेश दिये हैं क्या इनको सही समझते हैं कि बिना हाई कोर्ट के आॅर्डर आये चालान नहीं किया जाय ? इसको सही-सही समझते हैं ?

# Page No. 9



श्री शोभाराम : इसका जवाब परसों दे चुका हूं ।

प्रश्न संख्या 1140

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द्र बाफना ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 1141

श्री कृष्णकुमार गोयल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 1142

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 1143

श्री विजयसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 1144

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 1145

श्री रावतराम ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ ।

## गंगानगर जिले में बाजरे की पैदावार

1146 श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) इस वर्ष गंगानगर जिले में उन्नत बाजरे का बीज कितना-कितना दिया गया ? उसकी काश्त कितनी थी और उससे कितनी पैदावार हुई ?

(2) कुल मिलाकर गंगानगर नहरी क्षेत्र में और बरानी क्षेत्र में कितना बाजरा काश्त किया गया और उससे पैदावार क्या हुई और सरकार ने कितनी लेवी वसूल की या की जाने वाली ।

उपमन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) 253 क्विंटल शंकर बाजरे का बीज वितरण किया गया । लगभग 25300 एकड़ भूमि में उसकी खेती की गई । प्रति एकड़ पैदावार कम से कम 6 क्विंटल व अधिक 16 क्विंटल हुई है ।

(2) गंगानगर जिले कि कुल नहरी तथा बारानी क्षेत्र में बाजरा की 2,14,182 एकड़ भूमि में खेती की गई जिसमें 88375 एकड़ सिंचित क्षेत्र था व 1,25,808 एकड़ क्षेत्र बारानी था । सिंचित क्षेत्र में देशी बाजरा की पैदावार 3 क्विंटल प्रति एकड़ एवं असिंचित क्षेत्र में औसत 1-25 क्विंटल रही । कुल मिलाकर गंगानगर नहरी और बारानी क्षेत्र में बाजरे की 7,662 क्विंटल लेवी वसूल हुई ।

श्री केदारनाथ : शंकर बाजरे का बीज आपने बांटा, क्या यह सही है कि आँल इण्डिया सीड कार्पोरेशन से एप्रूव्ड था ?

श्री हरिसिंह : जी हां । जो सीड वितरित किया जाता है, सबसे पहले वह जो सीड होता है वह एन. एस. सी. से एप्रूव होता है, तब वितरित किया जाता है । जो वितरित किया जाता है वह एन एस. सी. के डाइरेक्शन से होता है ।

श्री केदारनाथ : राजस्थान सरकार ने किन-किन प्राइवेट एजेंसी को शंकर बाजरे का बीज बांटने के लिए इजाजत दी ?

श्री हरिसिंह : यह सूचना विस्तृत मांगी है, स्पेसिफिक के लिए इस प्रश्न में संकेत नहीं दिया है । आप यह जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं इसको सूचना दे सकता हूं अगर आप अलग से प्रश्न करें ।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि इस वर्ष प्रति एकड़ शंकर बाजरे की पैदावार कम हुई है ?

श्री हरिसिंह : मेरा निवेदन यह है कि इर्रीगेटेड के अन्दर 6 क्विंटल से लगा कर 16 क्विंटल तक एवरेज पैदावार हुई है । जो एवरेज एकड़ पैदावार कम हुई है वह बारानी क्षेत्र के अन्दर हुई है, वहां सवा क्विंटल तक हुई है । इससे आप कम्पेअर कर सकते हैं । मैं कह सकता हूं कि इर्रीगेटेड में जितनी ईल्ड होनी चाहिए वह नहीं हुई हैं वह दूसरे कारणों की वजह से है । जो जुलाई महीने से अगस्त तक हो जानी चाहिए सिंचाई वह अगस्त के पहले वीक से लगा कर लॉस्ट वीक तक हुई है । इसके बावजूद जो रैन फाल हुआ है वह कन्टीनुअस होने की वजह से क्राप्स की इनीसियल स्टेज के अन्दर हाई ब्रीड का रिजल्ट एक्जीबिट नहीं हो सका ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या यह सही है कि घटिया बीज होने के कारण शंकर बाजरे की पैदावार ठीक नहीं हुई ?

श्री हरिसिंह : घटिया बीज का सवाल नहीं है । जो बीज कल्टीवेटर का अवेलेबल होना चाहिए वह अवेलेबल था ।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि किसानों की तरफ से इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई कि बीज घटिया था । अबो की बार शंकर बाजरे का बीज कोई लेने को तैयार नहीं होगा ।

श्री हरिसिंह : मैंने निवेदन किया कि एक शिकायत आपके क्षेत्र से आई थी, अलवर से आई थी, वहां पर सीड डवलपमेंट आफिसर पहुंचा और उसने रिपोर्ट दी । उसको देखने का कष्ट करें तो मालूम हो जायगा कि ट्रबल क्या थी । बीज की वजह से ईल्ड कम नहीं हुई । इसमें जो फैक्टर आपको निवेदन किये उनकी वजह से हुई । इसमें कन्टीन्युअल बारिश भी है ।

प्रश्न संख्या 1147

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा :

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : यह प्रश्न का उत्तर दिया है, यह सही नहीं है । बाजरे बीज कन्डम दिया गया है, इससे काश्तकारों को नुकसान हुआ है । इसके बारे में शिकायत कीं, इसके बारे में बताये कि क्या किया ? सारा इल्जाम किसानों के ऊपर लगाया जा रहा है । यह काश्तकारों को

# Page No. 11



(श्री रामचन्द्र आर्य)

गलती है जिससे बाजरे का उत्पादन कम हुआ है। यह सही नहीं है।

**श्री अध्यक्ष :** अगला प्रश्न।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** जो शिकायत इस बारे में की गई हैं उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री अध्यक्ष :** श्री हीरा भाई।

**श्री हीराभाई :** 1148।

**श्री विजयसिंह (मकराना) :** क्या मंत्री महोदय ने शंकर बाजरे को देखा है, और क्या खाया है, यदि खाया है तो उसका टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है ?

**श्री अध्यक्ष :** No No दोनों का उत्तर।

**श्री मूलचन्द डागा (पाली) :** उसमें एक्सपर्ट हैं।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** क्या यह सही है.......

**श्री अध्यक्ष :** मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है.......

**श्री रामचन्द्र आर्य :** जो शिकायत की गई है, क्या उस शिकायत पर ... ...

**श्री अध्यक्ष :** अब स्थान ग्रहण कर लें।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** कोई कार्यवाही की गई है, काश्तकारों को हजारों रुपयों का नुकसान हुआ है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री हीरा भाई।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** इसका उत्तर आना चाहिए।

## जिला बांसवाड़ा में रबी की फसल के लिए बीज की व्यवस्था

1148. **श्री हीरा भाई :** (कुशलगढ़ सु.) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की पंचायत समितियों की मांगों के अनुसार रबी की फसल की बुवाई के लिये बीज की व्यवस्था की गई थी ?

(2) यदि हां, तो प्रत्येक पंचायत समिति को कितना कितना चना दिया गया ?

(3) उक्त चने के लिये किन किन डीलर्स को पेमेन्ट किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि जिन डीलर्स को भुगतान किया गया है उनमें से कई डीलर्स के विरुद्ध गुजरात में अनाज निकालने के विषय में मुकदमा चलाया गया था ? यदि हां, तो किन किन डीलर्स के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उप मन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह) :** अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसको स्थगित किया जाय।

**श्री हीरा भाई :** बांसवाड़ा की बात है, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो दाल में कुछ काला है।

**श्री अध्यक्ष :** देखिये, ऐसा दाल में काला नहीं रखें।

श्री लक्ष्मी सिंह (भरतपुर) : बाजरे का बीज खराब दिया जाय, उसकी मंत्री महोदय को शिकायत की जाय तो चुप रहें। रबी की फसल के लिए बीज दिया गया या नहीं—इसका प्रश्न पूछें तो उसकी सूचना नहीं आये। तो फिर आप उत्पादन कैसे बढ़ना चाहते हैं ?

श्री हीरा भाई : जितना चने का परमिट दिया था वह कांग्रेस के नेताओं को दिया था। यहां पर जिन्होंने अनाज बेच दिया था उन पर तो कानून के अनुसार केस चलाया और एक हजार जुर्माना किया। लेकिन जिन्होंने चना ले जाकर गुजरात में बेच दिया उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। और अब आप जवाब नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न से जो उत्तर आपको नहीं मिल सकता था। वह खुद ही आपके प्रश्न से मिल गया है, जवाब मिल गया है।

श्री हंसराज आर्य !

बी० एड० अध्यापकों को सैकिण्ड ग्रेड

1149. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जो अध्यापक पहले से बी० ए० थे और इस साल जिन्होंने बी० एड० कर लिया है क्या उन सभी को सैकेण्ड ग्रेड दे दिया गया है,

(2) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जोधपुर ने बी० एड० अध्यापकों की कोई सूची मांगी थी ?

(4) यदि हां, तो क्या उस सूची पर विचार करके कुछ अध्यापकों को जो बी० ए०, बी० एड० थे सैकेण्ड ग्रेड दे दिया गया है ?

(5) यदि हां, तो किस तारीख तक की नियुक्ति वालों को ? ऐसे अध्यापकों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

शिक्षा मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी नहीं।

(2) विभागीय आदेश के अनुसार द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती 50 प्र० श० सीधी भर्ती से 50 प्र० श० पदोन्नति द्वारा की जाती है। जो सीधी भर्ती की जाती है वह विभाग द्वारा निर्धारित मैरिट के अनुसार की जाती है पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर रिक्त स्थानों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। रिक्त स्थानों के अभाव में सभी बी० ए० पास अध्यापकों को पदोन्नत करना संभव नहीं है।

(3) जी हां।

(4) उस सूची पर विचार करके 30 व्यक्तियों को ग्रेड दे दिया गया है।

(5) पदोन्नति मंडल की तृतीय वेतन श्रृंखला की संग्रहित वरिष्ठता सूची के आधार पर दी गई है न कि नियुक्ति तिथि के आधार पर। पदोन्नत किये गये अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि

# Page No. 13



(श्री हंसराज आर्य)
कुछ ऐसे प्रध्यापकों को भी सेलेक्शन ग्रेड दी गई है जो सबसे जूनियर थे ?

श्री शिवचरण माथुर : जी नहीं ।

प्रश्न संख्या 1150

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री देवी दत्त !

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

श्री हंसराज आर्य : शिक्षा मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि क्योंकि माननीय सदस्य झुक कर प्रश्न पूछते हैं इसलिए मंत्री महोदय ने जी नहीं कहा है ?

श्री अध्यक्ष : यह बिल्कुल सही नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : सीना तान कर कहते हैं 'जी नहीं' ?

श्री नत्थीसिंह : माइक नीचा है वह ऊंचे हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह सही है ! श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

## सहायक अभियन्ता तथा कनिष्ठ कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता

1151. श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवा महल जयपुर)—क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सहायक अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता कर्मचारियों की कोई यूनियन बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस यूनियन को ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के अन्तर्गत मान्यता देने को तैयार है ?

(2) क्या कानूनन राज्य सरकार इस यूनियन के सदस्य कर्मचारियों को वर्कमैन की तारीफ में नहीं मानती है ?

राज्य मंत्री, विद्युत (श्री जयकृष्ण शर्मा)—(1) जी नहीं । मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) जी हां ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो कर्मचारियों का वर्गीकरण किया है उसके आधार पर किस किस कर्मचारी को तो आप आफिसर की कैटेगरी में मानते हैं और किस किस कर्मचारी को आफिसर की कैटेगरी में नहीं मानते है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह स्पष्ट है ही ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कोई स्पष्ट नहीं है । आपने कह दिया कि 'प्रश्न नहीं उठता ।' तो स्पष्टीकरण किया नहीं है ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इन्जीनियर्स हैं इनको रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन ने मान्यता देने से इन्कार कर दिया क्योंकि यह वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आते ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, जहां तक इन यूनियन्स को पर्मीशन देने का प्रश्न है, इसमें कोई आफिसर की कैटेगरी में आता है तो उस पर डिफरेन्ट रूल लागू हो जायं,

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
कोई वर्कमैंने की कैटेगरी में आता है उस पर डिफरेन्ट रूल लागू हो जायं—यह रूल्स में एक प्रकार की एम्बीग्युटी है। इसको आप स्पष्ट करना नहीं चाहते। ट्रेड यूनियन ने कर दिया, दूसरे विभाग ने कर दिया तो आप क्यों मान्यता रोकते हैं, मैं पूछना चाहता हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मान्यता देने का प्रश्न रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स से है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह तब होगा जब वर्गीकरण निश्चित करेंगे। अगर वर्गीकरण निश्चित कर देते हैं तो वह अपने राइट के लिए फाइट कर सकते हैं। आप करते नहीं हैं तो वह किस आधार पर जायं, आफिसर मानकर जायं या कर्मचारी मानकर ?

विद्युतमंत्री : (श्री हरिदेव जोशी) आप क्या मानते हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मै मानता हूं वह मानता रहूंगा। आप क्या मानते हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्या माना है आपने अब तक ?

श्री हरिदेव जोशी : इन्जनियर्स की सुपरवाइजरी ड्यूटी होती है इसलिये उनको रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स ने रजिस्टर नहीं किया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कानून के अन्दर वे वर्कमेंन के डेफोनेशन में नहीं आते हैं तो क्या आफिसर को श्रेणी में आते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री सालोदिया।

श्री हरिदेव जोशी : वे किस श्रेणी में आते हैं यह तो रजिस्ट्रार साहब ही बता सकेंगे।

प्रश्न संख्या 1152

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 1153

श्री श्रवणलाल
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
श्री गंगा सहाय

मुख्याध्यापकों के पदों पर पदोन्नति

1154 श्री गंगा सहाय : (कठूमर सु०) क्या शिक्षामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिन अध्यापकों को सन् 1961 में उच्च माध्यमिक शालाओं के मुख्याध्यापकों के पदों पर पदोन्नत किया गया था, आज भी अपने इन्हीं पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन अध्यापकों को उक्त पदों पर सन् 1963 से पदोन्नत किया गया उनको उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मुख्याध्यापकों के पदों पर पदोन्नत कर दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री : (श्री शिवचरण माथुर) : (1) केवल ऐसे अध्यापक, जो उच्च-माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों के पदों पर तदर्थ रूप में पदोन्नत किये थे, तथा जो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उच्चतर माध्यमिक शालाओं में प्रधान अध्यापकों के पदों के लिये चयनित नहीं किये जा सके, उच्च माध्यमिक शालाओं

के प्रधान अध्यापकों के पदों पर कार्य कर रहे हैं।

(2) लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के अनन्तर उच्च माध्यमिक शालाओं में प्रधान अध्यापकों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति, जो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उच्चतर माध्यमिक शालाओं के प्रधान अध्यापकों के पदों के लिये चयनित हुए, इन पदों पर पदोन्नत किये गये हैं। 1961 से कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहे प्रधान अध्यापकों को भी वरिष्ठता के अनुसार तदर्थ रूप में पदोन्नत किया गया है।

श्री गंगासहाय : दो वर्ष से इन केसेज को फाइनलाइज क्यों नहीं किया गया ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने आपसे कहा कि इनका दो तरह से चयन होता है, एक तो डिपार्टमेंटस प्रमोशन कमेटी के जरिये से होता है और दूसरा पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा होता है। ये दोनों तरीके अपनाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : अन्य प्रश्न। श्री चुन्नीलाल।

## चूरू क्रय विक्रय सहकारी समिति में गबन के मामले

1155 श्री चुन्नीलाल इंदलिया : (नोखा सु०) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे; —

(1) क्या चूरू क्रय विक्रय सहकारी समिति में प्रशासक नियुक्त हैं ? यदि हां, तो कब से और कौन हैं ? इस समिति का आडिट कब कब हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि आडिट रिपोर्ट में इस समिति में गबन बतलाया है ? यदि हां, तो कितने रुपयों का ? कृपया अंतिम आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) जिस वर्ष की आडिट रिपोर्ट में गबन बतलाया गया है उस समय इस समिति का अध्यक्ष कौन था और संचालक मण्डल में कौन कौन थे ? तथा सरकार की ओर से संचालक मण्डल के प्रतिनिधि कौन थे ?

(4) क्या संचालक मण्डल में जो सरकार की ओर से प्रतिनिधि थे उन्होंने समिति की किसी मीटिंग में कोई सुझाव या आपत्ति की ?

(5) अब तक उस गबन के बारे में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं ?

सहकारिता मंत्री : (श्री शोभाराम) : (1) जी हां। श्री भंवरसिंह फसल निरीक्षक (मार्क) सहकारी समितियां, चूरू, दिनांक 8-7-67 से प्रशासक है। समिति का आडिट निम्न प्रकार हुआ:—

22-1-59 से 30-6-59 तक का आडिट दिनांक

27-4-60 से 30-4-60 तक किया।

1-7-59 से 30-6-60 तक का आडिट दिनांक

5-5-61 से 2-6-61 तक किया।

1-7-61 से 30-6-61 तक आडिट दिनांक

14-2-63 से 29-6-63 तक किया।

1-7-62 से 30-6-63 तक का आडिट दिनांक

12-11-63 से 30-4-64 तक किया।

1-7-63 से 30-6-64 तक का आडिट दिनांक

1-10-64 से 30-11-64 तक किया

1-7-64 से 30-6-67 तक का आडिट दिनांक

2-9-67 से 15-12-64 तक किया।

(2) 1-7-64 से 30-6-67 तक का आडिट एक साथ हुआ उसमें आडिट रिपोर्ट वर्ष 64-65 से 66-67 तक की सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 64-65 से 66-67 तक जिसमें गबन बताया है उस अवधि में समिति के अध्यक्ष। संचालक मंडल के सदस्य वर्ग एवं राज्य सरकार की ओर से निम्न लिखित प्रतिनिधि थे —

अ—1-7-65 से 1-8-65 तक—

श्री मोहरसिंह अध्यक्ष

श्री हुक्मा राम सदस्य

श्री गंगाराम ,,

श्री मदनलाल ,,

श्री होरसिंह ,,

श्री सुरडाराम ,,

श्री बीर्यसिंह ,,

श्री गंगाधर पाठक ,,

श्री रामसिंह प्रतिनिधि

श्री गोपालसिंह राजकीय प्रतिनिधि

श्री रामनाथ ,, ,,

श्री फंक्शनल निरीक्षक ,, ,,

नोट—दिनांक 1-1-65 से श्री गोपालसिंह एवं रामनाथ कसवा के स्थान पर राजकीय प्रतिनिधि बदलकर सहायक रजिस्ट्रार स० स० चूरू एवं जिला रसद अधिकारी चूरू को राजकीय प्रतिनिधि पदोन्नत किया गया।

आ— 2-8-65 से 8-4-67 तक—

श्री नारायणसिंह अध्यक्ष

श्री हुक्माराम सदस्य

श्री फलेखां ,,

श्री डुंडाराम ,,

श्री हरिसिंह ,,

श्री बागसि ,,

श्री गंगाराम ,,

श्री मदनलाल ,,

सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति चूरू राजकीय मनोनीत सदस्य जिला रसद अधिकारी राजकीय मनोनीत सदस्य फंक्शनल निरीक्षक चूरू.......

# Page No. 17



(4) दिनांक 6-6-66 को संचालक मंडल की बैठक में सरकारी प्रतिनिधियों ने समिति में गबन के सन्देश के बारे में संचालक मंडल के समक्ष रखे एवं व्यवस्थापक श्रीचन्द को संचालक मंडल ने मुग्रत्तिल किया।

(5) गबन का सन्देह होने पर राज सहकारी समितियां अधिनियम 1965 की धारा 70 के अधीन जांच के आदेश दिनांक 22-6-66 को पारित कर दिये। जांच रिपोर्ट के आधार पर समिति की प्रबंध-कारिणी समिति को भंग किया गया तथा जांच रिपोर्ट में गबन पाने पर जांच अधिकारी का सुझाव ऑडिट कराने का प्राप्त होने पर वर्ष 64-65 से 66-67 की ऑडिट करवाया गया जिसकी रिपोर्ट 2 मार्च, 1968 को ऑडिटर से सहायक रजिस्ट्रार चूरू को प्राप्त हुई।

जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां चूरू द्वारा दिनांक 5-2-68 को गबन कर्ताओं को नोटिस दिया है कि यह राशि राजस्थान सहकारी अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही कराके उनसे क्यों नहीं वसूल की जाये।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : क्या मंत्री महोदय यह बता सकेंगे कि इस मार्केटिंग सोसाइटी में कितने रुपये का गबन हुआ है?

श्री शोभाराम : 15,225 रुपये का।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मंत्री महोदय ने कहा कि सूची सदन की मेज पर रख दी है, मैं चाहूंगा कि सूची में से एक दो लाइन पढ़कर सुनादें।

श्री अध्यक्ष : आपकी सूची या उनकी?

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अध्यक्ष महोदय, इसमें से एक भी लाइन आप नहीं पढ़ सकते। इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसको पढ़ लें।

श्री शोभाराम : आपकी सूची मुझे दीजिये।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या यह सही है कि जो गवर्नमेंट का नामिनी उस बोर्ड में था जिस वक्त गबन हुआ था उसी को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है?

श्री शोभाराम : उसका नाम तो मेरे पास नहीं है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1152 पूछ लिया जाये।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : यह जो मोहरसिंह अध्यक्ष बताया, वह कौन है?

एक माननीय सदस्य : भूतपूर्व एम० एल० ए०।

श्री शोभाराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है कि कौन है?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री शिवनाथसिंह।

श्री दुर्गालाल बादवार : (हवा महल, जयपुर) एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह तो समझ में आ सकता है कि मनुष्यों में संकर होते हैं, राज्य सरकार संकर अन्न भी आजकल खिला रही है लेकिन प्रश्नों में भी संकरा प्रश्न आ गये। प्रश्न संख्या 1148 आप देखिये। 11 का एक 1 तो अंग्रेजी में है और एक 1 हिन्दी में। तो अब क्या प्रश्नों में भी संकरता का प्रचार चालू हो गया?

श्री अध्यक्ष : कभी कभी क्रास ब्रीडिंग अच्छा होता है।

श्री दुर्गालाल बादवार : वह तो बहुत अच्छा होता है, इसीलिये सरकार भी अन्न में क्रास ब्रीडिंग कर रही है। लेकिन प्रश्नों में तो आप क्रास ब्रीडिंग न करें। आखिर राज्य सरकार की एफीशियेंसी कहां चली गई। यह तो प्रिंटेड मैटर उस सदन को दिया जाता है जिसकी गरिमा को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो फिर अगर विद्यार्थियों को गलत छपी हुई किताबें दी जायें तो बड़ी बात नहीं है। तो आखिर क्या होगा। मैं तो सारे मंत्रिमंडल का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह त्रुटि रह गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के तीन मिनट बेकार क्यों गये।

श्री अध्यक्ष : सदन को सरस करना चाहते थे।

प्रश्न संख्या 1156

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शिवनाथसिंह।

## जिला झुन्झुनूं में शिक्षा प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति

1157 श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) झुंझुनू जिले में सन् 1967-68 में कितने व किन किन अध्यापकों को (एस० डी० आई) शिक्षा प्रसार अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स झुंझुनू द्वारा जिन अध्यापकों को शिक्षा प्रसार अधिकारी के पदों पर नियुक्त करने की सिफारिश की थी उनको नियुक्त नहीं किया गया तथा अन्य अध्यापकों को इस पद पर नियुक्त किया गया?

(3) क्या यह सही है कि अध्यापक पद से शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद पर ज्यादा तनख्वाह तथा अलाउन्स मिलता है?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) झुंझुनू जिले में सन् 1967-68 में निम्नांकित अध्यापकों को शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया:—

(1) श्री रामेश्वर लाल एम०ए०,बी०एड०, प० अ० माध्यमिक शाला बड़ोद कलां को शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति सूरजगढ़।

(2) श्री हरिनारायण राव, एम० ए०

बी० एड०, स० प्र० राजकीय उ० मा० विद्यालय कोऽडा को शिक्षा प्रसार प्रधिकारी पंचायत समिति उदयपुरवाटी।

(2) जी नहीं। प्रथम नियुक्ति के समय विद्यालय निरीक्षक से न कोई प्रस्ताव मांगे गये थे प्रोर न ही उन्होंने कोई प्रस्ताव भेजे थे। द्वितीय नियुक्ति के समय विद्यालय निरीक्षक से प्रस्ताव मांगे गये थे उन्होंने द्वितीय वेतन शृंखला में जिले के प्रध्यापकों की वरिष्ठता के प्राधार पर श्री हरिनारायण राव की नियुक्ति को प्रस्तावित किया, जिसे उप निदेशक ने स्वीकार कर लिया।

(3) जी हां। शिक्षा प्रसार प्रधिकारी को 30) रु० माह के हिसाब से कुछ विशेष उप वेतन मिलता है। मूल वेतन तथा वेतन शृंखला वही रहती है।

श्री शिवनाथसिंह : एस० डी० प्राई० को प्रपॉइन्ट करने के क्या नियम बना रखे है।

जिलों से प्रस्ताव मांगे जाते हैं या डाइरेक्टर ही प्रपॉइन्टमेन्ट करता है?

श्री शिवचरण माथुर : जिलों से प्रस्ताव भी मांगे जाते है प्रोर वरिष्ठता सूची डिप्टी डाइरेक्टर के प्रॉफिस में होती है उस प्राधार पर भी प्रपोइन्टमेन्ट किये जाते हैं।

श्री शिवनाथसिंह : क्या यह सही है कि झुंझुनू जिले से प्रस्ताव प्राया था उसको सुपरसीड कर दिया गया?

श्री शिवचरण माथुर : प्रथम नियुक्ति श्री रामनारायण की की गई उस वक्त कोई प्रस्ताव नहीं मांगा गया था, दूसरी नियुक्ति के समय प्रस्ताव प्राया था प्रोर वरिष्ठता सूची भी थी उस प्राधार पर नियुक्ति की गई।

श्री शिवनाथसिंह : नियुक्ति से पहले कोई प्रस्ताव प्राया था प्राप के कार्यालय में?

श्री शिवचरण माथुर : जी नहीं, प्रस्ताव नहीं प्राया था। दूसरी नियुक्ति के संबंध में इन्सपेक्टर प्रॉफ स्कूल ने भेजा था, वरिष्ठता के प्राधार पर भी भेजा था।

## बीकानेर के प्राथमिक सहकारी भण्डार

1158. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) केन्द्रीय योजनान्तर्गत सन् 1963 से कितने प्राथमिक सहकारी भण्डार बीकानेर में गठित किये गये? उनमें से कितने वर्तमान में चालू हैं प्रोर जो बन्द हैं वे किस कारण से बन्द हुए?

(2) कितने प्राथमिक सहकारी भंडार सस्पेन्ड या डिसमिस किये गये प्रोर उनमें से कितने पुनः बहाल हुए?

(3) उक्त प्रविध में कितने व्यक्तिगत डिपो कायम किये गये? उनमें से कितने कितने डिसमिस या सस्पेन्ड किये गये प्रोर कितने पुनः बहाल हुए?

(4) जो डिपो पुनः बहाल किये गये उनके विरुद्ध क्या प्रारोप थे, जांच में क्या परिणाम प्राये प्रोर बहाल करते समय क्या-क्या प्रादेश दिये गये?

(5) कितने सहकारी भंडार बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के

सदस्य हैं जो सदस्य नहीं हैं वे पृथक किस कारण से रहे ?

सहकारी मंत्री (श्री शोभाराम) : (1) केन्द्रीय योजनान्तर्गत सन् 1963 से अब तक केवल एक ही नये भण्डार का गठन किया गया, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपादित योजना के चालू होने से पूर्व में गठित सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को ही इस योजना के अन्तर्गत लिया गया। इस समय योजनान्तर्गत बीकानेर के 19 सहकारी उपभोक्ता भण्डार हैं उनमें से 17 भण्डार चालू हैं, केवल 2 बन्द हैं जो रसद विभाग द्वारा नियमित वस्तुओं का कोटा बन्द कर दिये जाने के कारण से बन्द हैं।

(2) केन्द्रीय योजनान्तर्गत जिन भंडारों में वे सन् 63 से अब तक (उपलब्ध सूचना के अनुसार) कुल 3 प्राथमिक सहकारी भंडारों को सस्पेन्ड व डिसमिस किया गया, जिनमें से एक पुनः बहाल किया गया।

(3) सूचना रसद विभाग द्वारा ही दी जा सकती है।

(4) वार्ड नं० 6 उपभोक्ता सहकारी भंडार लि० को बहाल किया गया है, जो दिनांक 26-9-67 को जिलाधीश (रसद) बीकानेर के आदेश क्रमांक 2245-51 चीनी का बिना स्केल वितरण करने के कारण से सस्पेन्ड किया गया। जिलाधीश बीकानेर के आदेश क्रमांक 2529-36 दिनांक 4 नवम्बर, 67 के द्वारा भंडार को पुनः निलम्बन अवधि की सजा को वापिस मानते हुए बहाल किया गया।

जाँच कराई गई अथवा नहीं और यदि कराई गई तो क्या परिणाम रहे, की जानकारी रसद विभाग ही दे सकता है।

(5) बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार के केवल 10 सदस्य हैं। बीकानेर में स्थित अन्य सहकारी उपभोक्ता भंडार होलसेल भंडार की सदस्यता इसलिए प्राप्त नहीं कर सके कि होलसेल भंडार के पंजीकृत उपनियम क्रमांक 9 के अनुसार सदस्य बनने के प्रार्थी प्रत्येक सहकारी उपभोक्ता भंडार को 5-5 हजार के हिस्से खरीदने होते हैं। अतः उक्त 10 भंडारों के अलावा प्राथमिक भंडार सदस्य बनने कि इस प्रमुख क्षति की पूर्ति नहीं करने के कारण से सदस्य नहीं बन सके हैं।

श्री केदारनाथ : इतने प्राथमिक भंडारों का चालान किया गया उनमें से कितनों का किस कोर्ट में चालान किया गया ?

श्री शोभाराम : यह सूचना मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कि 3 भंडारों के खिलाफ कार्यवाही रसद विभाग ने की है उनमें से 2 को सस्पेन्ड किया और 1 को बहाल कर दिया गया। इसके अलावा चालान करने का संबंध रसद विभाग से है। सहकारी विभाग से इसका ताल्लुक नहीं है।

## हटूण्डी आश्रम में प्रवेश शुल्क अधिक वसूल करने की शिकायतें

1159. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हटूंडी आश्रम द्वारा छात्राओं से प्रवेश शुल्क अधिक वसूल की शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों से

छात्राओं द्वारा की गई है।

(2) क्या यह सही है कि अधिक वसूल की गई राशि छात्राओं को लौटायी नहीं जा रही है और उसे अनियमित तौर पर रोके रखा गया है ?

(3) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां। हटूंडो आश्रम द्वारा छात्राओं से प्रवेश शुल्क अधिक वसूल करने की शिकायत छात्राओं द्वारा प्राप्त हुई।

(2 व 3) शिकायतों की जांच करने के लिये कन्या विद्यालय निरीक्षिका, अजमेर को लिखा गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि 10) रु० के बजाय 15) प्रथम से लिये गये थे। ऐसे कम से कम 50 या 100 बच्चों से अधिक रुपये लिये गये। सूचना देने से पहले कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? मेरे प्रश्न पूछने के बाद कार्यवाही शुरू करने का क्या कारण है ?

श्री शिवचरण माथुर : आपने जानकारी दी तब से ही सही, उसके बाद इन्सपेक्ट्रेस ऑफ गर्ल्स स्कूल को कहा गया है कि वे इसकी जांच करें। उनको रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री भगवानदास शास्त्री : जब तक जांच पूरी न हो जाय तब तक उसकी ग्रान्ट इन एड बन्द क्यों नहीं कर देते ? यह मालदार आश्रम है, एड बन्द कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री शिवचरण माथुर : मालदार आश्रम तो मैं उसको नहीं मानता। ग्रान्ट इन एड रोकने जैसा प्रश्न नहीं है। यह बात महसूस होगी कि उसने अधिक फीस ली है तो रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जायगी।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं यह साफ कहता हूं कि वह मालदार आश्रम है। भूतपूर्व अजमेर स्टेट का शिक्षा का सारा पैसा इस पर नहीं लगाया गया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : जांच के ऑर्डर कब दिये ?

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, एक कन्या के 570) रु होते हैं तो इतनी लड़कियों के कितने होते हैं ? लाखों की तादाद में होते हैं। जो वहां पर भोजन नहीं करना चाहती थीं उनसे भोजन के पैसे लिये, जो छात्रावास की सुविधा नहीं चाहती थीं उनसे छात्रावास के पैसे लिये। यह कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष : कहां तक उचित है ?

श्री शिवचरण माथुर : जानकारी करने के बाद बताया जा सकता है। आपने शिकायत की है उस पर जांच करने का आदेश दिया गया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : कम से कम 100 छात्राओं के पैसे नहीं लौटाये एक को लौटाये तो क्या हुआ वह बड़े अधिकारी की लड़की थी।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि एक को लौटा दिये गये ?

श्री शिवचरण माथुर : क्या सही है और क्या नहीं—मैं अभी नहीं कह सकता।

श्री भगवानदास शास्त्री : वे साबरमती आश्रम बनाना चाहते थे लेकिन गांधी जी का साबरमती आश्रम बनने का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा सकता। जो बच्चे वहां पढ़ते हैं वे हंटूडो के सांड कहे जाते हैं इतना निम्न स्तर इसका हो गया है ..

श्री अध्यक्ष : ऐसा आरोप उचित नहीं है।

श्री श्रवणलाल (हृण्डौन) : मैं मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि इसकी शिकायत कब हुई और जांच के आदेश कब जारी किये ?

श्री शिवचरण माथुर : तारीख मेरे पास नहीं है। लेकिन शिकायत हुई थी उसके बाद जांच का आदेश दिया है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्यवाही की जायगी। यह मैंने पहले ही निवेदन किया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : कब जवाब देंगे, सदन आज ही समाप्त होगा।

श्री शिवचरण माथुर : सदन के अलावा भी जवाब दिया जा सकता है।

श्री श्रवणलाल : मंत्री जी को मालूम नहीं है कि शिकायत कब हुई, कितना अरसा हो गया, जांच के आदेश कौन सी तारीख को दिये ?

श्री अध्यक्ष : वह नहीं है जानकारी।

श्री श्रवणलाल : मुख्य चीज तो यही है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य चीज है लेकिन जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल जयपुर) : इस फीस के मामले को लेकर यदि छात्राएं आन्दोलन करें और उग्र वातावरण बन जाय तो छात्राओं को दोष देंगे। छात्राओं ने मंत्री जी के पास बहुत दिनों पहले शिकायत की थी, यह कह कर मंत्री जी संतोष कर लें कि जांच के आदेश दिये हैं। मान लीजिये जांच नहीं होने से स्कूल बन्द होता है, व्यवस्थापक और अध्यापकों के बीच झगड़ा था तो यह जिम्मेदारी किसकी है ? शिकायत आपके पास होती है और आपको यह पता नहीं कि जांच के आदेश कब दिये थे ?

श्री शिवचरण माथुर : पिछली बार यह शिकायत आई थी कि अध्यापकों को लिखा जाता है उससे कम दिया जाता है उसके जांच की कार्यवाही की जा रही है। अधिक फीस लेने की शिकायत आई उसकी भी जांच की जा रही है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : कब तक की जायगी ?

श्री शिवचरण माथुर : आपने कहा, इस सम्बन्ध में छात्रों की हड़तालें हुई, आंदोलन हुए, इस सम्बन्ध में पूरी कार्यवाही की जायगी और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अन्य प्रश्न। श्री बिश्नोई।

श्री केसरीसिंह हाडा : फीस के पैसे ज्यादा लिये हैं और रसीदें कम की दी हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। उद्योग मन्त्री।

## जिला जालौर में क्रूड आयल की व्यवस्था

1160. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में क्रूड आयल की बड़ी भारी कमी है? अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जिला जालोर में खेती बाड़ी के काम के लिए क्रूड आइल की विशेष खपत है? अगर हां, तो पिछले तीन सालों की खपत का ब्योरा बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि जिला जालौर में कृषि भूमि सिंचाई के लिए क्रूड आइल से चलने वाले पम्पिंग सेट्स बहुत ज्यादा है? अगर हां, तो क्रूड आइल की कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या सोच रही है?

(4) इस कमी को कब तक दूर कर दिया जावेगा ?

उपमन्त्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) पहले कमी थी अब नहीं है।

(2) क्रूड आइल के जिलेवार खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा क्रूड आइल का जिलेवार वितरण नहीं किया जाता है। यदि किसी जिले से क्रूड आइल की कमी की शिकायत प्राप्त होती है तो आइल कम्पनियों से फौरन वहां तेल भिजवाने को लिखा जाता है।

(3) प्राप्त सूचना के अनुसार जिला जालौर में करीब 1400 या 1500 पम्पिंग सेट्स हैं। वहां क्रूड आइल की अब कमी नहीं है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह कैसे मालूम हुआ कि अब नहीं है? कमी कौनसी तारीख से कौनसी तारीख तक रही और कब से कमी नहीं रही ?

श्री भीमसेन : माह जनवरी, ६८ में क्रूड आइल की कमी रही, क्योंकि गवर्नमेंट आफ इण्डिया से अलाटमेंट कम हुआ था। अब कमी नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जिस समय फसल को पानी देने का समय होता है, उस समय क्रूड आइल मिलता नहीं। जिस समय फसल को पानी देने का समय होता है उस समय आवश्यकतानुसार सबको क्रूड आइल मिले इस बारे में सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कृषि उत्पादन को नुकसान नहीं हो। और हमेशा के लिए यह दुख दूर हो।

श्री अध्यक्ष : अब कमी पूरी हो गई है।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : फसल पकने के बाद में कमी पूरी हुई है, इससे अब क्या फायदा? जिस समय फसल को पिलाने की आवश्यकता थी, उस समय क्रूड आइल की कमी रही, इससे अन्न उत्पादन में कितना नुकसान हुआ, किसानों को कितना नुकसान

# Page No. 24



हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिऐ कि फसल को पानी देने का जब समय हो, उस समय में सबको बराबर उनकी आवश्यकता के अनुसार क्रूड आइल मिलते रहना चाहिए।

उद्योग मन्त्री ( श्री हरिदेव जोशी ) : श्री आईदानसिंह जी ने भी इस बारे में प्रश्न पूछा था उस समय मैंने सारे फिगर्स रखे थे। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से कह कर स्पेशल ट्रेन से जोधपुर डिविजन के लिए क्रूड आइल भिजवाया गया था। गत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा क्रूड आइल इस साल पहुंच चुका है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सरकार की इस बारे में योजना होनी चाहिये कि फसल की पिलाई के समय दो महीने की अवधि में जब तक कि फसल पक नहीं जाय, काश्तकारों को समय पर उनकी आवश्यकता के अनुसार क्रूड आइल मिलता रहे।

श्री हरिदेव जोशी : यह कदम गवर्नमेंट ने उठाया है, जितनी क्रूड आइल देने वाली कम्पनियां हैं, बर्मा शैल है, इन्डियन आइल कम्पनी है और एस. ओ., कालटैक्स आदि है, उनको पहले ही सतर्क कर दिया गया है कि किस किस महीने में कितना कितना स्टाक होना चाहिए। इसका प्रबन्ध कर दिया गया है।

श्री आईदान सिंह (भीनमाल) : क्या यह सही है कि राजस्थान में हर जिले का कोटा निर्धारित किया गया था ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री आईदानसिंह : तो फिर और कोटा निश्चित किये कैसे ? वह सकते हैं कि प्रबन्ध कर दिया गया गया है कि सब जिलों को उस समय में बराबर क्रूड आइल मिलता रहेगा।

श्री हरिदेव जोशी : कम्पनियां अपना स्टॉक रखती हैं, किस डिपो में कितना स्टॉक रखती हैं, यह आंकड़े हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : गवर्नमेंट का इन पर कोई कन्ट्रोल नहीं है, इसलिए तो क्रूड आइल में ब्लैक होता है और दुगुनी तिगुनी कीमत काश्तकारों को अपनी फसल की पिलाई करते समय देनी पड़ती है....

श्री पृथ्वीसिंह : क्या यह सही है कि क्रूड आइल लेने वालों को लुब्रीकेटिंग आइल कम्पलसरिली लेने के लिये मजबूर किया जाता है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं उस रोज पहले ही कह चुका था कि यह बात सही नहीं है।

प्रश्न संख्या 1161

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न। श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा।

स्थगित प्रश्न

स्थगित प्रश्न
( 29-3-68 )

## अकलेरा हाईस्कूल में हुई हड़ताल की जांच

941. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) अकलेरा हाई स्कूल में 24 लगायत 29 फरवरी, 1968 तक क्या कोई हड़ताल या हुड़दंग हुआ था ?

(2) क्या यह हुल्लड़ स्थानीय शाला के अध्यापकों के उकसाने एवं उभारने पर हुआ था ?

(3) क्या यह सही है कि इस हुल्लड़बाजी में स्कूल की छात्राओं के साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें नीचे गिराया गया और डराया धमकाया था ?

(4) क्या इस हुल्लड़बाजी में स्कूल का फर्नीचर नष्ट भ्रष्ट किया गया ?

(5) इस शाला में अकलेरा के निवासी कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं और क्या उनकी निरन्तर यह शिकायतें हैं कि वे वातावरण को गन्दा बनाते जा रहे हैं ? यदि हां, तो विभाग ने कोई कार्यवाहीक्यों नहीं की ?

(6) क्या यहां के छात्रों को जबरदस्ती उर्दू दी गई ?

(7) क्या यहां के प्रधानाध्यापक एक मुस्लिमलीगी विचारधारा के हैं और वे बालकों के साथ हिन्दू मुस्लिम भेद भाव बरतते रहते हैं ?

(8) क्या शिक्षा निरीक्षक ने इस काण्ड की जांच की है और यदि हां, तो अपराधी अध्यापकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा मंत्री ( श्री शिवचरण माथुर) :
(1) अकलेरा हाई स्कूल में इन दिनों अव्यवस्था का होना पाया जाता है, यह सही है कि इसकी शुरूआत 24 फरवरी से हुई थी जबकि विद्यार्थी उपस्थिति लगवा कर बाहर निकल गये थे। यह व्यवस्था निरन्तर 29 फरवरी तक चलती रही हो, ठीक प्रतीत नहीं होता।

(2) यह सही है कि स्थानीय शाला के कुछ अध्यापकों के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे न होना तथा उनका विद्यार्थियों को उभारने में हाथ रहना पाया जाता है।

(3) स्कूल की छात्राओं के साथ धक्का-मुक्की हुई हो अथवा उन्हें डराया धमकाया गया हो ऐसे तथ्य प्रकट नहीं होते।

(4) स्कूल के फर्नीचर को नष्ट भ्रष्ट करने की रिपोर्ट नहीं है।

(5) विद्यालय निरीक्षक को यह लिखा गया है कि वे इस स्कूल की अव्यवस्था को दूर करने के लिये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें।

(6) छात्रों को जबरदस्ती उर्दू दी गई हो, ऐसी कोई सूचना विभाग को उपलब्ध नहीं है।

(7) प्रधानाध्यापक मुस्लिमलीगी विचारधारा रखते हों, ऐसी कोई सूचना नहीं है। उनके कार्य में इसका आभास नहीं मिलता। वे साम्प्रदायिक भावना उकसाते हों, यह भी तथ्यपूर्ण नहीं मालूम होता। जहां तक विभाग का प्रश्न है, यह आश्वासन दिया जाता है कि साम्प्रदायिक तत्वों को किसी भी तरह नहीं पनपने दिया जायगा।

# Page No. 26



(श्री शिवचरण माथुर)

(8) यह सही है कि विद्यालय निरीक्षक इस सम्बन्ध में जांच करने गये थे। अध्यापकों के प्रति अनुशासहीनता की शिकायत है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

**श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा :** क्या यह सही है कि 24 लगायत 29 तारीख तक स्कूल में हड़ताल हुई और हाई स्कूल की दो छात्राओं को कमरे के अन्दर बन्द कर दिया गया था?

**श्री अध्यक्ष :** अभी उत्तर ही नहीं आया है।

**श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा :** इसका आप उत्तर दीजिये......

**श्री शिवचरण माथुर :** मैंने निवेदन किया कि घवका मुवको की कोई शिकायत नहीं है, निरीक्षक ने जो रिपोर्ट दी है, उस के आधार पर मैंने निवेदन किया है।

**श्री विट्ठल प्रसाद :** क्या यह सही है कि रसूल मोहम्मद अध्यापक के विरुद्ध अकेलरा में 3 दिन तक हड़ताल हुई थी और कलेक्टर व एस० पी० अकलेरा में पहुंचे थे?

**श्री शिवचरण माथुर :** मैंने निवेदन किया कि छात्राओं के साथ इस प्रकार की घटना नहीं हुई।

**श्री कृष्णकुमार गोयले (कोटा) :** किसकी शिकायत पर विभाग ने यह जांच करवाये है?

**श्री शिवचरण माथुर :** वहां विद्यार्थियों में असंतोष था, कुछ गड़बड़ी हुई थी, यह सच है कि विद्यार्थी बाहर आ गये थे, इस पर इन्सपेक्टर ऑफ स्कूलस वहां पर गये और जांच पर उन्होंने वहां के अध्यापकों में मन मुटाव पाया, इन्टरनल पोलिटिक्स थी जिसके आधार पर स्कूल में गड़बड़ हुई। इसको ठीक करने के लिये इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने उचित कदम उठाया।

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** क्या यह सच है कि बच्चों के संरक्षकों ने लिखित शिकायत की है?

**श्री शिवचरण माथुर :** लिखित शिकायत के बाद ही इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स वहां गये और जांच की, जांच के बाद हल निकाला।

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** क्या यह सच है कि उस लिखित शिकायत में उल्लेख है कि दो बच्चों को कमरे के अन्दर बन्द रखा गया?

**श्री शिवचरण माथुर :** जी नहीं, यह सही नहीं है, मेरी जानकारी के अनुसार ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि दो छात्राओं को कमरे के अन्दर बन्द रखा गया हो।

**श्री कृष्णकुमार गोयल :** क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने अभी जांच पूरी नहीं की है?

**श्री शिवचरण माथुर :** प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दी है और जो कार्यवाही उन्होंने सजेस्ट की है, वह की गई है?

**श्री कृष्णकुमार :** क्या यह सही है कि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उस शिकायत में रसूल मोहम्मद अध्यापक का नाम लेकर शिकायत की गई है इसी आधार पर रसूल मोहम्मद का परिवर्तन कर दिया ?

श्री शिवचरण माथुर : परिवर्तन कर दिया।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : उसको फिर स्थगित कर दिया........

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि उसका ट्रान्सफर फिर केन्सिल कर दिया ?

श्री शिवचरण माथुर : ट्रान्सफर वाली बात दूसरी है और ऐक्शन लेने की बात दूसरी है।

(शोरगुल, अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे)

इन दिनों में सरकार के आम तौर से आदेश हैं कि सत्र के बीच में ट्रान्सफर नहीं किया जाय........

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : जिसने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की, उसकी ट्रान्स्फर को केन्सिल कर देते हैं........

(शोरगुल, अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। उत्तर आने दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : आम तौर से सत्र के बीच में ट्रान्सफर नहीं करते हैं, आप लोग शिकायत करते हैं कि सत्र के बीच में ट्रान्स्फर कर दिया........

(शोरगुल, अनेक माननीय सदस्य एक एक साथ बोलने लगे)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : बालिकाओं के साथ छेड़खानी करे और........

श्री देवीदत्त गाड़ियां (बारां) : उसने जनता का बड़ा अपराध किया है, भयंकर अपराध किया है, इस आधार पर ट्रान्स्फर किया गया और फिर राजनैतिक आधार पर उसके ट्रान्स्फर को केन्सिल कर दिया........

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। उत्तर आने दें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार ने आदेश आम तौर से आदेश दे रखे हैं कि सत्र के बीच में तबादला नहीं किया जाय, इस तरह तबादले होते हैं तो उनको स्वागत किया जाता है। इस अध्यापक ने मुझे कहा कि मेरा सत्र के बीच में तबादला हो गया है इस पर तबादला केन्सिल कर दिया। इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट आई उससे पहले केन्सिल किया गया पर जब इन्स्पेक्टर ने बताया कि इस आधार पर तबादला किया गया है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि सत्र के बीच में तबादले होते हैं तो उनको रोकते हैं, क्योंकि आप लोग शिकायतें करते हैं........

(शोरगुल, अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बड़ा गम्भीर मामला है अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । में क्लीयर कर देता हूं ।

में शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि किस परिस्थिति में यह ट्रान्स्फर हुआ और फिर रोका गया, क्या अब उसे कन्टिन्यू माना जाय ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यापक मेरे पास आया और कहा कि सत्र के बीच में मेरा ट्रान्स्फर हो गया है, मेंने सरकार की नीति के अनुसार उसे केन्सिल कर दिया । लेकिन जब मालूम पड़ा कि इस घटना के आधार पर ट्रान्स्फर हुआ है तो......

श्री अध्यक्ष : ट्रान्स्फर वापिस जारी है ?

श्री शिवचरण माथुर : जी हां ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : केवल ट्रान्स्फर ही नहीं, उसको बर्खास्त किया जाय, नहीं तो उसका काला मुंह करके गधे पर बैठाया जायगा ।

(9 म. पू.)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या उस अध्यापक के खिलाफ जहां वे रहे, इस प्रकार की गुण्डागर्दी उनके सर्विस रेकार्ड में दर्ज है ?

श्री शिवचरण माथुर : मेरे पास सूचना नहीं है ।

(शोरगुल-कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मदनसिंह दाता : क्या इस तरह अध्यापक डाइरेक्ट आपके पास आकर निवेदन कर सकता है ?

श्री शिवचरण माथुर : हां कर सकता है ।

श्री मदनसिंह दाता : तो क्या इस शिकायत की गम्भीरता को देखते हुए आप इसे ट्रांसफर करना चाहते हैं ? लेकिन यह तो सस्पेंड होना चाहिए था ।

श्री शिवचरण माथुर : में ऐसी स्थिति में ट्रांसफर हल नहीं मानता । ऐसी बात है तो उस अध्यापक के खिलाफ और भी कोई कार्यवाही की जा सकती है फिर भी ऐसी स्थिति में जब इन्सपेक्टर महसूस करते हैं कि उस अध्यापक का रहना वहां ठीक नहीं है, तो हमने एग्री किया है ।

श्री अध्यक्ष : अन्य प्रश्न ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार से वहां की जनता द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण और उस प्रश्न को लेकर कि दो बालिकाओं को बन्द किया, छेड़छाड़ की, इस प्रकार खुला आरोप है जिसको मंत्री महोदय दबाना चाहते हैं तो क्या आप इस जांच को पुनः स्पष्ट रूप से

(श्री देवीदत्त गाडिया)

यहां से शिक्षा विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर करवायेंगे वरना राजस्थान को जनता अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए....

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न की मन्शा समझ में आ गई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि इस अध्यापक का पाकिस्तानी एलीमेंट्स से सम्बन्ध है ?

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या इन बालिकाओं को बन्द करने के सवाल को लेकर अकलेरा का बाजार बन्द रहा ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : पूर्ण हड़ताल रही।

श्री शिवचरण माथुर : इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें ऐसा जिक्र नहीं है कि बालिकाओं को बन्द किया और उस कारण....

(लगातार शोरगुल-कई माननोय सदस्य खड़े हुए और साथ साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पुलिस में रिपोर्ट. (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष (शिक्षा मन्त्री से) : प्रश्न की पेचीदगी को देखते हुए स्थिति संदेहास्पद है। इन्सपेक्टर द्वारा आपने विभागीय जांच कराई है लेकिन माननीय सदस्यों की उद्विग्नता को देखते हुए दूसरे रूप से जांच करा दें ताकि सबको संतोष हो जाय।

(शोरगुल)

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : जिस अध्यापक ने ऐसा गंदा काम किया है, उसका सस्पेन्शन होना चाहिए। न ऐसी समस्या का पाकिस्तान से सम्बन्ध है न हिन्दुस्तान से सम्बन्ध है। जब भी इस तरह के मामले आ जायं तो शिक्षा विभाग में शुद्धता लाने के लिए ऐसे आदमी को सस्पेंड करके कार्यवाही करनी चाहिए।

(कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिस अध्यापक का स्थानांतरण हुआ, उसके बाद वह आपके पास आया और अपने स्थानांतरण के आदेशों को मंसूख किया, तो वह अध्यापक स्वयं आया था या किसी को लेकर आया था ?

श्री शिवचरण माथुर : स्वयं आया था। ऐसे अध्यापक और भी आते हैं, अगर सेशन के बीच में ट्रांसफर होता है तो एप्रोच करते हैं, कई ट्रांसफर रद्द करवाये हैं। मैं उचित मानता हूं कि सत्र बीच में स्थानांतरण नहीं होना चाहिए और इसलिए रोकते हैं।

श्री भैरोंसिह : एक अध्यापक यदि आपके पास आकर कह दे कि मेरा स्थानांतरण हो गया उसको रद्द किया जाय तो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप इसे पर्याप्त समझते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं मानता हूं कि

श्री शिवचरण माथुर)

हमारी नीति के अनुसार यदि सत्र के बीच में कोई परिवर्तन होता है तो रोका जाना चाहिए और रोकते हैं।

एक माननीय सदस्य : चाहे कितनी भी गुण्डागर्दी की हो ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल। प्रश्न संख्या 948।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : यह गारंटी दी जाय कि....

श्री अध्यक्ष : गारंटी जो सीमाओं में थी दे दी गई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए और इसी प्रकार मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया वह संतोषजनक नहीं है और संतोषजनक न होने के कारण में आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि आप स्पष्टीकरण करवाएं ताकि जनता में विश्वास हो जाय और उस अध्यापक को तुरन्त निलंबित करना चाहिए। मंत्री महोदय ने घोषणा नहीं की। जो अध्यापक हमारी बालिकाओं को बन्द करे, उसको फौरन विलंबित करना चाहिए। यदि आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, शिक्षा के अन्दर पवित्रता चाहते हैं तो उस अध्यापक को तुरन्त निलबित किया जाय, आप सम्बन्ध में घोषणा करें। यदि आपने नहीं की तो सदन को और राजस्थान की जनता को शिक्षा में विश्वास नहीं रहेगा :

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई कि अध्यापक अकलेरा में है या दूसरी जगह ?

एक माननीय सदस्य : वहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो ट्रांस्फर करना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : बिना जांच कराये सस्पेंड करने वाली बात को मानने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

(कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : आपने स्थानान्तरण के आदेश क्यों रद्द क्यों किया जब इन्सपेक्टर महसूस करते हैं कि गुंडागर्दी की है ?

(अनवरत शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : कुछ भी रेकार्ड किए जाने की स्थिति में नहीं है। आर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : विश्वास नहीं रहा।

(अनवरत शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि जितनी उद्विग्नता से इस प्रश्न को लिया जा रहा है।

श्री मदनसिंह दाता : तो हम भी मंत्री महोदय से अपेक्षा करते हैं (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन अपने पैरों पर है। शिक्षा मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न ने माननीय सदस्यों में बड़ी उद्विग्नता उत्पन्न की है और प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए उनका

(श्री अध्यक्ष)

उद्विग्न होना स्वाभाविक भी है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि इसका ऐसा हल निकले जिससे माननीय सदस्यों की उद्विग्नता का निराकरण हो उनमें विश्वास पैदा हो। यदि माननीय चाहे तो मैं स्वयं इस संबंध में शिक्षा मंत्री जी से बात करके स्थिति का हल निकालने का प्रयत्न कर सकता हूं.........

(शोरगुल)

मेरी खुद की मन्शा अभी पूरी नहीं हुई है। मैं इस प्रश्न को स्थगित करना चाहूंगा और शिक्षा मंत्री जी से बात करके जो स्थिति है उस संबंध में जानकारी आज के दिन ही, करके यदि माननीय सदस्यों की उद्विग्नता का निराकरण न हुआ तो पुनः इस प्रश्न को ओपन करूंगा। अभी बहुत से प्रश्न हैं इसलिए मैं आगे लेना चाहता हूं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : उस अध्यापक को फौरन........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । श्री रामानन्द अग्रवाल।

(स्थगित प्रश्न)
29-3-68
पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी भाषा

948. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में विश्वविद्यालयों के छात्रों ने अंग्रेजी भाषा की पाठ्यक्रमों में अनिवार्य समाप्त करने के लिए मांग की थी ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय इस मांग को मंजूर किए जाने के पक्ष में था।

(3) क्या यह सही है कि छात्रों की मांग को सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं किया गया और किसी न किसी रूप में अंग्रेजी पढ़ना विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में अनिवार्य रखा गया है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में विश्वविद्यालयों को अपनी कोई राय दी थी ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? राज्य सरकार की इस संबंध में क्या राय है ?

(5) क्या राज्य सरकार प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता समाप्त करने के पक्ष में है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में कब कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) :
(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) राजस्थान एवं जोधपुर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् ने यह निर्णय लिया कि त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (कला, विज्ञान तथा वाणिज्य) में केवल प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में ही अनिवार्य अंग्रेजी रखा जावे और यदि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जावे तो आगे की कक्षा में जाने से न रोका जावे परंतु तृतीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम तब ही घोषित किया जावे जबकि विद्यार्थी उस अनिवार्य अंग्रेजी के पर्चे में पास हो जावे और उसके लिए उसे 6 मौके दिए जा सकते हैं। इस पर्चे तथा अन्य अनिवार्य

# Page No. 32



(शिवचरण माथुर)
विषयों के अंक विद्यार्थी के डिविजन निर्धारण के लिए नहीं जोड़े जाएँगे ?

(4) तीनों विश्वविद्यालयों का दिनांक 25-8-67 को मीटिंग में जो निर्णय लिया उसे ही राज्य सरकार ने अनुमोदन कर पालन करने को कहा। उसी के अनुसार कार्यवाही की गई जो ऊपर वर्णित की जा चुकी है।

(5) जी नहीं। फिलहाल इसकी अनिवार्यता समाप्त करने के पक्ष में नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने स्वयं ने अपनी राय इन तीनों विश्वविद्यालयों को यह नहीं दी कि अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाय ?

श्री शिवचरण माथुर : राज्य सरकार ने अपनी कोई राय नहीं दी। तीनों यूनिवर्सिटिज के वाईस चान्सलर को बुलाया गया था और उन्होंने यह महसूस किया कि टी० डो० सी० फर्स्ट ईयर में अंग्रेजी अनिवार्य रखी जाय और बाद में नहीं रखी जाय। यही अमल किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आखिरी प्रश्न के अन्त में यह बताया कि माध्यमिक स्कूलों में भी अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने की नीति नहीं है तो क्या यह रही है कि ऐसे कितने ही स्कूल हैं जिनमें हिन्दी की अनिवार्यता नहीं लेकिन फिर भी उनको कोर्ड से रिकोगनिशन हुआ है और वे एफीलियेटेड है-जैसे पब्लिक स्कूल ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जो सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल है वहां हिन्दी को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। पब्लिक स्कूल्स में भी हिन्दी आवश्यक रूप से पढ़ाई जाती है-यह मैंने निवेदन किया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान की मातृभाषा हिन्दी है और केन्द्र की सरकार ने जब यह संशोधन विधेयक स्वीकार किया कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों पर जबरदस्ती अंग्रेजी नहीं थोपी जाय तो उस नीति की अवहेलना राजस्थान सरकार क्यों कर रही है ? अनिच्छा से पढ़ाने के लिये क्यों बाध्य कर रही है ? जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते है, उनके उपर क्यों लादी जा रही है ?

श्री शिवचरण माथुर : केन्द्रीय सरकार का यह निर्णय नहीं है। रीजनल लेंग्वेजेज को समाप्त करने की बात है। अंग्रेजी ज्यादा जरूरी है। उसको अगर हम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में नहीं रखेंगे तो हमारे विद्यार्थी पिछड़ जायेंगे। आगे कुछ समय आने के बाद जब हिन्दी इतनी सक्षम हो जायगी—आज इतनी सक्षम नहीं है क्योंकि साईन्स में और टेक्नोलोजी में अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है। मैं समझता हूं कि उनको अगर ठीक प्रकार से न समझ सकने के कारण खतरा पैदा हो सकता है। और उसका भविष्य भी.........

श्री हीराभाई : (कुशलगढ़ सु०) दुनिया के तमाम देशों में अंग्रेजी को ऊंचा नहीं माना है।

श्री शिवचरण माथुर : क्या ?

श्री हीराभाई : दुनियां के तमाम देशों ने आपकी इस अंग्रेजी को ऊंचा नहीं माना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हीराभाई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : (कोटा) क्या यह सही है कि अन्य प्रान्तों में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है ?

श्री शिवचरण माथुर : अंग्रेजी अन्य प्रदेशों में नहीं केवल यू० पी० में ·· ····

एक माननीय सदस्य : बिहार में भी····

श्री शिवचरण माथुर : लेकिन वहां हमने अपने अधिकारियों को भेजा, वे यह महसूस कर रहे हैं कि आज जो विद्यार्थी आगे पढ़ना चाहता है, उसको अंग्रेजी का पढ़ाना आवश्यक है। आगे का सारा ज्ञान अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। हिन्दी को हम सक्षम बनायें, अच्छी पुस्तकों का निर्माण करें, हिन्दी इतनी समक्ष हो सके तभी जाकर आगे कुछ स्थिति इस प्रकार की पैदा हो सकती है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : 5 नम्बर में यह नहीं बताया कि कब तक आप इस अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर देंगे ? आपने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा में रखना जरूरी समझते है तो फिर क्यों....

श्री शिवचरण माथुर : समय का निर्धारण करना बड़ा कठिन काम है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हिन्दी को डवलप करें। उसके लिये भारत सरकार की 18 करोड़ की योजना है-रीजनल लेंग्वेजेज को डवलप करने की। वह राजस्थान में भी लागू करना चाहते है। हमने योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी है। हिन्दी में अच्छी पुस्तकों का निर्माण करें अच्छे साहित्य को बढ़ायें। बढ़िया पुस्तकों का अनुवाद करके हिन्दी को समक्ष बनाने की कोशिश करें और उसमें पूरा योगदान दें।

(श्री नत्थीसिंह व श्री भवरलाल : एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि 6टी क्लास से अंग्रेजी की अनिवार्य समाप्त करदें तो आज का 6टी क्लास का विद्यार्थी 6 साल बाद कालेज में जायगा तो आपने ऊपर यह पाबन्दी हो जाती है कि 5-6 वर्ष में यह सारी टेक्निकल एज्यूकेशन हिन्दी में कर देंगे तो क्या आपकी यह तैयारी नहीं है ? आगामी 6 वर्ष जिसमें केन्द्रीय सरकार एक करोड़ का बजट दे रही है, क्या आप हिन्दी को इतनी सक्षम नहीं बना सकेंगे ? जो अब स्टूडेन्ट 6टी क्लास में दाखिला ले वह नहीं पढ़े, क्योंकि उसकी शुरुआत होती है, उसमें आप बन्द कर दीजिये ताकि 6 वर्ष में अंग्रेजी समाप्त हो जाय।

श्री शिवचरण माथुर : यह हमारा प्रयास रहेगा।

श्री नत्थीसिंह : 20 साल में तो बहुत प्रयास रहा आपका ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। दौलतराम सारण।

श्री रामकिशन : आपका यह कहना कि हिन्दी सक्षम नहीं है, इसका क्या आधार है ?

श्री शिवचरण माथुर : 'सक्षम' मैंने हायर स्टेडीज के लिये कहा है। हायर स्टेडीज में अच्छा साहित्य उपलब्ध नहीं है, उसको पैदा करने के लिये प्रयत्न करना पड़ेगा और उसके आधार पर ही.......

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री कृष्णकुमार गोयल : हिन्दी का साहित्य अच्छा उपलब्ध हो सके, इसके लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । प्रश्न-कर्ता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार तीनों यूनिवर्सिटीज को बुलाकर हिन्दी के बारे में कोई यूनिफार्म पॉलिसी बनाने का विचार रख रही है ?

श्री शिवचरण माथुर : तीनों यूनिवर्सिटीज को हिन्दी के बारे में समय समय पर बुलाकर कोर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। पिछले साल निर्णय लिया गया था तब तीनों यूनिवर्सिटीज के वाईस चान्सलर्स को बुलाकर राय ली गई थी।

श्री नत्थीसिंह : आपने कहा हिन्दी सक्षम बने तब तक लागू नहीं कर सकते तो माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हिन्दी और अंग्रेजी में कितने कितने शब्द हैं, यह भी आपको मालूम है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ । आर्डर ।

श्री नत्थीसिंह : हिन्दी सक्षम नहीं, सक्षम नहीं कहते हैं। पता नहीं चलता आप कैसे कहते हैं कि सक्षम नहीं है.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी बतायें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री रामकिशन (बैर) : यह प्रश्न बहुत आवश्यक है।

श्री हीरा भाई : (अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : (अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह : शिक्षा मंत्री जी क्यों नहीं जवाब देते हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मंत्रिमण्डल के लोग हिन्दी नहीं जानते हैं, सारा रगड़ा तो यह है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री अध्यक्ष : (श्री रामचन्द्र आर्य के बराबर बोलते रहने पर) माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री आर्य।

श्री नत्थीसिंह : (अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : (अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : इस तरह को

# Page No. 35



(अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्य विवरण से निकाला गया) नहीं चलने वाली है। आपको क्या मालूम आप तो........

श्री अध्यक्ष : माननीय आर्य, कृपया ध्यान ग्रहण करें। एडजर्न किया जाय।

माननीय आर्य, सदन के नेता खड़े हैं। इस तरह मैं आपको मौका नहीं देना चाहता हूँ। कृपया ध्यान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सेकेन्डरी स्टेज पर शिक्षा के बारे में राजस्थान सरकार इस बात को मानने वालों में रही है कि हमें देश के एकीकरण और इन्टेगरेशन के लिहाज से थ्री लेंग्वेज फार्मूले को मानकर चलना चाहिये बजाय वन लेंग्वेज फार्मूले के। आज इसी दृष्टि से हिन्दी अंग्रेजी और संस्कृत इन तीनों भाषाओं को मानकर चला गया है। गो कि संस्कृत के बारे में भाषा के रूप में नहीं मान सकते यह विवाद चलता है। मैं समझता हूँ वह देश के लिये दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा जब कि प्रत्येक प्रदेश केवल एक ही भाषा के अन्दर शिक्षा देगा—

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप दक्षिण की भाषा सिखाइये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज आवश्यकता इस बात की है देश की एकता के लिहाज से इस देश के अन्दर हिन्दी, अंग्रेजी फोरिन लेंग्वेज को तौर पर माना जाता है, सिखाना जरूरी हैं। देश के विद्यार्थी को दुनियां के अन्य साहित्य का ज्ञान हो उसके लिये यह जरूरी है कि अंग्रेजी भाषा का उसे ज्ञान हो। और तीसरी भाषा को मानकर चलना होगा। आज अगर हम कहें कि हिन्दी भाषी प्रदेश हिन्दी को ही मानेंगे तो आज जैसा कि अन्य प्रान्तों में हो रहा है कि हम हिन्दी भाषा को नहीं पढ़ेंगे। हिन्दी भाषी प्रान्त के नाते हम थ्री लेंग्वेज फार्मूले के तौर पर काम करें तो मैं समझता हूँ जहां हम हिन्दी भाषा के प्रति अपनेपन का तकाजा है वहां हमें देश की एकता का भी ध्यान रखकर चलना होगा और इसी दृष्टि से हमें शिक्षा के लिये कौनसी नीति को अपनाना चाहिये यह सोचना होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : देश को इन्टीग्रेट रखने के लिये आवश्यक है कि हम थ्री लेंग्वेज फार्मूला को लागू करें। लेकिन जिस प्रकार मुख्य मंत्री जी ने कहा वे अभी तक थ्री लेंग्वेज फार्मूले को यहां लागू करना नहीं चाहते। वे अंग्रेजी की अनिवार्यता लागू रखना चाहते हैं। यह ठीक है कि दक्षिण में इस भाषा के कारण रोष है जब हम उन पर हिन्दी लादना चाहते हैं तो वह रोष होगा अगर हम अपने यहां दक्षिण की किसी भाषा को पढ़ाना आरम्भ कर दें संस्कृत की बजाय तामिल या तेलगू को पढ़ायेंगे तो हम अपने बच्चों को ये भाषायें सिखायेंगे। आप अंग्रेजी को रखना चाहते हैं विन्डो के रूप में तो इसे आप ओप्शनल रखिये। यह जरूरी नहीं कि इसको लड़के लें ही। आज यही कारण है कि डिसइन्टीग्रेशन हो रहा है। आप इन्टीग्रेशन के नाम पर अंग्रेजी को अनिवार्य रख रहे हैं यह कभी बरदाश्त करने वाले नहीं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** सरकार की तरफ से जो यह कहा जा रहा है कि हम इसी नीति पर चलेंगे यह नीति हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन, जो नीति के रूप में राष्ट्रभाषा के बारे में था, के विरुद्ध है। इस प्रकार की नीति की मैं तीव्र रूप से भर्त्सना करता हूँ।

(इसके बाद का भाषण माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दिये आदेश के अनुसार लिखा नहीं गया)

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** मैंने जो हिन्दी और संस्कृत के बारे में कहा है उसको माननीय सदस्यों ने गलत समझा है और अंग्रेजी के बारे में भी जो हमारी नीति है उसको गलत समझा है। हम अंग्रेजी को हिन्दी के बजाय ज्यादा महत्व देना चाहते हैं यह कहना सही नहीं है जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने बताया हमने अंग्रेजी फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० तक रखी है और फर्स्ट ईयर में इंगलिश में फेल हो जाने के बाद भी उसको रोका नहीं जायगा, सेकण्ड ईयर में उसको ले लेंगे लेकिन अंग्रेजी में पास होने के लिये तीन अपोर्चुनिटीज दी गई हैं लेकिन जहां दूसरी तरफ यदि हिन्दी में कोई फेल हो जाता है तो उसको डिटेन कर देते हैं इसी से आपको पता चल जायगा हम किसको महत्व दे रहे हैं। इसी को आप यह समझें कि हमारा बेकवर्ड स्टेप है तो आप भले ही यह मानें।

इसके साथ साथ यदि तीसरी भाषा के रूप में हम तामिल को तेलगु या दक्षिण की किसी भाषा को अपनाते हैं तो यह तो और भी अच्छी बात होगी लेकिन जब तक यह नहीं अपनाते तब तक जो हमारे यहां क्रम चला आ रहा है उससे पीछे तो न चले जांय। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस विषय में गहराई के साथ सोच समझ कर निर्णय करें।

**श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) :** आप अंग्रेजी पढ़ाना बन्द क्यों नहीं करते ?

**श्री रामकिशन (वैर) :** अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की बात सुनकर मुझे आभास हुआ राज्य सरकार पुरानी अक्ल से काम कर रही है। सबसे पहली बात जिस पर मुझे आपत्ति है वह यह है कि हिन्दी को अभी भी अक्षम भाषा मानकर चला जा रहा है जब कि अंग्रेजी के शब्द कोष में केवल ढाई लाख ही शब्द हैं और हिन्दी में छः लाख शब्द हैं।

**श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) :** मैंने यह नहीं कहा कि हिन्दी अक्षम भाषा है....

**श्री रामकिशन :** शिक्षा मंत्री जी आप जरा सुनिये, एक बार आप विराजिये। मुझे अफसोस इस बात का नहीं हुआ कि जब उन्होंने इसको अक्षम भाषा कहा....

**कई माननीय सदस्य :** हिन्दी भाषा को जो अक्षम कहा है वह शब्द उनको वापिस लेने चाहिये।

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** मुख्य मंत्री जी आप अभी तक हिन्दी भाषा को सक्षम नहीं मानते यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष : माननीय गाड़ियाजी ! रामकिशन जी बोल रहे हैं। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से आज से पूर्व, बीस साल पहले, जिस चीज को कहा करते थे कि हिन्दी भाषा सक्षम नहीं है उसी की आड़ में अंग्रेजी को थोपते रहे आज भी वही सरकार का रुख है। वे हिन्दी को सक्षम कभी नहीं मानेंगे और तब तक अंग्रेजी को चलाते रहेंगे। मुझे खेद है कि यह हमारी सरकार का कदम देश की भाषा नीति के बारे पीछे ले जाने वाला कदम है। जहां तक संस्कृत का सवाल है वह कभी लोकभाषा नहीं रही सामन्ती और ब्राह्मणों की भाषा रही है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूँगा····

एक माननीय सदस्य : संस्कृत सार्वजनिक भाषा रही है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जिस समय संस्कृत शासकों की भाषा थी उस समय आम लोग पाली बोलते थे। आम लोग जब हिन्दी बोलने लगे तो शासक वर्ग ने उर्दू को प्रोत्साहन दिया। इसी तरह से आज सामन्ती लोग अंग्रेजी को प्रोत्साहन दे रहे हैं जब कि आम लोगों की भाषा हिन्दी है। इस तरह से हमेशा विदेशी भाषा को राज्य का आश्रय रहा है। इसी प्रकार की नीति राज्य सरकार अपना रही है। आप मध्य प्रदेश की सरकार की तरह अंग्रेजी हटाने के लिये ठोस कदम नहीं उठा सकते। ऐसी हालत में मैं इस नीति में सहयोग नहीं दे सकता इन्हीं शब्दों के साथ सरकार की इस भाषा नीति पर रोष प्रगट करता हुआ अपनी पार्टी के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री रामकिशन व उनके दल के अन्य सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, भाषा के बारे में वाद-विवाद पैदा करना उचित नहीं है। भाषा के सम्बन्ध में विवाद पैदा करके देश को खंडित करना उचित नहीं मानता। मेरी मान्यता के अनुसार भाषा के सम्बन्ध में विषद दृष्टिकोण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने बच्चे को जो भी भाषा पढ़ाना चाहे उसको सुविधा होनी चाहिए। आप तीन का फार्मूला मानते हैं तो अंग्रेजी की अनिवार्यता क्यों रखते हैं, दक्षिण की किसी भाषा को रखिये—संस्कृत रखिये, हिन्दी की अनिवार्यता रखियेगा। जिसको संस्कृत पढ़ाना हो वे संस्कृत पढ़ा सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी की अनिवार्यता रखकर यह मजबूरन साबित करना चाहते हैं कि जबर्दस्ती अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ायें। इस तरह से आप जो हिन्दी लेंग्वेज लादना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। आपको दुनियां की अन्य भाषा के प्रति आकर्षण है तो आप अन्य समृद्ध भाषायें फ्रेंच, रशियन, जर्मन भाषा में से किसी को पढ़ा सकते हैं। अंग्रेजी की केटेगरी में इन भाषाओं को भी रखिये।

हिन्दी को सक्षम भाषा नहीं मानना यह भाषा हित से विरुद्ध है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है हिन्दी की अनिवार्यता को मजबूत किया जाय और अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया जाय। मैं अंग्रेजी को जबर्दस्ती से लादने के विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री दौलतराम सारण द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : (श्री केदारनाथ के बोलने के लिए खड़े होने पर) माननीय सदस्य ! यदि वाक आऊट करने की स्थिति में है तो आपके भाषण को लेना या न लेना यह आसन के ऊपर है आप विस्तृत भाषण न करे।

श्री केदारनाथ : लम्बा भाषण नहीं दूंगा।

मैं थ्री लैंग्वेज फार्मूला को मानता हूं। मैं यह भी मानकर चलता हूं कि आने वाले वक्त में कोई साउथ की लैंग्वेज अनिवार्य रूप से यहां पढ़ाई जानी चाहिए युनिवर्सिटी लेवल पर।

अंग्रेजी के बारे में जो मेरे समाजवादी दोस्तों ने कहा सही नहीं है। अगर हमारे स्टूडेण्ट्स को इन्टरनेशनल फेनो ऑफ करेन्ट नौलेज से आइसोलेट करना चाहते हैं तो समाप्त कर दें। नहीं तो किसी न किसी रूप में इसे आप रखिये। पर अनिवार्य रूप से इसको रखना भी जरूरी नहीं है। आपकी इस नीति के विरोध में मैं वाक आउट करता हूं।

(श्री केदारनाथ द्वारा बहिर्गमन)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं निवेदन करूंगा कि देश की एकता और अखण्डता का जहां तक सवाल है सब इसमें विश्वास रखते हैं कुछ उन लोगों को छोड़कर जिनकी मान्यतायें चीन और पाकिस्तान के साथ हैं।

देश की एकता और अखण्डता के लिए भाषा का अहम प्रश्न है। हमारा दल यह भी मानता है कि किसी भाषा को किसी पर थोपे जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो अहिन्दी भाषी प्रान्त हैं उनको समय दिये जाने की आवश्यकता को भी हमारा दल आवश्यक मानता है।

पर जहां तक राजस्थान का प्रश्न है। वह एक हिन्दी प्रदेश है। यहां अगर शिक्षा मन्त्री यह कह कर चलें कि हिन्दी किसी प्रकार से सक्षम भाषा नहीं है और यह आड़ लेकर अंग्रेजी को जारी रखने की षड़यन्त्र रचना चाहें तो यह उनका कृत्य अत्यन्त निन्दनीय हैं खेदजनक हैं।

साथ साथ विरोधी दल के एक नेता का यह कहना कि संस्कृत भाषा सामन्तों की भाषा है यह भी खेद की बात है।

श्री अध्यक्ष : आगे का कदम कह दीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो राजस्थान के शिक्षा मन्त्री के इस कथन की कि हिन्दी सक्षम भाषा नहीं है, मैं घोर भर्त्सना करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ पहले स्पष्टीकरण हो जावें। मुख्य मन्त्री ने खण्डन कर दिया ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री अध्यक्ष : बाद में एक साथ कर देना। सदन में कितने रहते हैं, अवशेष यह देख लें पहले।

# Page No. 39



**श्री भैरोंसिंह** : पहले यह स्पष्टीकरण हो जाय कि जो उन्होंने यह कह दिया कि हिन्दी सक्षम भाषा नहीं है यह कोई उनका क्लिप ऑफ टंग था या जानबूझकर विचार पूर्वक यह उन्होंने कहा था। इस पर आपत्ति है बड़ी सदन के सदस्यों को।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ! मैं, जानना चाहूंगा कि आप वाक आउट करने के मूड में हे ?

**श्री भैरोंसिंह** : वाक आउट करने का मूड अभी तो नहीं है। इस मूड के सम्बन्ध में तो मन्त्री महोदय का स्पष्टीकरण पर निर्भर होगा।

**श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल जयपुर)** : मुझे भी दो मिनट का अवसर मिलना चाहिए।

इस भाषा के प्रश्न को लेकर शिक्षामंत्री के ध्यान में यह बात जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार आज आप हिन्दी भाषा को दुर्बल और अंग्रेजी भाषा को सबल मानकर चलते हैं आप इस अंग्रेजी साहित्य के पिछले इतिहास का अवलोकन करने की कृपा करें। अगर करेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि लेटिन, ग्रीक, हिब्रु से मिलकर यह भाषा बनी है। अब आप इसको तो सरल बताते हैं और हिन्दी को दुरूह बताते हैं।

मैं यह भी मानने को तैयार नहीं कि संस्कृत जनता कि भाषा नहीं है। इस देश के बौद्ध धर्म को आप उठाकर देख लें....

**श्री अध्यक्ष** : हां, यह बात। माननीय सदस्य अब धर्म पर भी आ गये।

**श्री दुर्गालाल बाढदार** : तो मैं बताना चाहता हूं कि एक मात्र संस्कृत भाषा ऐसी थी।

**श्री अध्यक्ष** : सुनने वाले नहीं हैं यहां पर।

**श्री दुर्गालाल बाढदार** : जो इस देश में सर्वत्र बोली और समझी जाती थी। और प्रचार का उस समय एक मात्र साधन थी।

तो आज आप हिन्दू हैं अर्थात हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं तो जैसे हिन्दी का है नहीं हिन्द को अनुराग, निश्चय उसका जानिये फूट गया है भाग्य।

**श्री शिवचरण माथुर** : अध्यक्ष महोदय मैंने जब सक्षम वर्ड यूज किया है तो इसका साफ मतलब यह है कि आप प्रीसीडिंग्स उठाकर देख लें साइन्स और टेकनोलोजी में किताबें उपलब्ध नहीं हैं। इस अर्थ में इस शब्द को यूज किया है।

यह सही है कि हम अण्डर ग्रेजुएट स्तर पर किताबें बना सकें हैं। पर पोस्ट ग्रेजुएटों के लिए आज भी हमें अंग्रेजी किताबों का सहारा लेना पड़ता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हिन्दी का प्रेम माननीय सदस्यों में है उससे कम मुझ में नहीं है। हिन्दी से जितना अनुराग माननीय सदस्य रखते हैं उससे कम मैं भी नहीं रखता हूं। हिन्दी का अपमान करना या इसे अक्षम बताना मेरा मतलब नहीं है। पर वास्तविकता है कि किताबों का अभाव है साइन्स और टेकनोलोजी में। हिन्दी

(श्री शिवचरण माथुर)
भाषा में इन पुस्तकों का निर्माण करने के लिए सर्वांगीण योजना बननी चाहिये। हमने इसके लिए भारत सरकार को भी कहा है।

श्री अध्यक्ष : निर्माण हो भी रहा है।

श्री भैरोंसिंह : यह रफ्तार और प्रगति असन्तोष जनक है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : साइन्स और टेकनोलोजी में हिन्दी के शब्द उपलब्ध नहीं हैं तो इसके लिए मैं पूछना चाहता हूं दोषी कौन हैं? आज तक इतने वर्षों में आपने क्या किया? आज बीस साल तक सेन्टर में और देश के सारे प्रदेशों में कांग्रेस का अक्षुण राज्य रहा क्या अब तक आप यह नहीं कर सकते थे?

मैं दूसरे प्रश्न को लेता हूं। हिन्दी के बारे में यह कहना कि यह सक्षम नहीं बन पाई।

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

श्री भैरोंसिंह : इस सरकार की तरफ से इसे सक्षम बनाने के लिए आज तक क्या प्रयास किया गया? कोई प्रयास नहीं किया गया। मैं देखता आया हूं कि आरम्भ से आज तक हमारी सरकार एक ही भाषा में बोलती आई है कि साइन्स और टेकनोलोजी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसमें किसी प्रकार की पुस्तक नहीं है। पुस्तकों का प्रकाशन नहीं करवाया। तो इस बोलने का अन्त कब तक होगा।

मुख्यमन्त्री जी यह तो बतायें आपका इसे सक्षम बनाने का फेज्ड प्रोग्राम क्या है? भारत सरकार ने जो आश्वासन दिया है तो कब तक इस दृष्टि से हिन्दी भाषा सक्षम हो जावेगी? इस सम्बन्ध में कोई प्रोग्राम आपके पास है या नहीं है?

श्री अध्यक्ष : श्री सारण। अन्य प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह : सारण नहीं, अभी तो हिन्दी है। मुख्य मंत्री से इसका जवाब दिलवाया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अखिल भारतीय आधार पर हिन्दी का इस प्रकार का साहित्य तैयार हो, जो सब प्रदेशों के लिये एक सा हो सके और लागू हो सके प्रयत्न किया जा रहा है। यह मैं मानता हूं कि इसमें ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है जिससे यह काम जल्दी हो सके।

इस दृष्टि से शिक्षा मन्त्री ने कहा था अलग अलग शिक्षा के खण्ड रक्खे गये हैं। यह काम ज्यादा तेजी से किया जाना चाहिये चाहे ट्रांसलेशन का काम हो, शब्दों के चयन का काम हो ताकि साइंस और टेक्नोलोजी में ये सारी चीजें उपलब्ध हो सकें। ज्यादा काम करने की जरूरत है, इसमें दो राय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिये कर क्या रहे हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम जो अपने लेवल पर कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कई चीजें हैं जैसा मैंने निवेदन किया है इस काम को सेन्टर और स्टेट सभी को मिलकर करना पड़ेगा। कमेटी है इसके लिये जिसका काम होगा कि सारी स्टेट के लोगों से मिलकर इस साहित्य का निर्माण करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सारण ।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : तो आपके इस कथन से तो हम यह मानकर चलें कि इस स्टेट में कोई स्टेप नहीं लिया जावेगा जब तक अन्य प्रदेशों से मिलकर अखिल भारतीय स्तर पर कुछ न बन जावे ? तब तक आप भी यहां पर अंग्रेजी लादी रखना चाहते हैं। यह सरकार का रवैया बहुत ही लज्जा-जनक है ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सारण ।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, पर उनके इस टालमटोल जवाब से ऐसा लगता है ये लोग राष्ट्रभाषा के प्रति दुर्भावना रखते हैं ।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया अखिल भारतीय स्तर पर.......

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : बीच में इन्ट्रप्शन के लिए क्षमा करें । हम जो कर सकते हैं वह करेंगे । यह भिन्न राय का या मतभेद का प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न यह है कि हिन्दी स्पीकिंग स्टेट हैं जो और जो हिन्दी स्पीकिंग स्टेट नहीं हैं उनके दोनों के जॉइन्ट एफर्ट्स से और यह प्रयत्न होता है और कोई चीज बनकर सब समान रूप से ग्रहण करते हैं तो यह सबके पसन्द करने लायक बात है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट इसमें मदद देकर यह काम करवाती है कि एक टरमिनोलॉजी हो सकती । तो हम यह चाहें कि हम अलग प्रयत्न करें इसके बजाय जॉइन्ट एफर्ट होता है तो इसमें ज्यादा मत-भेद की बात तो रहती नहीं है । सवाल यह है कि यह जॉइन्ट एफर्ट भी जल्दी से होकर प्रयत्न यह किया जावे कि इसका नतीजा जल्दी निकले । इस बारे में मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम भी जरूर यह देखेंगे कि जल्दी से जल्दी सारे सब्जेक्ट्स पर साइन्स और टेक्नोलॉजी में भी किताबें तैयार कर लें । लॉ के लिये भी तैयार करें जिससे पूरे तौर से इसे एक्सेप्ट किया जा सके ।

**श्री भैरोंसिंह** : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम हिन्दी प्रदेश के रहने वाले हैं पर हमने ही हिन्दी को जबर्दस्त आघात पहुंचाया है । 20 वर्ष निकल गये पर आज भी इनकी यही शिकायत है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में किताबें नहीं मिल रहीं हैं ये कसूर किसका है ? क्यों नहीं मिल रही हैं ? ये पुस्तकें आप 20 साल में तो इससे भी अधिक काम कर सकते थे अगर करना चाहते और ईमानदारी से करते तो ।

आप हिन्दी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं । अर्से से रहे हैं और अगुआ बनकर प्रशंसा प्राप्त करने की आपने कोशिश भी की है यह कहकर कि प्रशासन में जल्दी से हिन्दी ला रहे हैं । आपने इसकी एक टारगेट डेट फिक्स की। प्रशंसा हुई इसकी सब जगह । पर मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि वह टारगेट भी इम्प्लीमेन्ट हुआ या नहीं अभी इसके विवाद में मैं नहीं जाना चाहता ।

पर यह पूछना चाहता हूँ कि आप यह बात वर्षों से कहते आये हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में किताबें नहीं मिल रही हैं हिन्दी में इसलिये अंग्रेजी अनिवार्य है तो या तो यह मानकर चलिये कि हिन्दी प्रदेश के आप मुख्य मंत्री नहीं हैं, या होने की योग्यता आपमें नहीं है या हिन्दी के प्रति आपका उत्तरदायित्व आता था उसको आपने बोझ

(श्री भैरोंसिंह)

वर्षों तक नहीं निभाया । अब आप किस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं? वह भी प्रयास आप नहीं सेन्टर कर रही है। यह प्रयास भी कब तक सफल होगा, कब तक इन कोषों की रचना होगी, कब तक पुस्तकें तैयार होंगी और कब प्रकाशन होगा? इसका न आपके पास कोई फेज्ड प्रोग्राम है न आपके कथन के अनुसार सेन्टर के पास है हमेशा एक ही स्वर में नपे तुले शब्दों में कह दिया जाता है प्रयत्न कर रहे हैं। और हमेशा एक ही भाषा बोलकर कि हिन्दी अभी सक्षम नहीं बन पाई है। आप हिन्दी लाना नहीं चाहते, अंग्रेजी थोपी रखना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा हिन्दी प्रदेश के मुख्य मन्त्री होने के नाते और प्रदेशों के मुकाबले में हिन्दी के प्रश्न पर आप पर अधिक दायित्व आता है। आज आप अपने उपर दायित्व लेकर हिन्दी पर ही आरोप लगाये जा रहे हैं कि यह अभी सक्षम नहीं हुई। इस तरह से हिन्दी की मखौल करने के लिये आप हिन्दी प्रदेश के मुख्य मन्त्री नहीं बने हैं। आपकी इस दब्बू नीति और ढीली नीति का परिणाम है कि आज राजस्थान में ही नहीं, सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में हिन्दी के प्रचार करने के लिये ढिलमिल नीति अपनाई जा रही है। हिन्दी का प्रसार और प्रचार हो यह आगे बढ़े और अपना स्थान ले और जनता की आवाज को सबल बनावे इसके लिये राजस्थान को अगुआ बनकर हिन्दी को तुरन्त लागू करने की और अंग्रेजी को समाप्त करने की आवश्यकता है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप अंग्रेजी भाषा को आवश्यक समझते हैं तो कितने समय तक इसको रखना चाहते हैं?

श्री भैरोंसिंह : अनन्त काल तक।

श्री मूलचन्द डागा : आप कब तक चाहते हैं कि अंग्रेजी अनिवार्य रूप से जारी रहे। कहिये न कि दस साल या बीस साल। कब तक रखना चाहते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा मैंने पहले कहा अंग्रेजी की अनिवार्यता की बात अभी टी. डी. सी के फर्स्ट ईयर तक रखी है। इसके आगे अनिवार्य नहीं रखी गई। अगर नीचे के लेवल पर भी नहीं रखी जावे तो थ्री लैंगवेज फार्मूला में भी और हिन्दी में सारा साहित्य निर्माण कर लें तब भी जरूरत रहेगी कई दृष्टियों से अंग्रेजी की। इसलिये अंग्रेजी को कहीं रक्खें ही नहीं पढ़ाने में तो इससे कठिनाई होगी। ऊपर के लेवल पर हिन्दी में जो चाहें करना करें। दूसरे सबजेक्ट में करना चाहे, साईन्स मैडिसन में टक्नोलोजी में तो उनके लिये साहित्य-निर्माण का सवाल है। तो इसके लिये यह कह सकता हूं कि जहां हमारी तरफ से दूसरी स्टेटों पर जो हिन्दी भाषी हैं उन पर भी जोर डालने का कहने का प्रश्न है हम प्रयत्न करेंगे जिससे जल्दी हो सके।

साथ ही हमें इस बात को भी ध्यान में रख कर चलना होगा कि राजस्थान आइसोलेटली वर्क नहीं करता है। सारे हिन्दुस्तान के एज्यूकेशन के पैटर्न के साथ हमारे यहां स्टूडेन्ट फिट हों इस बात को भी लाइट में रख कर चलना चाहते हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अगर राज्य सरकार अंग्रेजी का प्लान वाक आउट करेगी तो में अंग्रेजी के शब्दों से ही अंग्रेजी को नॉक आउट करके वाक आउट करता हूं।

(श्री विजयसिंह द्वारा बहिर्गमन)

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य। प्रश्न संख्या 791.

स्थगित प्रश्न

(2-3-68 व 30-3-68 व 4-4-68)

791. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चुरू जिले में बीकानेर-देहली रेलवे लाइन पर जिस समय यह रेलवे लाइन बनी थी (बीकानेर स्टेट रेलवे) तब से पारण द्वार (फटक आम रास्ता) चार चार स्लीपर रेलवे द्वारा लगा कर बनाये हुए थे जो जनता के आवागमन की सुविधा के लिए थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे सब पारण द्वार रेलवे विभाग द्वारा लगभग चार पांच वर्ष पूर्व एकाएक खाइयां लगाकर बन्द कर दिये गये जिससे आम जनता के आवागमन का माध्यम बिल्कुल रुक गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि जन-सामान्य की उक्त कठिनाई को मद्दे-नजर रखते हुए पंचायत समिति, श्री डूंगरगढ़ व जिला परिषद्, चूरू द्वारा इस कठिनाई के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री, राजस्व मन्त्री तथा यातायात सचिव को कई बार लिखा गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि रेलवे ने ऐसे रास्तों को डी० श्रेणी के रास्ते मानकर बन्द किये हैं जिन पर बैलगाड़ी, गाड़ी, मोटर आदि नहीं चल सकें जब कि ये रास्ते डी श्रेणी के कभी नहीं रहे हैं व हर प्रकार की गाड़ियां आदि के लिए सदैव खुले रहे हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, श्री डूंगरगढ़ ने ऐसे तमाम बन्द पारण द्वारों की सूची भी राज्य सरकार को पेश की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या यह भी सही है कि उत्तर रेलवे के साथ राजस्थान सरकार का यह निर्णय है कि ऐसे रास्तों के लिये राजस्थान सरकार अपनी राय देगी तथा जिन रास्तों की सूची राजस्थान सरकार पेश करेगी वे ही रास्ते उत्तरी रेलवे खोलेगी ? यदि हां, तो उक्त रास्तों की सूची उत्तर रेलवे को प्रस्तुत कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(7) क्या राज्य सरकार रेलवे लाइन के दोनों ओर बसने वाले गांवों और कस्बों के निवासियों के आवागमन व यातायात में आने वाली प्रतिदिन की इस गम्भीर कठिनाई को महसूस करके इसका निवारण करना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(8) क्या यह भी सही है कि ऐसे अधिकाश रास्ते एक गांव से दूसरे गांव जाने

(श्री दौलतराम सारण)

कि, जलाशयों पर जाने के, खेत खलिहानों पर जाने के हैं जो समय समय पर हुई पैमाइशों में राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ते दर्ज हैं, परन्तु जहां रेलवे लाइन क्रासिंग होती है वहां पर ऐसे रास्तों को परिभाषा चाहे कुछ भी हो बन्द कर दिये गये हैं ?

(9) चुरू से लेकर बैलासर स्टेशन तक की कितनी दूरी है और इस दूरी पर कितने रास्ते रैलवे द्वारा खोले हुए हैं ? ऐसे रास्तों की संख्या जो रेलवे यार्डों से बाहर खुले हुए हैं प्रत्येक रास्ते की दूरी सहित बतलाई जावे ?

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री शिवचरणसिंह) : (1) ऐसे स्थानों की दूरी सूची तो राज्य सरकार के पास नहीं है लेकिन बहुत से स्थानों पर ऐसी व्यवस्था थी।

(2) रेलवे द्वारा इस प्रकार पारण द्वारा बन्द किये जाने की शिकायत सितम्बर, 1966 में राज्य सरकार को प्राप्त हुई।

(3) जी हां। डूंगरगढ़ पंचायत समिति ने इस प्रकार के पत्र लिखे थे इस पर राज्य सरकार रेलवे बोर्ड से पत्र-व्यवहार कर रही है।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) उत्तरी रेलवे व सरकार के बीच इस सम्बन्ध में कोई लिखित निबन्ध उपलब्ध नहीं है।

(7) जी हां। इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार जारी है।

(8) इस प्रकार की जांच अभी तक नहीं की गई है।

(9) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं मानते हैं कि कई वर्षों से यह मामला चल रहा है और लोग आवागमन की समस्या से पीड़ित हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद् प्रस्ताव भेज रही है लिखापढ़ी कर रही है। रेलवे विभाग ने उनको यह सूचना दी है कि राज्य सरकार ने समझौता किया है बी श्रेणी के जो रास्ते हैं राज्य सरकार ने लिखकर भेजा है पूरे कर दिये हैं। पर यह डी श्रेणी के रास्ते मानते हैं इसलिये आवागमन के लिये पैदल लोगों को तो इजाजत देती है पर आदमी तो चाहे जहां से जब चाहे आ जा सकता है। पर यह रेवेन्यू रिकार्ड में कटा हुआ रास्ता है यातायात के लिये खुला होना चाहिये पर इसको खाइयां लगाकर बन्द कर रखा है। राज्य सरकार से पिछले सात साल से पंचायत समिति और जिला परिषद् लिखापढ़ी कर रही है और प्रयास कर रही है पर राज्य सरकार रेलवे विभाग से इस सम्बन्ध में जो उनका हिस्सा है वह हिस्सा देकर कार्य को करना नहीं चाहती है। यह रेलवे से उत्तर मिला है। रेलवे विभाग कहता है कि आधा हिस्सा राज्य सरकार दे तब हम उन रास्तों को बनावें। ऐसा ही एग्रीमेन्ट है। और राज्य सरकार अपना आधा हिस्सा नहीं देती क्या यह सही है ?

श्री शिवचरण सिंह : यह काम रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। हम हिस्सा देंगे। राज्य सरकार तैयार है पर रेलवे बोर्ड से परामर्श करना आवश्यक है।

# Page No. 45



श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार तैयार नहीं है। इस आशय का रेलवे का पत्र है हमारे पास। आप तैयार हों तो वे तैयार हैं। किन किन रास्तों को सी श्रेणी का डिक्लेअर करवाना चाहती है। अगर राज्य सरकार इसकी लिस्ट भेजकर आधा हिस्सा देने को राजी होगी तो रेलवे बोर्ड तो तैयार है।

श्री शिवचरण सिंह : क्या नीति थी, इसके बारे में पुराना रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है। जांच करने के बाद में देखा जावेगा कि किस श्रेणी में हैं ये रास्ते फिर रेलवे बोर्ड से बात करके कोशिश की जावेगी।

श्री दौलतराम सारण : यह तो टालने की बात हुई। दस लाख लोगों के आवागमन का सम्बन्ध है इससे। रास्ता रेलवे ने रोक रखा है और राज्य सरकार ध्यान नहीं देती। कहती है जांच करवा रहे हैं। काहे की जांच कर रही है ?

(9 48 म. पू.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

रेलवे ने हमें लिखा है आधा हिस्सा राज्य सरकार देने को तैयार है तो वे रास्ता बनाने को तैयार हैं। आप आधा हिस्सा देने को तैयार हैं, फिर जांच किसकी ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : लोगों को बहुत वर्षों से तकलीफ है और राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में आपस के झगड़े से मामला तै नहीं हो रहा है। तो इसके लिये सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। मन्त्री जी खुद जाकर मालूम कर लें कि लोग कितने परेशान होते हैं वहां।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला यहां तक पहुंच गया कि भादरा कस्बा है सड़क पक्की बनी है। पचास फुट गढ़े के नीचे से लोग गुजरते हैं। पी० डब्लू० डी० मन्त्री जी से सवाल किये हैं, यातायात मन्त्री जी से पूछा है पर आज तक रास्ता ठीक नहीं बना है गोगामेढ़ी-भादरा का। इसी तरह से गंगानगर जिले में हर एक कस्बे में रास्ते रोके हुए है। यह दस हजार का ही सवाल नहीं है। बीकानेर डिवीजन में सारी सड़कों का रास्ता रेलवे वालों ने रोक रखा है। इसका मुख्य कारण सरकार की लापरवाही है। आप अपनी कोठियों में मौज शौक करते हैं। नींद में पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी। कृपया स्थान ग्रहण करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। यह शिकायत आम है। राजस्थान की सरकार एक ही दल की सरकार है और सेन्टर में भी उसी दल की कांग्रेस की सरकार है। देश में दोनों सरकारें एक ही दल की हैं।

इसमें दोनों का सामन्जस्य होना अत्यंत आवश्यक है। यह लाखों आदमियों के पीड़न और तकलीफ का सवाल है और यह सामान्य प्रशासनिक समस्या है। अगर आप इसको भी नहीं सुलझा सकते तो यह आपके प्रशासन के ऊपर एक लांछन है न कि दूसरा कारण हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सिम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव

(महाराजकुमार श्री लक्ष्मणसिंह)

मैटर को सहानुभूतिपूर्वक शीघ्रातिशीघ्र हल करने की कोशिश करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह सवाल ज्यादा मुख्य मंत्री महोदय से संबंधित है क्योंकि इसका सेन्टर और स्टेट दोनों से ताल्लुक है और यह केवल बीकानेर का ही नहीं बल्कि सब जिलों में कम और वेशी जहां भी रेल्वे है इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। पुरानी स्टेट्स के क्या एग्रीमेन्ट्स हैं रेल्वे बोर्ड से उसकी भी वेलेडिटी नहीं है। आज बहुत सड़कें बन रही हैं और नये नये रास्ते बन रहे हैं और बहुत विकास हो रहा है। ऐसी स्थिति में नई-नई प्रॉब्लम्स नये-नये पैमाने पर खड़ी हुई हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से इसका ताल्लुक नहीं है इसलिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को कोई। दिक्कत नहीं है। स्थानीय जनता को दिक्कतें हैं क्योंकि हमारे रास्ते ब्लाक हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमेन्ट को उसका खर्चा जितना पर्सेन्टेज है उसको वहन करना चाहिए और नीति के रूप में मुख्य मंत्री जी को इस बारे में घोषणा करनी चाहिए और माननीय सदस्य ने जो भी इस प्रश्न के जरिये ध्यान आकर्षित किया है उसके ऊपर फिर सरकार द्वारा कार्यवाही करने का आश्वासन दिया जाना चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं यही निवेदन कर सकता हूँ इस संबंध में कि यह प्रश्न एक ही जगह का नहीं है कई जगहों का है और इसमें लाखों रुपयों के खर्च का सवाल है। तो पी० डब्लू० डी० के अन्दर जितना बजट रखा गया है उसमें कई जगहों की सड़कों की आवश्यकता है, मिसिंग लिंक की आवश्यकता है वह पूरी नहीं की जा सकती है उतने बजट में। तो इसमें फण्ड्स का सवाल है और जब फण्ड्स हमारे पास हों तब इस काम को हाथ में लिया जा सकता है। क्योंकि रेल्वे मिनिस्ट्री की पॉलिसी है कि रेल्वे ट्रेक के ऊपर जो ब्रिज का पार्ट आता है उसका वह खर्चा उठाते हैं और बाकी के प्लेक्स वगैरह का खर्चा स्टेट गवर्नमेन्ट को उठाना पड़ता है। तो उस एक्सपेन्डीचर को जब वर्क आउट किया था तो बहुत खर्चा आता है। इसलिए यह काम हाथ में नहीं ले पा रहे हैं और ज्योंही पैसे की सुविधा होगी इसको हाथ में लिया जायेगा.......

श्री रामचन्द्र आर्य : फिर सड़कें बनाने से क्या फायदा ? भाखरा का स्टेशन आपने देखा है और वहां पर 50-50 फुट गड्ढे है और लोगों की जान जाने का खतरा है। उससे फिर क्या फायदा सड़कें बनाने से ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे अपनी बात पहले पूरी कर लेने दीजिए। कहीं एक दो क्रॉसिंग्स आ जाते हैं और सड़क नहीं बनानी चाहिए और पहले क्रॉसिंग बनाना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि सभी जानते हैं कि रेल्वे क्रॉसिंग के मुकाबले में सड़क पहले बननी चाहिए चाहे कुछ दिक्कत क्रॉसिंग पर उठानी भी पड़े तो उसको सहन करना चाहिए। जब फण्ड्स की सुविधा होगी तो उनको भी हाथ में लेंगे।

श्री दौलतराम सारण : मुझे बहुत दुख हुआ माननीय मुख्य मंत्री महोदय का उत्तर सुनकर। पंचायत समिति और जिला

(श्री दौलतराम सारण)
परिषद पिछले 7 वर्षों से पत्र-व्यवहार कर रही है और कई पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखे हैं, राजस्व मंत्री जी को लिखे हैं, यातायात सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को और सैकड़ों पत्र लिखने के बाद आज 7 वर्ष के बाद मुख्य मंत्री जी उत्तर दें कि इसमें खर्च का सवाल है। 1 लाख तो आप नशाबन्दी के प्रचार के लिए दे दें और फालतू खर्च में लाखों रुपया बिगाड़ दें लेकिन 10 लाख लोगों के आवागमन के रास्तों के बनाने के लिए आधा खर्चा भी करने के लिए तैयार नहीं है। यह नजरिया है सरकार का? इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस आवागमन की समस्या को टॉप प्रॉयरिटी देकर हल किया जाये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डूंगरगढ़ तहसील की आबादी 10 लाख की नहीं है। तो फिर आप जहां की आबादी ही इतनी नहीं है तो फिर 10 लाख का नाम क्यों लाते हैं?

श्री दौलतराम सारण : बीकानेर से लेकर लुहारू का सवाल है। इसमें बीकानेर तहसील, डूंगरगढ़, चूरू, रतनगढ़, राजगढ़ और दूसरे ट्रंक पर भादरा तहसील, नोहर तहसील, हनुमानगढ़ तहसील, सूरतगढ़ तहसील और गंगानगर तहसील आती है और इधर राजगढ़ तहसील आती है। 10 लाख क्या इससे भी ज्यादा लोगों के आवागमन का सवाल है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : 10 लाख का नहीं फिर तो 1 करोड़ लोगों का सवाल हो जायेगा। मैंने कहा कि यह समस्या जरूर है। लेकिन इस समस्या के सुलझाने बीच में आ ले पड़ते हैं और फिर कई जगह राजस्थान में ऐसी हैं कि जहां 6 6 महीने तक लोग नहीं आ जा पाते हैं ऐसी जगहों को प्राथमिकता दी जाये या इस काम को कि जिसके लिए 5 मिनट रुकना पड़ता है।

श्री दौलतराम सारण : 5 मिनट का सवाल नहीं है। रेलवे ने खाइयां लगा रखी हैं। लोगों को क्रॉस नहीं करने देते और लोगों के चालान करते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां आबादी है और खाइयां हैं उसके लिए अलग बात की जा सकती है। इसलिए मैंने निवेदन किया.......

श्री दौलतराम सारण : मेरा तो सवाल यह है कि रेवेन्यू रेकर्ड में वह रूट्स हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नोहर, भादरा उन माननीय सदस्य ने गिना दिया आपने राजस्थान गिना दिया, उन्होंने बीकानेर गिना दिया और किसी ने अलवर गिना दिया।....

श्री रामचन्द्र आर्य : आप इस तरह से नहीं संभाल सकते तो छोड़ दीजिए कुर्सी....

श्री दौलतराम सारण : मैंने सीधा सवाल किया है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य.......

श्री दौलतराम सारण : मैंने सीधा सा सवाल किया है। मेरा सवाल यह है कि

(श्री दौलतराम सारण)

बीकानेर से लेकर राजगढ़ तक की जो दिल्ली है उस लाइन पर जो रास्ते पड़ते हैं, रेवेन्यू रेकर्ड में जिन रास्तों का इन्दराज है, और जो पीढ़ियों के रास्ते हैं, जहां बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ट्रक, ट्रेक्टर और बहुत से रूट हैं उनको रेल्वे ने जो स्टेट रेल्वे के टाइम में बाकायदा रास्ते बने हुए थे डबल लाइन लगाकर और सफेद स्लीपर लगाकर जिसको इंगित किया गया था उनको उखाड़कर दोनों तरफ खाइयां खोद दीं और उन रास्तों को पिछले 7 वर्षों से रेल्वे ने बन्द कर दिया है और कोई व्यवस्था नहीं है। गैर कानूनी तरीके से लोग खड्डे क्रॉस करके जाते हैं ता उनको कितना खतरा होता है और 7 वर्ष से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं और आज आप कह रहे हैं कि सब जगह की समस्या है। बडी अजीब हालत है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां पहले ऐसे रास्ते हैं और अभी जैसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि उसके लिए लिखा-पढ़ी करके कार्यवाही करेंगे आपका प्रश्न आया था जिसका जवाब दे चुके हैं। यह सारे सवाल ओवर-ब्रिजेज का आया·······

श्री दौलतराम सारण : रेलवे के पत्र हैं। रेलवे ने पंचायत समिति को लिखा है कि हम तैयार हैं इनको 'सी' श्रेणी के रास्ते डिक्लेयर करालो और आधा खर्चा राज्य सरकार दे तो हम बनवा देंगे। लेकिन राज्य सरकार इस मामले में एग्री नहीं है इसलिए वह रास्ते बीच में अधूरे पड़े हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य-मंत्री जी ने जो भी इस बारे में स्पष्टीकरण दिया उसके साथ में मेरी एक हद तक तो सहानुभूति है लेकिन जब रेलें बनीं उस समय यह इलाके वीरान थे। अब आबादी बहुत सी बढ़ गई। रियासतों के जमाने में रियासतों की रेलें थीं और उसके अन्तर्गत ही सड़कों की व्यवस्था थी। वहां पर खास तौर से इन्तजाम रियासतें कर सकती थीं लेकिन इस समस्या का हल निकालने के लिए राजस्थान सरकार अपने स्टेट स्तर पर रेलवे से कोई न कोई नेगोशियेशन्स करे कि अमुक समय पर रेलें आती हैं उस समय रास्ते बन्द कर दिये जायें। कुछ अमला बढ़ा दिया जाये ताकि निगरानी वगैरह हो सके और इन रास्तों को खुला रखा जाये जब कि रेल की आमद नहीं हो तो मेरे ख्याल से व्हेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर आप चाहें तो इसका हल निकाल सकते हैं और आसानी से हल निकाल सकते हैं बातचीत के द्वारा न कि खाइयां खोदने से रास्तों को रोक देने से। इसका तो मतलब यह है कि बिलकुल रेल्वे ने नेगेटिव एटीट्यूड ले लिया राजस्थान सरकार की तरफ से कोई भी दिक्कतें रेलवे के सामने नहीं रखी जाती हैं और यदि सरकार की तरफ से जनता की दिक्कतें रेलवे ऑथोरिटीज के सामने रखें तो मेरे ख्याल से कोई कारण नहीं है कि कोई न कोई हल इसका संतोषजनक रूप से निकल सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा यह निवेदन है कि यह सारा एक साथ नहीं बैठ सकता है, पर आप एक फेज्ड प्रोग्राम बना लें। माननीय सदस्य कहते हैं कि एक रास्ते पर 400-500 रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं होता है। आप इसमें 1 लाख या 2 लाख रुपया प्रोवाइड करते हैं और किसी एरिया में कर दें ताकि काम तो शुरू कर दें। आपके पास पैसा कम है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो काम तो करें माननीय सदस्य 7 वर्ष से कर रहे है तो उस एरिया में एक लाख रुपया खर्च कर दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक कि इस सवाल की पोजीशन का है माननीय सदस्य के प्रश्न में खर्चे का प्रश्न इन्वॉल्व्ड नहीं है। रेलवे वहां से पास होने के लिए इजाजत दें।

श्री दौलतराम सारण : जब तक आप रास्ता न माने, उनके बनाने का आधा खर्चा न दें तब तक रेलवे नहीं मान सकती हैं। बीकानेर रेलवे और स्टेट रेलवे के समय से निकले हुए हैं रास्ते। उन रास्तों को मुक्त करा रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका जो पहला सवाल है कि बीकानेर स्टेट के अन्दर उस पर पास होते थे और तख्ते वगैरह लगे हुए थे और अब खाइया खोद दी हैं तो यह मैं निवेदन कर रहा था कि खर्चे का उतना प्रश्न नहीं है जितना यह प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड इसके लिए इजाजत दे कि वहां से पास हो सकते हैं वहां से पहले रास्ता था उसके लिए रेलवे बोर्ड को लिखेंगे और लिखकर उस स्थिति के अन्दर सुविधाएं दे सकते हैं तो थोड़ा बहुत वह बनता हैं तो उसमें कोई बड़ा खर्च नहीं है मामूली खर्चे की बात हैं तो उसके लिए इन्तजाम किया जासकता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय एक स्थगन प्रश्न है। वह तीन दिन से स्थगित हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : दो घन्टे प्रश्नोत्तर काल के निकले गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो दिन से स्थगित हो रहा है। परसों भी स्थगित हुआ, कल भी स्थगित हुआ। वह काफी बड़ा सवाल है। राज्य के फण्ड के दुरुपयोग का सवाल हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, 922 नम्बर का प्रश्न हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल 944।

श्री शम्भूराम पटेल : उपाध्यक्षजी, 1128।

श्री दुर्गालाल बाढदार : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इन्होंने एक साल के एक एक ही सवाल पूछा और वह भी रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री रामानन्द अग्रवाल ने जो प्रश्न पूछा हैं उसका उत्तर दिया जाय। 1128 उन्होंने पहली दफा पूछा हैं तो साथ ही उनको आप यह समझा दें कि कब पूछना चाहिए।

## भूतपूर्व जागीरदारों के कर्जे के क्लेम

1045. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(1) क्या यह सही है कि फर्म मगनीराम मभूतसिंह टौंक ने कुछ भूतपूर्व जागीरदारों की तरफ अपने पुराने कर्जों का क्लेम राज्य सरकार के समक्ष पेश किया था ? यदि हां, तो ये कर्जे किस-किस जागीरदार के नाम कितनी कितनी रकमों के थे, कौन कौन सी तारीखों में लिए गए थे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त फर्म ने यह भी क्लेम किया था कि उक्त कर्जे भूतपूर्व टौंक राज्य द्वारा अदायगी के लिए गारंटी शुदा थे।

(3) क्या राज्य सरकार ने इन कर्जों को राज्य सरकार द्वारा अदायगी करने को गारन्टी की जुम्मेदारी अपने ऊपर ले ली ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को ऐसे दस्तावेजात मिले हैं जिसमें भूतपूर्व टौंक राज्य सरकार द्वारा इस इस प्रकार को गारंटी दी गई थी ?

(4) राज्य सरकार ने फर्म मगनीराम मभूतसिंह द्वारा जितनी रकमों के कर्जों का क्लेम किया था उनमें से किस किस कर्जे की किस हद तक अदायगी की जुम्मेदारी स्वीकार की और किस किस की नहीं की ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या सरकार ने इन कर्जों की अदायगी के क्लेम को स्वीकार करने से पहले यह जांच पड़ताल कर ली थी इन कर्जों की अदायगी सम्बन्धित कर्जदारों द्वारा कर दी गई थी अथवा नहीं ?

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने तथा कथित कर्जदारों के वारिसों को बेश जागीर उन्मूलन एक्ट के तहत खानदान अलाउदीन के बदले में मिलने वाले मुआवजे से उक्त फार्म के कर्जे को काटने के आदेश जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश किस किस कर्जे के सम्बन्ध में किन किन वारिसान को मिलाने वाले मुआवजे के बारे मे जारी किये गए हैं ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त कर्जदारों के कुछ वारिसान ने राज्य सरकार को प्रतिवेदन किया है कि उक्त कर्जों की अदायगी हो चुकी है तथा इन कर्जों को स्वीकार करने से पूर्व राज्य सरकार ने तथा कथित कर्जदारों के वारिसान को नहीं बुलाया गया ? यदि हां, तो क्या उनकी यह शिकायत सही पाई गई ? तथा इस प्रकार एतराज किस किस वारिस ने किया था और किस किस का एतराज सही पाया गया ?

(8) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त फर्म की इन कर्जों के मद में काफी रकम अदा कर चुकी है ? यदि हां, तो कितनी कितनी रकम बकाया रहती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(9) क्या सरकार ने जिन वारिसों ने नहीं सुने जाने का एतराज किया है उनसे इन कर्जों की पूर्व अदायगी के बारे में जांच पड़ताल है ? यदि हां तो इस जांच-पड़ताल का क्या परिणाम निकला ?

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां, उपलब्ध सूचना के आधार पर विवरण पत्र तैयार किया जाकर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

# Page No. 51



(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

(2) जी हां, उनमें से कुछ कर्ज ऐसे थे जिनके लिए भूतपूर्व टौंक राज्य ने गारन्टी दी थीं।

(3) जी हां, राज्य सरकार ने इन कर्जों की जांच भूतपूर्व संयुक्त राजस्थान के समय में एक कमेटी द्वारा करवाई गई थी। तथा कर्ज की रकम दी जाने से पूर्व इस मामले की कानूनी जांच करा ली गई थी।

(4) राज्य सरकार के पास प्रस्तुत हुए कलेम में तीन का भुगतान किया गया। शेष 2 का आपसी तस्फिया हो गया है और एक जागीर मुआवजे में से तथा एक जिलाधीश द्वारा चुकाया गया जिसकी सूची संलग्न है।

(5) जी हां, इस सम्बन्ध में कमेटी द्वारा जांच कराई जा चुकी हैं जिसने दावेदार के साथ ही कर्जदारों को भी सुनकर राज्य सरकार को उनको सिफारिश की थी।

(6) राज्य सरकार ने कोई आदेश नहीं दिये है। फार्म ने कोर्ट से डिग्री प्राप्त की होगी।

(7) कमेटी की जांच के समय कर्जदारी के वारिसान को सुनने के बाद की और अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया था। इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र मोहम्मद खां, हमवेज जंग तथा अब्दुल वाहिद खां के वारिसान ने किये थे किन्तु कर्जा चुकाये जाने के कोई प्रमाण पेश नहीं किये।

(8) इस सम्बन्ध में प्रश्न सं० 4 में सूचना दी जा चुकी है। शेष के लिए मामले विचाराधीन है।

(9) वारिसान ने कोई प्रमाण कर्जों के चुकाये जाने के सम्बन्ध में पेश नहीं किये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** प्रश्न संख्या 1 के बारे में जो सूची दी है उसके बारे में मैंने उस दिन भी कहा था कि कौनसी तारीख को कर्जा दिया गया, कितने हजार का दिया गया, किस ब्याज की दर पर किया गया, किस परपज के लिए यह कर्ज लिया गया हैं। यह बात आपने नहीं बताई। और आपके पास फाइल हो तो देखकर जानकारी दें।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** जहां तक राज्य सरकार के कर्जे के चुकाने का प्रश्न हैं तो जो तीन कर्जे चुकाये गये हैं उनकी सूचना इस प्रकार है:—

(1) साहबजादी फारूक अलीखान को 13-3-1911 को हुआ वह डिसकशन नवाब इब्राहीम अली खां साहब की मौजूदगी में उनकी आज्ञा से पहला कर्जा 17 हजार रुपया इस आदेश के साथ दिया गया कि 17 हजार रुपया साहबजादी फारूक अलीखान को दे दिया जाय। उसके बाद दूसरा कर्जा नवाब की आज्ञा से 253900) रु० का दिया गया.......

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** तारीखें कौन कौनसी हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक 13-3-11 का है और दूसरा 30-6-13 को 25,300) रु० का है। चीफ मिनिस्टर साहब ने अर्जदाश्त करके कि अलग अलग परवाना चाहते हैं तो इस पर नवाब साहब ने हस्तक्षेप किया और लिखा कि अलग अलग परवाने की जरूरत नहीं है और फौरन कर्जा दे दिया जाय और उसकी अदायगी माहवारी एलाउन्स से होती रहे। 14-10-17 को फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने अर्जदाश्त पेश की और दरबार की आज्ञा से 3500) रु० कबदार कर्जा अब्दुल कादिर का कर्जा चुकाने के लिए दिया। इस प्रकार से 45,800) रु० नकद दिये गये। बाद 9 पर्सेंट का इस पर इन्ट्रेस्ट था और डिफाल्ट के ऊपर 18-75 पर्सेंट का इन्ट्रेस्ट था। यह सब तस्फिया होकर जागीर कमिश्नर ने बाद में उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद के 57,095 रु० के इस कर्ज की तस्दीक की और इसके अनुसार इसकी अदायगी की गई।

(2) उसके बाद साहब जादा मोहम्मद खां शमशेर जंग को 18-5 को नवाब साहब इब्राहीम अली खां साहब की आज्ञा से प्राइम मिनिस्टर साहब ने 55,000) रु० का कर्जा दिलवाया। उसका 1905 में कोर्ट ऑफ वार्ड हुआ तो कोर्ट ऑफ वार्ड में 98 हजार हजार रुपये का कर्जा बताया तो 54,700) रु० का क्लेम मन्जूर किया और सरकार टोंक की आज्ञा से यह कहा गया कि 9 पर्सेंट के बजाय 3 पर्सेंट ब्याज कर दिया जाय। उसके बाद 7-7-10 को 1,00,062 रु० के दावे को सही माना। फिर एक पंचायत बिठाई गई तो पंचायत ने 54,750 रुपया माना, और कुल कर्ज का फंसला 46,823 रु० 34 पैसे का मानकर चुकवाड़ा किया गया।

(3) साहिब जादा अब्दुल वाहीद खां साहब को होम मिनिस्टर साहब की आज्ञा से नवाब साहब के हुक्म से 22-6-13 को यह कर्जा 15,500) रु० दिया गया, लेकिन उसके बाद इसकी प्रोसीडिंग एक कमेटी के सामने चली और कमेटी में मामला चलकर कुल 18,000 मानकर चुकाया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो कर्जा आपने चुकाया है इसके अलावा और कर्जे भी आपने सही मानकर जो उनकी कैश जागीर के मुआवजे के रूप में मन्थली एलाउन्स था उसको रोका है। तो उनकी लिस्ट भी आप बताएं कि वह कर्जा कितना किया है, ओरीजिनल कर्जा कितना था और कितना ब्याज उसके अन्दर दिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वहां तक इसकी प्रोसीडिंग बाद में चली है जागीर कमिश्नर के यहां पर और जहां तक कमेटी की रिपोर्ट का सम्बन्ध है उस कमेटी की रिपोर्ट में जिस प्रकार से जिस कर्जे को तस्लीम किया है मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं होगा कि कमेटी की रिपोर्ट में जिस कर्जे को तस्लीम किया गया उसका सारा विवरण इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने यह कर्जा चुकाया और आपने जैसा बताया कि नवाब सहाब की मोहर मौजूद थी इस कर्जे को तस्लीम करने के बाद, लेकिन एक और केस में ऐसा मोहर लगा हुआ दस्तावेज फोर्ज्ड पाया गया तो क्या उस फोर्जरी के बाद इन दस्तावेजों के बारे में जिनुआइन है या फोर्ज्ड है इस प्रकार की कोई जांच सरकार ने कराई ?

# Page No. 53



**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : जहां तक इन कर्जों की जांच का सवाल है तो पहले तो टोंक स्टेट के जमाने में जांच हुई फिर भूतपूर्व राजस्थान के जमाने से एक कमेटी के जरिये जांच हुई, फिर दुबारा इस सब की जांच जागीर कमिश्नर के जरिये की गई, और उनकी सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया। जहां तक मोहर की जांच की ये फाइलें 1911 और 1913 के जमाने की बनी हुई हैं। और जिसमें राजाओं का समय समय पर मौजूद है। आज्ञा का प्रश्न एराइज नहीं होता।

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। समय बहुत हो चुका है। २ घंटों से चर्चा चल रही है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : एक तो यह पुराना कर्जा है और दूसरा मयाद बाहर हो गया, लिमिटेशन एक्ट इस पर लागू होता है। फिर मयाद बाहर को किस तरीके से पेएबल मान लिया ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : जहाँ तक इसका ताल्लुक है टोंक स्टेट ने एक कमेटी बिठाई थी अपने कौंसिल रिजोल्युशन नं० 10 के अनुसार। उसने स्वीकार किया कि जिन पुराने कर्जों का ताल्लुक है उसकी लाइबिलिटी सकसेसर पर आई। पहले श्यामलाल के केस में फैसला हुआ उस समय रोक दिया गया था। फिर वह सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक सकसेसर स्टेट की लाइबिलिटी है इसलिए उसको हमने माना। लिमिटेशन का जहां तक ताल्लुक है, जब यह मामला राज्य सरकार की केबिनेट के सामने पहुंचा तो केबिनेट ने माना कि वाजिब के लिए सिटिजन्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिये। इसी तरह का जजमेंट जस्टिस छागला का सन 1954 का बाम्बे हाईकोर्ट का है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सरकार इस बात को तो मानती है कि यह मयाद बाहर था और मयाद बाहर का जो टेक्नीकल होता है उसके बावजूद भी पेमेंट किया है तो क्या सरकार यह नीति बना चुकी है कि जितने भी पुराने क्लेम्स हैं वे लिमिटेशन के बाहर होने से समाप्त नहीं हो जायेंगे।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : अकाउन्ट रूल्स में प्रावधान है कि जब तक राज्य सरकार की इजाजत नहीं हो तब तक कर्जा पास नहीं किया जायगा। राज्य सरकार पर्टिकूलर नोहियत देखकर निर्णय लेती है। इस मामले में क्योंकि राज्य सरकार ने माना है कि हिज हाइनेस टोंक को कर्जा देने का अधिकार था और उसके ट्रेजरी एग्रीमेंट के क्लाज ५ के अनुसार टोंक सरकार जिम्मेदार थी ऐसा कर्जा चुकाने के लिए। इसलिए पर्टिकूलर केसेज की जांच करने के बाद ये तीन केसेज माने हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। मार्क्स कमेन्ट की आवश्यकता नहीं है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें सन 1911 से कर्जा चला आ रहा है, स्टेट की पॉलिसी इस तरह करने के बजाय क्या आप जुडिशियल ऑथोरिटी को इस बारे में सबमिट कर सकते हैं क्या कि लीगल ऑथोरिटी इस तरह के पेमेंट करने

# Page No. 54



(श्री रामानन्द अग्रवाल)
की थी या नहीं। इस तरह से लाखों रुपयों का पेमेंट कर दिया गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं यह बिल्कुल कानूनी मसला लेनदेन का है, इस पचड़े में एक हद तक में मानता हूं कि भूतपूर्व सरकारों के आश्वासनों को पूरा करना सरकार का फर्ज है, लेकिन यह स्ट्रिक्टली लीगल मेटर है उसमें जो यह मौजूदा प्रश्न है उसमें प्रिन्सिपल अमाउण्ट से दुगुना अमाउण्ट हो गया तो कानूनी समस्या को लेकर यह काबिल समायत अदालत है मगनीराम के कर्जे के मामले में क्यों नहीं कहते अदालत में जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी एक व्यक्ति से सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत हो गया है कार्य सूची बहुत लम्बी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह महत्वपूर्ण है मैं अर्ज करूंगा कि सर्विस रूल्स बने है उनमें इस प्रकार से संशोधन किये गये हैं कि दो दो तीन तीन बार बदला गया है। लोग हाइकोर्ट में गये हैं, केसेज पेन्डिग है उस दौरान रूल्स अमेण्ड किये गये, उसके बाद फिर लोग हाइकोर्ट में गये है; आर. ए. एस. आफिसर्स को सीनियोरिटी........

श्री उपाध्यक्ष : यह कॉम्प्लीकेटेड केस है इसलिए इसको अभी लेना संभव नहीं होगा क्योंकि सदन का समय इसमें ज्यादा चला जायगा। इसको आप और किसी अन्य तरीके से उठा सकते है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि मुझे लिखित रूप में जवाब दें दे। साथ ही साथ आपके इमरजेन्सी रिक्रूटमेन्ट के रूल्स हैं आपने उन रूल्स के अन्तर्गत एपॉइन्टमेंटस किये। आपने वरिष्ठता कायम करदी। उसके बाद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सर्विस रूल्स को फिर अमेन्ड कर दिया। आपने मेरिट लिस्ट भी बनाई। उसके बाद लोग हाइकोर्ट में गये। हाईकोर्ट में केसेज पेन्डिग है, उसके तुरन्त बाद फिर सर्विस रूल्स को अमेन्ड किया जाता है, इमरजेन्सी रूल्स को धारा 3(सी) थी उसको अमेन्ड किया गया है और उसके अनुसार जिनकी वरिष्ठता नहीं थी उनको प्रमोशन दे दिये और उनके खिलाफ फिर लोग हाईकोर्ट में चले गये और वहां पर केसेज पेन्डिग हैं, लोगों को जो जस्टिस मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली........

मुख्यमन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, ये मैटर्स हाईकोर्ट में पेन्डिग हैं ऐसी स्थिति में यहां जवाब देना संभव नहीं है इसलिए मैं यहां कहना नहीं चाहता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप यह तो जांच करे कि रूल्स के खिलाफ खिलवाड़ की जाय, दो बार हाईकोर्ट में जाते है, केस पेन्डिग होता है और उस बीच में फिर सर्विस रूल्स को अमेन्ड कर देते है फिर दूसरे व्यक्ति कोर्ट में चले जाते हैं। बार बार एमेन्डमेंटस होते हैं उनसे लोगों को मालूम नहीं रहता कि मेरी सीनियोरिटी क्या है, मेरिट के आधार पर प्रमोशन किया जायगा या किस आधार पर किया जायगा।

# Page No. 55



(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सीनियोरिटी और मेरिट के आधार पर किया जायगा या किस आधार पर किया जायगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वरिष्ठता को लिस्ट बनाई जाय।

## सहायक अभियन्ता दौसा के कार्यालय में बिजली के लिए आवेदन पत्र

1128. श्री शम्भूराम पटेल (लालसोट सु.): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि सहायक अभियन्ता दौसा के कार्यालय में दो वर्ष पूर्व 25 आवेदन पत्र विद्युत प्राप्त करने हेतु 5) रुपये प्रति आवेदन पत्र ग्राम राजोली, तहसील लालसोट, जिला जयपुर के लोगों ने जमा करा दिये थे ?

(2) क्या यह सच है कि ग्राम राजोली को आवेदन पत्रों पर विद्युत सम्बन्ध लालसोट से देने के लिए केवल 6 पोल्स की आवश्यकता है। यदि नहीं, तो कितने पोल्स लगेंगे ?

(3) राजोलो को विद्युत कनेक्शन देने के लिये कितनी लम्बी लाइन की आवश्यकता है ?

(4) क्या सरकार उक्त आवेदकों को शीघ्र ही बिजली देने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

**राज्यमन्त्री, विद्युत विभाग** (श्री जय कृष्ण शर्मा) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। करीब 30 पोल तथा अन्य सामान लगेगा।

(3) लगभग एक मील। 1 किवी लाइन और 3/4 मील एक टी लाइन की आवश्यकता है।

(4) अग्रिम वर्ष का प्रोग्राम बनाते समय इस पर विचार किया जायगा व पर्याप्त धनराशि हुई तो उक्त आवेदकों को बिजली दे दी जावेगी।

**श्री शम्भूराम पटेल** : अब तक क्यों नहीं दिया ?

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : जैसा कि मैंने बताया धनाभाव और बिजली की कमी के कारण नहीं हुआ।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

**श्री दुर्गालाल बादवार** : इन्होंने एक साल में एक प्रश्न पूछा है। 7 पोल की बात है. वे कहते हैं कि इससे हजारों आदमियों को फायदा होगा, लम्बा चौड़ा खर्चा नहीं है।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : 30 पोल लगेंगे, उसके लिए धन की आवश्यकता है, दूसरी चीजें भी लगेंगी केवल पोल ही पोल तो चाहिए नहीं।

**श्री दिग्विजयसिंह** : इतनी बड़ी पोल में 30 पोल ही तो चाहिये।

**श्री कृष्णशर्मा** : मैं आगामी वर्ष में रखने की कोशिश करूंगा।

**श्री श्रवणलाल** : जहां बिजली देने के लिए कितने ही खंभे पहले से गाड़े गये है....

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर प्लीज। ढ़ाई घंटे प्रश्नों में निकल गये।

**श्री श्रवणलाल :** मैं आपके द्वारा जो कि कल चेयर से आदेश हुआ था कि जो मेरा प्रश्न था वैद्य के बारे में उसके सम्बन्ध में चेयर से आदेश दिया गया था कि इसका हर सूरत में कल जवाब दिया जायगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दिया जाय :

**श्री फतेहसिंह :** श्रीमान मैं व्यवस्था चाहता हूं कि गृहमन्त्री जी ने विशेषाधिकार प्रस्ताव....

**श्री उपाध्यक्ष :** इस पर अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देंगे।

**श्री श्रवणलाल :** मेरे प्रश्न का क्या हुआ ? आज के लिए चेयर से आदेश दिया गया था कि हर सूरत में आज जवाब दिया जायगा........

मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

**श्री मथुरादास माथुर :** आयुर्वेद मंत्री का है।

**श्री मूलचन्द डागा :** आयुर्वेद मन्त्री हैं नहीं।

**श्री फतेहसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, तारीख 3 को गृह मन्त्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा था........

**श्री उपाध्यक्ष :** उस पर अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देंगे आज।

**श्री श्रवणलाल :** मेरे उसका क्या हुआ ?

**श्री मूलचन्द डागा :** अजेन्डा में नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह :** आज के लिए कहा गया था कि इस पर कल देंगे।

**श्री श्रवणलाल :** यह कहा कि हर सूरत में कल उत्तर दिया जायगा।

**श्री रामप्रसाद लढ्ढा :** आयुर्वेद वाला है।

**श्री उपाध्यक्ष ।** थोड़ी देर बाद में व्यवस्था इस पर दी जायेगी।

**श्री भैरोंसिंह :** सरकार इस प्रकार आसन के आदेशों की उपेक्षा करती है। मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं, मन्त्री महोदयों को पता नहीं है कि कौन उत्तर देगा और क्या उत्तर दिया जायेगा। इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मन्त्री महोदय का उचित नहीं है।

**श्री रामप्रसाद लढ्ढा :** यह क्वेश्चन कल उठा था। इसके बारे में कहा, पोस्ट-पोन्ड। यह स्पेसिफिक आदेश नहीं था कि कल जवाब दिया जावगा।

**श्री भैरोंसिंह :** यह गलत है।

**श्री रामप्रसाद लढ्ढा :** मन्त्री महोदय का आशय था कि कल तक जवाब देने में

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
कठिनाई रहेगी क्योंकि बहुत सारे वाकयात मालूम करने पड़ेंगे। इस गलतफहमी से यह स्थिति उत्पन्न हुई। वैसे हम उत्सुक रहते है कि जो भी सदन में आज्ञा हो उसके अनुसार ही पालन हो।

श्री भैरोंसिंह : यह परसों प्रश्न रखा गया था, कल के लिए स्थगित किया गया, कल उत्तर नहीं दिया गया तो आज के लिए हम आशा में थे कि आज उत्तर दिया जायगा। कल स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया था कि कल उत्तर आ जायेगा। माननीय मन्त्री कह रहे हैं कि कठिनाई थी, तो कठिनाई तो तब तक रहेगी जब तक कि जवाब नहीं देंगे। जिस दिन आप जवाब दे देंगे उसी दिन कठिनाई समाप्त हो जायेगी। आप कहिये कि सही बात यह हैकि आयुर्वेद मन्त्री डरे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई डिफेंस नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डरे हुए नहीं है, आवश्यक कार्य के कारण नहीं आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह डरे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई डिफेंस नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : जवाब देंगे। वह नहीं है तो हम देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री श्रवणलाल : क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था हो गई है।

श्री मथुरादास माथुर : जवाब लिखकर भेज देंगे।

श्री फतेहसिंह : विशेषाधिकार का प्रश्न इस सदन में ले लिया जाता हैं तो इससे पहले लिया जाता है। मैं व्यवस्था चाहूंगा इस चेयर पर कोई बैठे रहे, सभापति हो या उपाध्यक्ष, आपकी पॉवर्स वही हैं रूल 10 के आधार पर जो स्पीकर की पॉवर्स हैं। मैं व्यवस्था चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर अध्यक्ष महोदय विचार कर रहे हैं। इसके बाद में आज ही निर्णय दे दिया जायगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 4 देखिए)

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### सिवाणा में कालेज की मांग

1127. श्री दौलतराम सारण : (डूंगरगढ़) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सिवाणा जिला बाड़मेर में डिग्री कालेज खोलने के लिए नागरिकों की मांग पर मुख्य मन्त्री द्वारा डेढ़ लाख रुपया जमा कराने पर कालेज के प्रतिनिधियों को जयपुर बुलाया था और जब वे जयपुर आए तो उनसे तीन लाख रुपये जमा कराने के लिए कहा गया ? जब सिवाणा निवासियों ने तीन लाख जमा कराने का निश्चय किया तो उन्हें वित्त मन्त्री द्वारा दो लाख की लागत का छात्रावास और बनाने पर कालेज खोलने के लिये आश्वासन दिया

गया ? परन्तु जब नागरिक इसके लिए भी रजामन्द हो गये तब राज्य सरकार अपने वायदे से मुकर गई।

(2) क्या यह सही है कि सिवाणा के चारों तरफ कई सेकण्ड्री स्कूलें हैं और लगभग 60-70 मील तक कोई कॉलेज नहीं है ?

(3) कॉलेज भवन और छात्रावास भवन बना देने पर क्या राज्य सरकार सिवाणा में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए तैयार है ?

(4) क्या बालोतरा निवासियों द्वारा बालोतरा में कॉलेज खोलने की मांग करने पर उन्हें भी तीन लाख रुपया जमा कराने पर कॉलेज खोलने का आश्वासन दिया गया था ? क्या यह सही है कि रुपया जमा कराने के लिये तैयार होने पर सरकार वहां कॉलेज खोलने से भी मुकर गई ? यदि नहीं, तो क्या बालोतरा में कॉलेज खोलने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले में सिवाणा बाड़मेर से काफी दूर है तथा सिवाणा के नजदीक जालोर में कॉलेज खोल दिया है। बाड़मेर जिले में बाड़मेर नगर में कॉलेज खोलना हर तरह से उपयुक्त था अतः वहां खोला गया।

(2) जी हां। करीब 50 मील पर जालोर कॉलेज है।

(3) बाड़मेर में कॉलेज खोले जाने के कारण सिवाणा में एक और महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(4) बालोतरा में कॉलेज खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

## सतर्कता आयुक्त

1129. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) इस वक्त में सतर्कता आयोग में कितने मामले विचाराधीन है ?

(2) क्या सतर्कता आयुक्त के पास फुल डे का काम नहीं है ? अगर नहीं है, तो क्या सरकार उनको पूरे दिन के लिये पर्याप्त काम देगी ?

उत्तर

(1) आयोग के पास 31-12-67 को 1226 मामले विचाराधीन थे।

(2) आयुक्त के पास पर्याप्त कार्य है।

## तकावी की व्यवस्था में परिवर्तन

1133. श्री दीपचन्द छंगाणी (फलोदी) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को सफल बनाने के लिये राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं उस क्षेत्र के सेवा-भावी कार्यकर्ताओं की मिलीजुली कमेटी बनाकर वर्षा ऋतु से पूर्व ही समूची ग्राम पंचायत स्तर पर उसकी तमाम खेतों को ट्रेक्टरों से फुड़वाने, उन्हें

(श्री दीपचन्द छंगानी)

बंधवाने, उनमें उत्तम बीजों की बुवाई करवाने, उत्तम खाद्य दिलवाने, बैल जोड़ियां खरीदवाने आदि की व्यवस्था, व्यक्तिगत आधार पर दी जाने वाली मौजूदा तकावी प्रथा का अन्त करके, करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो यह योजना कब से लागू की जाने वाली है ?

उत्तर

जी नहीं। ऐसी कोई योजना विभाग के विचाराधीन नहीं है।

किशनगढ़ में उद्योगों को बिजली

1135. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ शहर एक औद्योगिक बस्ती है ?

(2) क्या यह सही है कि उद्योगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से उद्योगों पर बुरा असर पड़ रहा है ?

(3) ऐसे कितने उद्योग हैं जिन्होंने बिजली प्राप्त करने की मांग की है लेकिन उनको बिजली अभी तक नहीं दी गई है ?

(4) अब तक उद्योगों को बिजली नहीं देने का क्या कारण है व उनको बिजली कब तक दिलाई जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 20 किलोवाट तक के किसी भी प्रकार के कनेक्शन देने में कोई दिक्कत नहीं है। पावर रूम के लिए कनेक्शन किसी भी हद तक दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार सीट के कनेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं है यदि इन्हें रियायती दरों पर बिजली दी जाती है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) पिछले 3-4 सालों में बिजली की कमी होने के कारण औद्योगिक कनेक्शन नहीं दिये जा रहे थे। अब विभागीय औपचारिकताओं की पूर्ति होने पर प्राथमिकता के आधार पर उक्त विवरणानुसार कनेक्शन दिये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा

1136. श्रीमति लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम के द्वारा शिक्षा स्कीम में राज्य को कुछ धनराशि देने का निर्णय लिया है ?

(2) यदि हाँ, तो यह स्कीम क्या है ? कितनी धनराशि कब कब दी जायेगी ?

(3) इस स्कीम में केवल टेक्सट पुस्तकें ही प्रकाशित होंगी या दूसरी भी ?

(4) यदि पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा पुस्तकें भी होंगी तो किस प्रकार ?

Page No. 60



(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(5) इनमें राजस्थानी भाषा की भी पुस्तकें होंगी या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी यह स्कीम भारत सरकार के विचाराधीन है।

(3) उच्च शिक्षा तक की साइन्स टैक्निकल व अन्य विषयों की टेक्स्ट बुक्स व दूसरी उपयोगी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद भी होगा।

(4) इसके अतिरिक्त इस योजना में संदर्भ साहित्य तथा विदेशी भाषाओं में उपलब्ध पत्रिकाओं में उच्चकोटि के साहित्य का अनुवाद भी सम्मिलित है।

(5) जी नहीं।

## ब्यावर जैतारण विद्युत लाइन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में बिजली

1137. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या विद्युत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(1) ब्यावर से जैतारण जाने वाली विद्युत लाइन किन किन गांवों से होकर ले जाने की योजना है ?

(2) क्या रास्ते में आने वाले गांवों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु व कृषि कार्य हेतु कुओं को भी इस विद्युत लाइन द्वारा बिजली दी जावेगी ? यदि हां, तो किन किन गांवों में ?

(3) क्या रेलवे के प्रसिद्ध स्टेशन व रोड मार्केट सेन्दड़ा को बिजली नहीं दी जायेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ब्यावर से जैतारण जाने वाली लाइन सेंदड़ा बर, वेशठिया, कला हाजीवास समोखी व निमाज गांवों के पास से निकलेगी।

(2) जी नहीं।

(3) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

## कोटा व झालवाड़ जिले में स्कूलों के भवन

1138 श्री जुझार सिंह (रामगंज मंडी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा व झालावाड़ जिले में ऐसे कितने हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल के भवन हैं जो जनता के व सरकार के सहयोग से बनाये गये हैं परन्तु अर्थाभाव के कारण अधूरे पड़े हैं ? कृपया इन इमारतों पर खर्च होने वाली सरकारी व जनता की धन राशि का अलग अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें व स्थानों का नाम भी बतावें जहां पर ये स्थिति है और इनके निकटतम हाई या हायर सेकेन्डरी स्कूल से इनका कितना फासला है ?

# Page No. 61



(श्री जुझारसिंह)

(2) इन अधूरी इमारतों में से कितनी में अधूरी होने के बावजूद स्कूल चलाये जा रहे हैं और कितनी बिलकुल उपयोग में नहीं आ रही हैं ?

(3) उपरोक्त इमारतों को पूरा कराने व काम में लेने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) कोटा व झालावाड़ जिले कि हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन जो जनता व सरकार के सहयोग से बने हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) केवल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीसवाली व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन्द्रगढ़ के नव निर्मित भवनों में स्कूल नहीं चलाये जा रहे हैं।

(3) इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों से सम्पर्क किया जा रहा है। कहीं कहीं उनसे यह आश्वासन प्राप्त हुआ है कि शीघ्रातिशीघ्र भवनों को उचित व्यवस्था की जावेगी। धनाभाव के कारण सरकार द्वारा यह कार्य पूरा करना अभी संभव नहीं है। प्रावधान उपलब्ध होने पर दूसरे स्कूलों के साथ इन पर भी विचार किया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

छात्रावासों की संख्या

1140. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकारी शिक्षण संस्थाओं के साथ सरकार द्वारा छात्रावास (होस्टल) खोलने का क्या नियम है ? क्या यह सही है कि गत वर्ष विधान सभा में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने घोषणा की थी कि पांच सौ छात्र होंगे उस स्कूल के साथ छात्रावास खोला जायेगा ?

(2) उपयुक्त नियमानुसार शहरों में कुल कितने छात्रावास किस किस शहर में कितने कितने सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं और कस्बों व गांवों में कुछ कितने छात्रावास किस किस कस्बे या गांवों में कितने कितने चलाये जा रहे हैं ?

(3) शहरों के अलावा पांच सौ से अधिक छात्र कस्बों व गावों में कहां कहां हैं और वहां छात्रावास सरकार द्वारा खोलने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

थरमल पावर स्टेशन, बांसवाड़ा

1141. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा थरमल पावर स्टेशन का प्रारम्भिक तखमीना क्या था व समय समय पर यह कितना कितना व कब कब रिवाइज हुआ व क्यों ?

(2) इस स्टेशन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(3) यह पावर स्टेशन कब आरम्भ हुआ व इसने बिजली पैदा करके कितनी सप्लाई की ? व कुल कितने घंटे इन भिन्न भिन्न सैट्स ने कब से कब तक कार्य किया ?

उत्तर

(1) अ. लगभग 22 लाख रुपये का है।

ब. एक्चुअल्स के आधार पर 21 लाख रुपये का संशोधन किया जा रहा है।

(2) लगभग 19.5 लाख रुपये।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

## ऊन की खरीद

1142. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन पोल, जयपुर) : क्या पशु पालन मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विभाग के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं जहां ऊन की खरीद के समय खरीद करने वाले अधिकारियों ने अच्छी क्वालिटी की रेट से उस ऊन को खरीदा जो उससे नीची क्वालिटी की रेट से खरीदी जानी चाहिये थी ?

(2) क्या यह सही है कि वूल ग्रेडिंग सेन्टर्स इस प्रकार की शिकायतें विभाग को मिली हैं ?

(3) यदि हां, तो कितनी शिकायतें कितनी तादाद के लिये ?

(4) इस अनुचित कार्यवाही से विभाग को कितनी हानि हुई और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) विभाग के ध्यान में अभी तक 69 मामले ऐसे आये हैं।

(2) जी हां।

(3) अभी तक 69 शिकायतें लगभग 261,015 किलो ऊन के सम्बन्ध में प्राप्त प्राप्त हुई है।

(4) इस कार्यवाही से विभाग को लगभग 5,42,952) रुपये की हानि की संभावना है। इन सभी मामलों में सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

## एस. डी. आई की नियुक्ति के आधार

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राइमरी शालाओं पर एस. डी. आई. की नियुक्ति किस आधार पर होती है ?

(2) क्या थर्ड ग्रेड टीचर भी एस. डी. आई. बन सकता है ? यदि नहीं, तो पंचायत समिति पीसांगन अजमेर में श्री गोटवाल की नियुक्ति एस. डी. आई. पद पर कब की गई थी ?

(श्री विजयसिंह)

(3) क्या उक्त नियुक्ति के विरोध में डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन को अजमेर आई. ओ एस. ने एक पत्र भेजा था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) एस. डो. आई. बनने के लिये बातें आवश्यक हैं :—

अ. अध्यापक की सहमति होना।

ब. अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिये ।

या

स 10 वर्ष का शिक्षा प्रसार अधिकारी और विद्यालय निरीक्षक का अनुभव हो।

(2) यदि तृतीय वेतन श्रृंखला में कार्य करने वाला अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक हो तो वह एस. डी. आई. बन सकता है। श्री गोटवाल की नियुक्ति एस. डो. आई. के पद पर दिनांक 29-7-67 को की गई है। इनकी योग्यता बी. ए., बी. एड. है तथा प्रथम नियुक्ति की तिथि 9-10-52 है।

(3) विद्यालय निरीक्षक ने ऐसा कोई विरोध पत्र नहीं भेजा था अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

## राजस्थान यूनिवर्सिटी तथा कालेज टीचर्स एसोसियेशन द्वारा पारित प्रस्तावों पर कार्यवाही

1144. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान युनिवर्सिटी और कालेज टीचर्स एसोसिएशन ने अपने गत दसवें सम्मेलन में अपनी वेतन श्रृंखला सेवा, नियम आदि के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार के पास विचारार्थ भेजे हैं? यदि हां, तो राज्य ससकार को जो प्रस्ताव मिले हैं उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार करके कुछ निर्णय लिये हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

(सूचि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## सुजानगढ़ तथा रतनगढ़ तहसीलों के ग्रामों में बिजली

1145. श्री रावतराम। (छापर सु.) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू की किन किन पंचायतों की मांग गांवों में

(श्री रावत राम)

बिजली देने हेतु आई है? कृपया सूचि सदन की मेज पर रखें।

(2) अगले साल में तहसील सुजानगढ़ एवं रतनगढ़ के किन किन गावों में बिजली देने का प्रावधान है? सूचि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त तहसीलों के बहुत से गांवों में सिंचाई हेतु कुए बनवाये गये हैं लेकिन बिजली उपलब्ध नहीं होने से सिंचाई नहीं हो पाती? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) सूचि संलग्न है।

(2) अभी कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

(3) कुए केवल बिजली द्वारा सिंचाई के लिए ही नहीं बनाये जाते बल्कि अन्य साधनों से भी सिंचाई की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अकलेरा में बिजली की व्यवस्था

1147. विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि अकलेरा में 3–3 दिन तक बिजली बन्द रही?

(2) क्या छबड़ा अकलेरा लाइन को असनावर से अकलेरा जोड़ने का सरकार कोई इरादा रखती है?

(3) क्या यह सही है कि अकलेरा में गत वर्षों से जो जूनियर इन्जीनियर रहता था उसे अब हटा दिया गया है?

(4) क्या यह भी सत्य है कि अकलेरा में जो वायरमैन अथवा दूसरा कर्मचारी है उसके पास इन्जिन में खराबी होने पर छबड़ा जाने का या उस लाइन को देखने का कोई साधन नहीं है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। केवल निर्माण कार्य के लिये एक जूनियर इंजिनियर लगाया गया था जो कार्य समाप्ति पर मार्च, 66 से हटा दिया गया।

(4) जी नहीं।

बारां सहकारी मार्केटिंग सोसाइटी की जांच

1150. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि आज से दो तीन वर्ष पूर्व बारां सहकारी मार्केटिंग सोसाइटी की जांच भूतपूर्व सहायक रजिस्ट्रार श्री के० पी० शर्मा द्वारा की गई थी?

(2) क्या यह सही है कि सहायक

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

रजिस्ट्रार ने अपनी जांच रिपोर्ट विभाग के सुपुर्द कर दी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट में मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष के ऊपर गम्भीर आरोप लगाए गए थे ? यदि हां, तो अध्यक्ष के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सही है समिति के अध्यक्ष को उनका मुख्य धन्धा व्यापार होने के कारण समिति के उपनियमों के अन्तर्गत व श्रेणी के सदस्यता की योग्यता न रखने के कारण समिति के संचालक मण्डल पर सदस्य न रह सकने का मुख्य आरोप लगाया था। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां उदयपुर ने अपने पत्र दिनांक 16-12-65 द्वारा व्यवस्थापक को जांच रिपोर्ट में पाये मुख्य आरोपों की पूर्ति करने हेतु लिखा। व्यवस्थापक बारां क्रय विक्रय सहकारी समिति लि० ने संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 2-2-66 में जांच में पाये मुख्य आरोपों की पूर्ति कर रिपोर्ट उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां उदयपुर को भेज दी। श्री प्रभुलाल गुप्ता, अध्यक्ष, बारां क्रय विक्रय सहकारी समिति लि० ने उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उदयपुर को सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट बारां का प्रमाण पत्र दिनांक 24-3-57 प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रभुलाल गुप्ता को काश्तकारी से मुख्य आय मान कर उन्हें कृषक मान लिया गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति

**श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :** क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति को अब तक कितना कर्जा व सबसिडी कब कब कितनी और किन किन कामों के लिये मिली और वह राशि उन कामों में खर्च की गई है या नहीं ?

(2) क्या यह सच है कि इस सहकारी समिति में सरकारी कर्ज की बकाया बहुत सालों से हैं ? यदि हां, तो कितनी और कब से ?

उत्तर

(1) निवाई क्रय विक्रय सहकारी समिति लि०, निवाई जिला टोंक को अब तक निम्न कर्जा व सबसीडी मिली—

| वर्ष | उद्देश्य | राशि जो मिली |
|---|---|---|
| 60-61 | गोदाम निर्माण हेतु ऋण | 18750.00 |
| 60-61 | गोदाम निर्माण अनुदान | 6250.00 |

(सहकारिता मंत्री)

65-65 उपभोक्ता शाखा हेतु 2500.00
व्यवस्थापकीय अनुदान

66-67 उपभोक्ता शाखा हेतु
व्यवस्थापकीय अनुदान 1600.00

गोदाम निर्माण हेतु मिली ऋण व अनुदान राशि 250000.0 का उपयोग गोदाम निर्माण कार्य में नहीं हुआ। उपभोक्ता शाखा हेतु मिला, व्यवस्थापकीय अनुदान 4100.00 उपभोक्ता शाखा के व्यवस्थापक पर खर्च कर उपयोग कर लिया गया।

(2) समिति में राज्य सरकार द्वारा गोदाम निर्माण हेतु दी गई ऋण राशि 18750.00 रु० में से दिनांक 23-9-67 से 13750 30 रु० बकाया रहती है।

## रायल्टी की बकाया रकम

1153. श्री भवानीलाल (हिन्डौन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में सरकार की कितनी कितनी धनराशि किस किस जिले में कितनी कितनी रायल्टी की बकाया कब कब चली आ रही है ? सूचि सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त बकाया को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है ? और कब तक वसूली की जावेगी ?

उत्तर

(1) सूचि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) अलग अलग रकमों की वसूली के बारे में की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

## जयपुर में तेजाब की फैक्ट्री लगाने का लाइसेन्स

1156. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जयपुर नगर परिषद् क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा क्या कोई तेजाब फैक्ट्री लगाने का लाईसेन्स दिया गया है ? यदि हां तो कब और किन किन को ?

(2) इनमें से कौन कौन के लाइसेन्स कब कब रद्द किये गये और कब कब रीन्यू किये गये ? क्या इनमें से किसी फैक्ट्री का लाइसेन्स रद्द करके फिर रीन्यू किया गया है किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

## पर्यटकों की गाड़ियों की चैकिंग

1161. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) टूरिज्म को बढ़ाने के लिये सरकार क्या क्या प्रयत्न करने जा रही है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(2) टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु प्रचार कार्य पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है ?

(3) क्या सरकार के ध्यान में है कि राज्य में आने वाली टूरिस्ट गाड़ी की राज्य सीमा पर जो चैकिंग वगैरा होती है, उससे टूरिस्ट्स को बड़ी परेशानी होती है ?

(4) यदि हां, तो इस असुविधा को दूर करने के लिये क्या सरकार कोई कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु जो कदम उठाए गये हैं उनकी विस्तृत जानकारी संलग्न सूची (क) में है। अगले वर्ष में जिन जिन योजनाओं को कार्यान्वित करना है उन पर जो खर्चा होगा उसकी भी विस्तृत जानकारी संलग्न सूची (ख) में है।

(2) पर्यटन को राजस्थान में बढ़ावा देने हेतु प्रचार कार्य पर प्रति वर्ष कोई धनराशि व्यय नहीं की जाती है एवं वह प्रति वर्ष घटती बढ़ती रहती है जैसा कि सूची (ग) पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां।

(4) इस असुविधा को दूर करने हेतु उचित व्यवस्था करने के लिये संबंधित विभाग को निवेदन किया गया है।

(सूचियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

650. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में किन किन होटलों को किस किस काम के लिए कितना कितना कर्जा दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) वे काम पूरे हुए या नहीं ?

(3) इन होटलों पर सरकार का क्या नियंत्रण है ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा किसी होटल को कर्जा नहीं दिया गया।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

उदयपुर डिस्टीलरी के सामान का विक्रय

654. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर डिस्टीलरी का सामान श्री फली को बेचा गया था ? यदि हां तो किस प्रक्रिया से और कितनी कीमत में ?

(2) क्या यह सही है कि इस विक्रय के सम्बन्ध में श्री फली द्वारा देय स्टॉम्प एवं रजिस्ट्रेशन की लगभग 15,000) रु० की फीस छोड़ दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और किसकी आज्ञा से ?

उत्तर

(1) जी हां।

( मुख्य मन्त्री )

उदयपुर डिस्टीलरी का भवन व उससे संबंधित सामान उदयपुर डिस्टीलर कं० प्राईवेट लिमीटेड उदयपुर की पी. डबल्यू. डी. के असेसमेंट के आधार पर 2,51,758) रु. में लेना गया।

(2) उदयपुर डिस्टीलरी द्वारा दस्तावेज पर्याप्त स्टाम्प पर न होने से अतिरिक्त जिलाधीश उदयपुर द्वारा 14,694. रु० स्टाम्प में कमी के व पेनेल्टी 500.00 रु० के वसूल करने के आदेश दिये गये थे किन्तु रेवेन्यू बोर्ड ने उदयपुर डिस्टीलरी के निगरानी करने पर यह रकम उदयपुर डिस्टीलरी से वसूल योग्य न होने का निर्णय दिया।

## समाचार पत्रों को विज्ञापन

655. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा समाचार पत्रों को अलग अलग कुल कितने रुपये के विज्ञापन दिये गये ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जनवरी, फरवरी, मार्च में किन किन अखबारों को कितने-कितने रुपये के विज्ञापन दिये गये ?

(3) सन् 1966-67 में ऐसे कितने अखबार हैं जिनको विज्ञापन दिये गये, परन्तु जो विज्ञापन दिये जाने की तारीख को राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन दिये जाने के निमित्त नियमानुसार मान्यता प्राप्त नहीं थे ?

(4) सरकारी विज्ञापनों के लिये राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रों में से कितने ऐसे थे जिनको विज्ञापन दिये गये परन्तु जिनका वर्गीकरण उस समय तक नहीं हुआ था ?

(5) क्या यह सही है कि जो भी विज्ञापन दिये गये थे विज्ञापन नियमों के अनुसार नहीं थे ?

उत्तर

(1) तालिका संलग्न है।

(2) तालिका संलग्न है व।

(3) राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को ही विज्ञापन दिये गये हैं।

(4) जिन पत्रों का वर्गीकरण सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने, के तुरन्त बाद समिति द्वारा नहीं किया जाता है, ऐसे पत्रों को सी श्रेणी में मान लिया जाता है और इस श्रेणी में उन्हें विज्ञापन दिये जाने आरम्भ कर दिये जाते है। ऐसे पत्र केवल चार थे।

(5) प्रत्येक विज्ञापन नियमों के अनुसार ही था।

( सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

## सरकार द्वारा फिल्मों की खरीद

656. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन-पोल, जयपुर) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) 1 अप्रेल, सन् 1962 से लेकर अब तक किस किस प्रकार की फिल्म, कब

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कब और कितनी-कितनी कीमत में खरीदी है और इन फिल्मों के निर्माता कौन-कौन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसी फिल्मों को खरीदने के लिये राज्य सरकार की ओर से फिल्म निर्माताओं से फिल्म खरीदने के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो किस किस से और क्या था ?

(3) इन फिल्मों को पिछले एक वर्ष में कितने कितने दिन डिस्प्ले किया गया है ?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ठ (क) पर है।

(2) जिन दो फिल्म निर्माताओं से फिल्म खरीदने के बारे में जो शर्तें तय हुई थीं वह परिशिष्ठ (ख) पर अंकित हैं। शेष फिल्म वितरकों से निर्धारित दरों पर खरीदी गई हैं जिनसे समझौते का कोई प्रश्न नहीं होता क्योंकि इनकी दरों पर भी भारत सरकार एवं सरकार के अन्य विभाग भी इन्हीं दरों पर फिल्म क्रय करते रहते हैं।

(3) सूचना परिशिष्ठ (क) पर है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

## सघन पशुपालन विकास योजना में नियुक्तियां

657. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के कुछ गांवों में सघन पशुपालन विकास योजना चालू की गई है ?

(2) क्या इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये व्यक्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिये सुरक्षित कोटे के अनुसार नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां तो किस किस पद पर व किस किस श्रेणी में कोटे के अनुसार नियुक्तियां की गई हैं ? जहां कोटे के अनुसार नियुक्तियां नहीं की गई हैं, उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी, नहीं। केवल कनिष्ठ लिपिक के पद पर एक कनिष्ठ लिपिक एवं पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार की गई हैं। अन्य पदों पर विभाग से स्थानान्तरण पदोन्नति एवं अतिरिक्त घोषित कर्मचारियों को लगाया गया है।

## अंगूर की खेती हेतु ऋण

628 श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अंगूर की खेती के लिए राज्य सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है ? यदि हां, तो किस आधार पर कितना ऋण दिया जाता है ?

(2) अंगूर की खेती के लिये किस किस को कितना कितना ऋण कब कब दिया गया तथा उनके पास कितनी कितनी भूमि थी और वसूली कब कब की गई ? सूचि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) इस वर्ष कितना ऋण देने की योजना है तथा ऋण देने का तरीका क्या है और कहां कहां पर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) अंगूर की खेती के लिए नया ऋण 1-4-67 से बन्द कर दिया गया है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। वसूली अभी तक नहीं की गयी है क्योंकि नियमों के अनुसार वसूली तीसरी वर्ष बाद चालू होगी।

(3) इस वर्ष कोई ऋण नहीं दिया जावेगा।

( सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

काश्तकारों को ट्रैक्टरों हेतु ऋण

659. चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या सही है कि काश्तकारों को ट्रैक्टर के लिए जो ऋण दिया जाता था वह बन्द कर दिया है? यदि हां; तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1967 के कृषि के बजट में किसानों के लिए सारी सुविधाएं बन्द करदी हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) 1967-68 के बजट में किसानों को ट्रैक्टरों के लिये कुल कितने रुपये ऋण देने के लिये रखे गये थे तथा अच्छे बीज के लिये कितने रुपये स्वीकार किये गये है?

उत्तर

(1) जी हां। अब ऋण भूमि विकास बेंक द्वारा ही दिया जावेगा।

(2) जी नहीं। केवल 50 पंचायत समितियों में यह सुविधायें भूमि बन्धक बेंक द्वारा दी जाती है।

(3) ट्रैक्टर के लिए ऋण देने का कोई प्रावधान बजट में नहीं रखा गया। बीज के लिए 1,52,17,000 स्वीकृत किए गए।

( कृपया परिशिष्ट 9 देखिये )

बीज गोदामों का निर्माण

670. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) गत वर्ष में कितने ग्रामीण बीज गोदामों का निर्माण किया गया?

(2) कितनी कितनी लागत के व किस किस जगह पर?

(3) इस वर्ष कितने गोदाम निर्माण किये जावेंगे व किस किस जगह और कुल धनराशि कितनी व्यय होगी? इस वर्ष कितने कोल्ड स्टोरेज खोले गये हैं और किस किस जगह किसानों को किस दर पर इसमें माल रखने दिया जायेगा?

उत्तर

(1) वर्ष 66-67 में 34 ग्रामीण गोदाम निर्माण हो रहे थे उन्हें ऋण की दूसरी किस्त दी गई थी।

(2) वर्ष 66-67 में जिन 34 ग्रामीण गोदाम निर्माण हेतु ऋण दिया गया उनमें

# Page No. 71



(श्री कृषि मंत्री)

से 21 गोदाम 12900)00 को लागत के तथा 13 गोदाम 10,000)00 की लागत के। गोदाम निर्माण किस 2 जगह पर कार्य हो रहा था उसकी सूची संलग्न है।

(3) वर्ष 67-68 से की सूची सदन की मेज उर रख दी गई है। इन गोदामों के निर्माण हेतु वर्ष 67-68 में 2,17,520) रु० ऋण व 1,25,000)00 अनुदान दिया गया है। वर्ष 67-68 में कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं खोले गये हैं बल्कि जयपुर व अलवर में निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। निर्माण कार्य पूरा होने पर माल रखने को दर निश्चित की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

## चिड़ावा रेल्वे स्टेशन के पास वाला ट्युबवेल

661. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनू जिले के चिड़ावा रेल्वे स्टेशन के पास भारत सरकार के सिंचाई विभाग ने एक ट्यूबवेल ऐक्सपेरीमेन्ट के तौर पर बोरिंग किया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस ट्यूबवेल पर श्री बनवारीलाल शर्मा अध्यक्ष नगरपालिका ने नाजायज तौर पर कब्जा कर रखा है ?

(3) जिस समय भारत सरकार द्वारा इस ट्यूबवेल का बोरिंग किया गया था उस समय यह जमीन किस के नाम में दर्ज थी और आज किस के नाम दर्ज है ?

(4) क्या यह सही है कि इस ट्यूबवेल के पास की जमीन वाले लोग अपने जमीन को सिंचाई के लिए इस ट्यूबवेल को कीमतन लेने को तैयार हैं ?

(5) क्या यह सही है कि भारत सरकार की ओर से इस संबंध में कोई पत्र भी राज्य सरकार के मुख्य सचिव को दिनांक 27-10-67 को लिखा हुआ प्राप्त हुआ है ?

(6) क्या राज्य सरकार ने इस ट्यूबवेल के नाजायज कब्जों को हटाने के लिए कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

## पंचायत समिति लाड़नूं में कृषि सहकारी समितियां

662. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समितियां क्षेत्र लाडनूं, जिला नागौर में कृषि सहकारी समितियां बनाई गई हैं ? यदि हां, तो कौन कौनसी समिति कब कब बनाई गई उनमें कौन कौन सदस्य हैं ? व उन सदस्यों ने कितने कितने मूल्य के हिस्से खरीदें हैं तथा उक्त समितियों में कितनी कितनी भूमि कौन कौन से खसरा नम्बरों की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरडक)

(2) क्या उक्त समितियों को कोई आर्थिक सहायता राज्य सरकार ने दी है? यदि हां, तो कौन कौनसी समिति को किस कार्य के लिए कितना कितना ऋण व अनुदान कब कब दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त समितियों को दिया गया ऋण व अनुदान तथा समिति को हिस्सा राशि किस किस कार्य में कब कब लगाई गई और शेष रकम किस किस के पास है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इन समितियों का आडिट कब कब हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त समितियों का चुनाव कब कब हुआ था तथा इनमें कौन कौन पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी के सदस्य चुने गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति क्षेत्र लाडनूं जिला नागोर में 2 कृषि सहकारी समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों के सदस्य व हिस्सा खरीद व भूमि सम्बन्धी सूचना की सूची परिशिष्ठ (क) पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) इन समितियों को ऋण तथा अनुदान कोई नहीं दिया है। हिस्सा राशि के बारे में सूचना परिशिष्ठ (ख) संलग्न है।

(4) चन्द्राई संयुक्त कृषि सहकारी समिति का आडिट दि० 19–3–67 को वर्ष 1965–66 का एवम् ढीगसरी संयुक्त सहकारी समिति लि०, का आडिट दि० 28–10–66 को वर्ष 1965–66 का हुआ।

(5) इन कृषि सहकारी समितियों का चुनाव होने व पदाधिकारियों को चुनने के बारे में सूची परिशिष्ठ (ग) पर संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

### किसानों के ऋण दिये जाने सम्बन्धी आवेदन-पत्र

663. श्री रावतराम (छापर सु०): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जैतासर, एवं ढढेरू, तहसील सुजानगढ, जिला चुरू के करीब 15 किसानों ने भूमि-बंधक बैंक, चुरू से कर्जा प्राप्त करने हेतु बहुत अरसे पहले आवेदन-पत्र दिये थे? यदि हां तो उक्त किसानों के नाम व आवेदन-पत्र कब दिये गये, पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इतने अरसे के बाद भी उक्त किसानों को ऋण न मिलने का क्या कारण है? कृपया अब निश्चित बतायें कि इन्हें कब तक कर्जा मिल जायगा?

उत्तर

(1) जी हां, 14 किसानों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे विवरण सूची 'क' पर प्रस्तुत है।

(2) इन 14 प्रार्थना पत्रों में रेवन्यू रिकार्ड सम्बन्धी कुछ कमियां थी जिनकी प्रार्थियों द्वारा पूर्ति अभी तक नहीं की गई है। इस कारण प्रार्थियों को ऋण नहीं मिल सका। प्रार्थियों द्वारा रेवन्यू रिकार्ड सम्बन्धी कमियां पूरी करा देने पर उनको तीन माह के अन्दर अन्दर ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

### राज्य में इंजीनियरों को रोजगार

664. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों से 1967 तक कुल कितने परीक्षार्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उनमें से कितनों को अभी तक रोजगार नहीं मिल पाया है ? इनको काम देने के लिए सरकार की योजना क्या है ?

(2) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने इंजीनियरों की आवश्यकता होगी और कितने इंजीनियर इन कालेजों से उपलब्ध हो सकेंगे ?

उत्तर

(1) सन् 1950 से 1967 तक 3475 विभिन्न कालेजों से विद्यार्थी उत्तीर्ण हुये। यह बताना संभव नहीं है कि कितनों को अब तक रोजगार मिला।

(2) इन कालेजों में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सामान्यतः 1800 इन्जीनियर्स और उपलब्ध हो सकेंगे। कितनी की आवश्यकता होगी यह भी अभी कहना सम्भव नहीं है।

### हाडेन्द्र कालेज, बूंदी में छात्रों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था

665. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या बूंदी के हाडेन्द्र कालेज में छात्रों के लिये पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सत्य है कि छात्र पानी पीने के लिये कलेक्ट्री के बार रूम के पास बार द्वारा रखी गई प्याऊ पर पानी पीते हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि राजस्थान राज्य के निर्माण के समय में छात्रों के लिये पानी के मटके रखे जाते थे ? यदि हां, तो अब क्यों नहीं रखे जाते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। राजकीय महाविद्यालय

(श्री शिक्षा मंत्री)

बूंदी कलेक्ट्री कार्यालय से लगभग 5 फर्लांग दूर है। अतः छात्रों के कलेक्ट्री के बार रूम की प्याऊ पर पानी पीने जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) यह सत्य है। अब भी पीने के पानी के मटके भरे जाते हैं तथा छात्रों को पानी पिलाने के लिये एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लगा रखा है।

## अध्यापकों को ट्रेनिंग देने हेतु सरकार द्वारा आदेश

666. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार अनट्रेंड अध्यापकों को एक निश्चित अवधि के अन्दर ट्रेन्ड होने के लिये कहा गया है? यदि हां, तो यह अवधि कब तक की रखी गई है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अध्यापकों को ट्रेन्ड होने के लिए अध्यापक के खर्चे पर जाने के लिए बिना वेतन छुट्टी मंजूर करती है?

(3) क्या राज्य सरकार ने कश्मीर विश्व विद्यालय में बी. एड. करने के इच्छुक अध्यापकों पर अपने खर्चे पर पूरे सेशन की छुट्टी लेकर जाने पर कोई पाबन्दी लगाई है? यदि हां, तो क्या?

(4) क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स अलवर ने एक सरक्यूलर जारी किया है जिसमें अध्यापकों के कश्मीर यूनीवर्सिटी में जाने के लिए मनाही की गई है और इस आदेश में राज्य सरकार के आदेश का हवाला दिया गया है?

(5) क्या यह सही है कि अलवर के कुछ अध्यापकों ने कश्मीर विश्व विद्यालय में बी. एड. की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने खर्चे पर पूरे सेशन के लिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिये हैं परन्तु उनको इजाजत नहीं दी गई है? यदि हां तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वरिष्ठ अध्यापक को जिन्हें अप्रशिक्षित नियुक्त किये जाते हैं उन्हें 3 वर्ष के अन्दर प्रशिक्षित होना पड़ता है।

(2) किसी भी अध्यापक को जितनी छुट्टियों का हक होता है वह नियमानुसार प्रशिक्षण करने के लिये स्वीकृत किया जाता है।

(3) जम्मू कश्मीर के ऐसे महाविद्यालयों में प्रशिक्षण के लिये जाने की अनुमति नहीं दी जाती जिसके लिये अध्यापकों को सत्र के मध्य में कुछ महीनों के लिये अवकाश देना पड़ता है।

(4) यह सही है।

(5) जी हां। इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे क्योंकि इस प्रकार प्रशिक्षण में जाने वाले अध्यापक सत्र के मध्य में एक-एक, दो दो माह की छुट्टी कितनी ही बार लेते हैं जिससे शिक्षण कार्य में बाधा पहुंचती है।

### संग्रहाध्यक्ष, राज संग्रहालय भरतपुर को वेतन

667. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि श्री चतुर्भुज दास चतुर्वेदी संग्रहाध्यक्ष राज संग्रहालय भरतपुर को वृद्धावस्था के कारण 5-11-58 को राज्य सेवा से निवृत किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उनके 13 दिन के अवकाश काल का वेतन अब तक नहीं मिला है ?

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में निदेशक पुरातत्व संग्रहालय विभाग जयपुर ने भी राज्य सरकार को शीघ्र आदेश प्रसारित करने के लिये लिखा है लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो इस अत्यधिक विलम्ब का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वेतन देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उनको अपने अधिकृत अवकाशों का उपयोग सेवा निवृत्ति के दिन 5-11-58 से पहले ही कर लेना चाहिये था।

(3) सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।

### गांधी पार्क प्राथमिक शाला गोविन्दगढ़

668. श्री गंगा सहाय (बहरोड़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि गांधी पार्क प्राथमिक शाला गोविन्दगढ़ को सरकार ने 42,000 में नीलाम कर दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्राथमिक शाला में लगभग 500 से 600 तक बच्चे शिक्षा पाते हैं और 6 अध्यापक कार्य करते हैं ?

(3) क्या सरकार ने उस पार्क को निलाम करने से पूर्व बच्चों की पढ़ाई के लिये किसी अन्य स्थान पर उचित व्यवस्था कर दी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस शाला में 300 से 400 तक के बीच छात्र पढ़ते हैं तथा 6 शिक्षक कार्य करते हैं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

### भीनमाल में परीक्षा-केन्द्र

669. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि भीनमाल (जिला जालोर) में अभी तक परीक्षा केन्द्र नहीं खोला गया है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि वहां की जनता एवं विद्यार्थियों की मांग काफी अर्से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

से भीनमाल में परीक्षा केन्द्र स्थापित करने के बारे में शिक्षा विभाग को पेश की जा चुकी है ? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि भीनमाल जिला जालोर का एक केन्द्रीय स्थान है, और सब तरह की सुविधाओं को देखते हुए परीक्षा केन्द्र के लिए एक उपयुक्त स्थान है ? अगर हां, परीक्षा केन्द्र यहां पर अभी तक क्यों नहीं स्थापित किया गया है तथा अब यहां पर परीक्षा केन्द्र कब तक स्थापित कर लिया जावेगा ?

(4) एक परीक्षा केन्द्र खोलने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं ? क्या ये सारे आधार भीनमाल में मौजूद हैं ?

उत्तर

(1) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भीनमाल को सन् 1968 की परीक्षाओं से केन्द्र बना दिया गया है।

(2) व (3) प्रश्न के भाग (1) में दिये गये

(4) उत्तर से प्रश्न नहीं उठता।

## अलवर में गौरादेवी राजकीय महिला महाविद्यालय के पास छात्रावास की व्यवस्था

670. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर में गौरादेवी राजकीय महिला महाविद्यालय के पास छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि इस महाविद्यालय के पूर्व दान दाताओं ने राज्य सरकार को आश्वासन दिलाया है कि यदि छात्रावास के लिये भूमि अलाट कर दी जाय तो वे तुरन्त छात्रावास का निर्माण शुरू करने के लिये तैयार हैं ?

(3) क्या यह सही है कि महा विद्यालय की प्रिन्सीपल ने भी छात्रावास के लिये भूमि अलाट की जाने के लिये राज्य सरकार को लिखा है ?

(4) क्या यह सही है कि महाविद्यालय की वर्तमान सीमा से संलग्न पूर्व की ओर काफी कृषि भूमि पड़ी हुई है जो कि नगर विकास न्यास अवाप्त करना चाहता है ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त भूमि इस महाविद्यालय के छात्रावास के लिये अलाट करके अवाप्ति की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) नगर सुधार बोर्ड, अलवर से पत्र-व्यवहार चल रहा है।

## शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी भाषा का विकास

671. श्री रामानन्द अग्रवाल (पलवल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और उनमें छात्रों को क्षेत्रीय भाषा एवं राष्ट्र भाषा हिन्दी का पढ़ना अनिवार्य नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार तथा उसके अधिनस्थ संस्थाओं ने इस प्रकार के स्कूलों को मान्यता प्रदान की हुई है ?

(3) क्या राज्य सरकार हिन्दी के विकास के लिये यह आवश्यक नहीं समझती है कि राज्य में मान्यता प्राप्त हर शिक्षण संस्था में हिन्दी की शिक्षा किसी निश्चित स्तर तक अनिवार्य रखी जावे ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) यह बात सही नहीं है कि राजस्थान में एसे बहुत से स्कूल हैं जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है । ऐसी शायद ही कोई संस्था हो जहाँ हिन्दी अनिवार्य रूप से न पढ़ाई जाती हो ।

(2) निदेशालय के स्तर पर प्राप्त जानकारी के आधार पर ;यह कहा जा सकता है कि ऐसे स्कूलों को जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है तथा हिन्दी अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जाती है यहां से अथवा अधिनस्थ कार्यालयों से मान्यता प्रदान नहीं की जाती ।

(3) निदेशालय द्वारा संचालित तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों में हिन्दी के स्तर के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है जो हायर सेकेन्ड्री स्तर तक अनिवार्य है ।

## दुर्लभजी बाल मन्दिर में बसों का प्रबन्ध

672. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर में सरकार द्वारा संचालित समस्त प्राथमिक पाठशालाओं में बच्चों को लाने व ले जाने हेतु बसों का प्रबन्ध है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री नरेन्द्र बी. दुर्लभजी बाल मन्दिर में भी बच्चों को लाने व ले जाने हेतु दो बसें राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो क्या वे ठीक हालत में है ?

(3) क्या यह सही है कि इन बसों में से एक बस को स्थाई रूप से खराब रहती है तथा दूसरी माह में 8-10 बार खराब हो जाती है जिसके फलस्वरूप छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है ? कृपया इसका विवरण देवें कि 1966-67 में बस कितनी बार खराब हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि अभिभावकों से बस की पूरी फीस वसूल की जाती हैं चाहे बस पूर्ण रूप से माह भर खराब पड़ी रही हो ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(5) क्या राज्य सरकार इस बाल मन्दिर के लिये नई बसें देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि जयपुर में सरकार द्वारा संचालित समस्त प्राथमिक पाठशालाओं में बच्चों को लाने व ले जाने हेतु बसों का प्रबन्ध है।

(2) यह सही है कि नरेन्द्र जो दुर्लभ जो बाल मन्दिर के बच्चों तथा गूंगे बहरों के स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के लिए दो बसें दी गई हैं जो इस समय चालू अवस्था में हैं। उनके नम्बर आर० जे० एल० 4860 व आर० जे० एल० 719 है।

(3) यह सही नहीं है । इतना अवश्य है कि जब जब भी गाड़ी खराब होती है तो दूसरी गाड़ी से अतिरिक्त ट्रिप कराकर बच्चों को स्कूल लाने व ले जाने की व्यवस्था की गई है। बच्चों की दिक्कत नहीं होने दी गई है। सत्र 1366–67 में निम्न प्रकार से गाड़ी खराब रही है :—

गाड़ी नम्बर आर० जे० एल० 4860

दिनांक 1-7-66 से 4-7-66 4 दिन

दिनांक 10–8–66 से 18–3–66 9 दिन

दिनांक 12–10–66 से 28 8·66 10 माह 6 दिन

गाड़ी नम्बर आर० जे० एल० 719

दिनांक 29–7–66 से 7–8–66 10 दिन

दिनांक 22–7–67 से 4–3–67 11 दिन

दिनांक 8–3–66 से 11–3–67 4 दिन

दिनांक 21-3-67 1 दिन

(4) यह सही नहीं है कि पूरे माह बस खराब रहने पर भी फीस वसूल की जाती है .

(5) नई बसों के लिए फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है।

## प्रान्तीय भाषा के विकास हेतु समिति का गठन

673. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को प्रान्तीय भाषा के विकास के लिए एक करोड़ रुपए की धनराशि देने का आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो इस धनराशि का उपयोग किए जाने को क्या योजना है ?

(2) क्या इस दृष्टि से कोई समिति गठित की गई है ? यदि हां, तो उसके कौन कौन सदस्य हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना अभी प्रारूप स्थिति में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(2) योजना अभी प्रारूप स्थिति में है अतः सदस्यों के नाम बताना सामयिक नहीं है।

बी. एड. की ट्रेनिंग की संस्थायें

174. श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्तमान में बी. एड़. की शिक्षा के लिए कितनी सहकारी व गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं और प्रत्येक संस्था में कितने कितने छात्रों को प्रतिवर्ष शिक्षा मिलने की सुविधा है ?

(2) क्या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा बी. एड़. की ट्रेनिंग प्राप्त कर लेने वाले छात्रों को ट्रेण्ड अध्यापक को ग्रेड दे दी जाती है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

राजस्थान राज्य में वर्तमान में बी० एड़० प्रशिक्षण देने के लिये निम्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं और उनमें छात्रों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण की जो सुविधा है उनके नाम के सामने अंकित है :—

| क्रम संख्या | नाम प्रशिक्षण विद्यालय | प्रशिक्षण के लिए स्थान |
|---|---|---|
| (1) | राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर | 145 |
| (2) | राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, अजमेर | 135 |
| (3) | विद्या भवन उदयपुर (अनुदान प्राप्त) | 216 |
| (4) | गांधी विद्या मन्दिर सरदारशहर (अनुदान प्राप्त) | 150 |
| (5) | महेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (अनुदान प्राप्त) | 200 |
| (6) | जीवलाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, अजमेर | 120 |
| (7) | बी० एड़० कालेज सबोक (उदयपुर) | 200 |
| (8) | जवाहरलाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कोटा | 119 |
| (9) | शिक्षक नेहरू प्रशिक्षण महाविद्यालय सांगरिया | 100 |
| (10) | वनस्थली शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय वनस्थली | 80 |
| (11) | एस. एस. जी पारिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जयपुर | 120 |
| (12) | रीजनल कालेज ऑफ एज्युकेशन अजमेर (केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित) | 110 |

(2) गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा बी. एड़. के प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने वाले छात्रों को प्रशिक्षण अध्यापक की ग्रेड दे दी जानी चाहिये। गैर सरकारी संस्था मान्यता प्राप्त होनी चाहिये।

## रीजनल कालेज ग्राफ एजूकेशन हेतु खरीदी गई जमीन का भुगतान

675. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अजमेर में रीजनल कॉलेज ग्रॉफ एजूकेशन के लिये कितनी भूमि खरीदी गई व कितने रुपये का भुगतान कर दिया गया है ग्रौर कितने देने शेष हैं ?

उत्तर

226. बीघा भूमि खरीदी गई। उसके मुग्रावजे का 1.30 लाख का भुगतान हो चुका है तथा 82,574 रु० का भुगतान करना बाकी है।

## चैरिटी ट्रस्ट, रतनगढ द्वारा चलाई गई पाठशाला

676. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चेरिटी ट्रस्ट रतनगढ़ चुरू जिले में हनुमान ग्राम्य पाठशाला नाम से पाठशालाएं चला रहा है ? ग्रौर राज्य सरकार उन्हें 50 प्रतिशत ग्रांट-इन-एड दे रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि 6 मार्च, 1967 को पाठशाला-प्रबन्ध समिति ने इन संस्थाओं को चलाने में असमर्थता प्रकट करते हुए शिक्षा विभाग से इन पाठशालों को विभाग के अधीनस्थ लेने का निवेदन किया था ? ग्रौर इसी तिथि को सभी सेवाधीन ग्रध्यापकों, कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति का ग्रादेश दे दिया था ?

(3) क्या इस संस्था के ग्रध्यापकों के अपनी सेवा सुरक्षा के सामूहिक प्रति निवेदन पर निदेशक, शिक्षा विभाग बीकानेर ने शिक्षा सहायता नियम के उद्धरण संख्या 8 के ग्रधीन संस्था संचालकों को सत्रान्त तक नियमित रूप से शालाएं संचलित रखने का ग्रादेश दिया ?

(4) पुनश्च 13 जून, 67 के रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संस्था संचालकों ने ग्रध्यापकों को एकवर्षीय ग्रावधिक सेवा मुक्ति का ग्राज्ञा पत्र दे दिया ग्रौर शिक्षा विभाग से समस्त शालाएं मय भवन तथा ग्रन्य उपकरणों के ग्रहण करने के लिए निवेदन किया ?

(5) क्या यह भी सही है कि चुरू जिले की सब पंचायत समितियों ग्रौर विद्यालय निरीक्षकों ने शिक्षकों एवं शालाओं को राज्याधीन लेने के ग्रौचित्य का समर्थन किया है ?

(6) क्या यह सही है कि उप निदेशक शिक्षा ने भी चूरू विद्यालय निरीक्षक ग्रौर पंचायत समितियों की राय से सहमति रखते हुए राज्य सरकार को इन संस्थाओं को शिक्षकों, भवन ग्रौर उपकरण सहित ग्रधिग्रहण करने के लिए लिखा है ?

(7) क्या यह भी सही है कि इन पाठशालाओं में 17 ग्रध्यापक सेवा रत हैं ग्रौर ग्रौर 824 बालक बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(8) राज्य सरकार इन शालाओं को आगामी शिक्षा सत्र से पूर्व ही मय शिक्षकों कर्मचारियों, भवन और उपकरण अपने अधीन ले रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) यह सही है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) यह सही है।

(5) यह सही है।

(6) जी हां।

(7) अध्यापकों की संख्या ठीक है और छात्र संख्या भी लगभग ठीक है।

(8) राज्य सरकार के विचाराधीन है।

## राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छानी बड़ी के भवन की मरम्मत

677. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छानी बड़ी, तहसील भादरा, जिला गंगानगर, के भवन के सम्बन्ध में स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30 9–63 को सब-रजिस्ट्रार, भादरा के समक्ष नियमानुसार विद्यालय निरीक्षक, गंगानगर के माध्यम से शिक्षा विभाग के हक में दान-पत्र पंजीकृत करवा दिया था और विभाग ने उस रोज से विद्यालय भवन को अधिकृत रूप से अपने अधिकार में ले लिया और विद्यालय निरीक्षक, श्री गंगानगर ने उप संचालक, शिक्षा विभाग, जे. बी. रेंज, जोधपुर को पत्र लिखकर उपरोक्त तथ्य की पुष्टि की तथा विद्यालय निरीक्षक ने उक्त पत्र की प्रतिलिपि अपने क्रमांक आई. एम. । एस जी. एन. आर. । जी. वाई. । बिल्डिंग । 63 । 36528 दिनांक 20-11-63 द्वारा संचालक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को भेजी ?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने इस विद्यालय भवन को अपने अधीन लाने के पश्चात एक बार भी मरम्मत नहीं करवाई है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? अब कब तक मरम्मत करवाने का इरादा है ?

उत्तर

(1) दान-पत्र निदेशालय में प्राप्त हो गये हैं।

(2) वार्षिक मरम्मत के लिए 750 रुपये इस वर्ष दिये गये हैं। विशेष मरम्मत के लिए 2000 रुपया की आवश्यकता बताई गई है किन्तु पिछले वर्षों में बजट की कठिनाई होने के कारण व्यवस्था नहीं हो सकी।

## पब्लिक लाइब्रेरी, बीकानेर के पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

678. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(1) पब्लिक लाइब्रेरी (राजकीय) बीकानेर में इस समय लाइब्रेरियन का काम कौन व्यक्ति कितने समय से कर रहा है?

(2) क्या यह सही है कि उसके व्यवहार के सम्बन्ध में वहां के कर्मचारियों एवं जनता ने बार बार शिकायत की है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) राजकीय प्रादेशिक पुस्तकालय, बीकानेर में इस समय पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर श्री महावीर प्रसाद माह नवम्बर 1962 से काम कर रहे हैं।

(2) व्यवहार के सम्बन्ध में कोई लिखित शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है।

## इमारती पत्थर की खानों की रॉयल्टी की वसूली का ठेका

679. श्री हरीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा इमारती पत्थर की खानों की रॉयल्टी वसूल करने का जो ठेका दिया जाता है उसमें यह शर्त होती है कि काश्तकारों से अपने निजी उपयोग के लिये ले जाने वाले पत्थरों से रॉयल्टी वसूल नहीं की जावे? यदि हां, तो ठेकेदार लोग उक्त छूट देने में क्या तरीका अपनाते हैं और छूट किस प्रकार से देते हैं?

(2) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि यह छूट वास्तव में काश्तकारों को मिलती है या ठेकेदार लोग ही इसका नाजायज फायदा उठाते हैं?

उत्तर

(1) केवल चुनाई पत्थर के ठेकों में यह शर्त रखी जाती है। ठेकेदार इनसे रॉयल्टी वसूल नहीं करते हैं।

(2) बेजा फायदा उठाने की कोई शिकायत नहीं आई है।

## अजमेर में ग्राइंडिंग टूल्स मशीन का कारखाना

680. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने चैकोस्लोवाकिया सरकार के सहयोग से ग्राइन्डिग टूल्स मशीन का कारखाना अजमेर में लगाने का निश्चय किया है?

(2) यह कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में लगाया जायेगा या निजी क्षेत्र में?

(3) इस कारखाने के सम्बन्ध में भारत चैकोस्लोवाकिया के बीच सहयोग के आधार क्या क्या तय हुए हैं? क्या राज्य सरकार को इस सहयोग के मुहायदे की कोई प्रतिलिपि प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

(4) इस कारखाने में कुल कितनी धनराशि लगेगी और इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा इसमें कितने कितने लोगों को रोजगार मिल पायेगा? यह कारखाना कब तक उत्पादन शुरू कर देगा?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(5) क्या इस कारखाने के सम्बन्ध में कोई कार्य शुरू किया गया है ? यदि हां, तो क्या क्या ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र में।

(3) मुहायदे की कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है।

(4) यह कारखाना करीब 8.29 करोड़ रु० के लागत से तैयार होगा और पूरा उत्पादन शुरू होने पर करीब 2000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। यह आशा की जाती है कि कारखाने का उत्पादन 1969 के अन्त तक शुरू हो जावेगा।

(5) इस कारखाने को चलाने के लिए एक कम्पनी बन गई है उसमें जनरल मैनेजर व सचिव व अभियन्ताओं की नियुक्ति भी हो गई है। भूमि का कब्जा कार्पोरेशन को दिया गया है। शीघ्र ही फैक्ट्री के लिए मकान बनने का कार्य चालू होगा।

गांव पीपलिया में औद्योगिक बस्ती की स्थापना

681, श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली जिले के गांव पीपलिया में औद्योगिक बस्ती स्थापित करने की योजना है ?

(2) यदि हां, तो इसमें सरकारी सहयोग कितना और किस प्रकार का होगा व प्राइवेट हिस्सा किसका और कितना होगा ?

(3) इसका संचालन किसके जिम्मे रहेगा और इस बस्ती में कितने और कौन कौन से उद्योग लगाए जाने की योजना है ?

(4) यह योजना कब तक कार्यान्वित करने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हां। सहायता प्राप्त औद्योगिक बस्ती की योजना विचाराधीन है।

(2) योजना स्वीकृत होने की स्थिति में वित्तीय सहयोग निम्न प्रकार से होगा—

(अ) औद्योगिक बस्ती निर्माण के अनुमानित मूल्य का 40 प्रतिशत।

प्रेम नगर इण्डस्ट्रियल एस्टेट-प्राइवेट लिमिटेड, प्रेम नगर पीपलिया कलां द्वारा जो औद्योगिक बस्ती स्थापित कर रही है।

(ब) 60 प्रतिशत जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार की गारन्टी पर।

(3) संचालन प्रेम नगर इण्डस्ट्रियल स्टेट कम्पनी प्रा० लि०, प्रेम नगर पीपलिया कलां द्वारा किया जाएगा। इस कम्पनी के संचालक मण्डल में उद्योग विभाग का एक अधिकारी राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होगा।

(4) वांछित सूचना सदन की मेज पर

(उद्योग मंत्री)

रख दी गई है। यह कहना कठिन है कि इसकी क्रियान्विति कब तक होगी। इसके लिए जमीन की अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। इसके पूर्ण होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ठ 11 देखिये)

## रामगढ़ (अलवर) में बिजली की सप्लाई

682. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रामगढ़ (अलवर) में बिजली की सप्लाई नियमित नहीं होती जिसके कारण वहां के नलों में पानी नहीं आता ?

(2) क्या यह भी सही है कि बिजली पानी जनता को नियमित नहीं मिलता परन्तु बिजली व पानी का चार्ज पूरा लिया जाता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बिजली के लिए सही नहीं है।
पानी का चार्ज ग्राम पंचायत के द्वारा तय किया जाता है।

## सीकर ग्राम में बिजली

683. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकरी ग्राम, जिला भरतपुर, में बिजली आये एक वर्ष बीत चुका है ?

(2) स्थानीय लोगों के घरू उपयोग के लिए कितने कनेक्शन्स अभी तक दिये जा चुके हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या कृषि कार्य के लिए भी कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कोई नहीं। ग्राम सीकरी का विद्युतिकरण ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत हुआ है। अतः ग्राम में लोकल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन नहीं डाली गई।

(3) केवल एक ही व्यक्ति ने पैसे जमा कराये है। लेकिन एल फार्म अभी तक नहीं दिया है, तथा छः और व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिये है लेकिन पैसे जोलाई, 67 में डिमान्ड नोटिस देने पर भी अभी तक जमा नहीं कराये हैं। इसलिए कनेक्शन नहीं दिये जा सके।

## अलवर में बिजली की कमी

684. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर में बिजली की कमी रही है जिसके फलस्वरूप

(श्री गंगासहाय)

कृषि कार्य के लिये भी कम बिजली दी जाती रही है ?

(2) क्या यह सही है कि बिजली की कमी होने पर भी बिजली विभाग ने आटे की चक्की लगाने वालों को बहुत से कनेक्शन दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों दिये गये हैं जब कि बिजली की पहले ही कमी चल रही थी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि अलवर में बिजली की कमी चली आ रही है जिसके कारण उपभोक्ताओं को (कृषि कार्य भी) चौबीस घंटे लगातार नियमित बिजली देना सम्भव नहीं हो सका है। किन्तु कृषि कार्य के हेतु दी जाने वाली बिजली में अधिक से अधिक सुविधा कृषकों को देने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) जब से बिजली की कमी चली आ रही है चक्की के हेतु कोई नये कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। केवल वे ही कनेक्शन दिये गये है जिन गांवों में एक भी चक्की नहीं थी। क्योंकि जिन गांवों में एक भी चक्की न हो वहां कम से कम एक चक्की का कनेक्शन देना विद्युत मण्डल के नियमों के अधीन अनिवार्य है। अथवा वे ही कनेक्शन दिये गये जो कि प्रतिबन्ध लगने से पूर्व ही स्वीकृत हो चुके थे किन्तु टाइम स्विच के अभाव में पड़े थे।

## वायरमैन इलेक्ट्रिशियन व सुपरवाइजर की परीक्षाएं

685. श्री गंगासहाय। (कठूमर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1967 के प्रारम्भ में जो वायरमैन इलेक्ट्रिशियन व सुपरवाइजर की परीक्षा हुई थी उनका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है ? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अब दूसरी बार उक्त पदों के लिये परीक्षा लेने की तैयारी की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) प्रश्न ही नहीं उठता

## ग्राम जालिमपुरा में बिजली की कमी के कारण पम्पिंग सेट के कार्य में रुकावट

686. श्री कल्याणमल (जहाजपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम जालिमपुरा, तहसील जहाजपुर में अकसर बिजली के अभाव से दिन में 6 घण्टों तक पंपिंग सेट बन्द रहते हैं ? यदि हां, तो बिजली बन्द रहने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी नहीं केवल यदा-कदा कभी कभी लाईन की खराबी के कारण बिजली बंद हो जाती है।

Page No. 86



जवाजा पंचायत समिति को कृषि हेतु बिजली

687. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जवाजा, अजमेर की ग्राम पंचायतों के काश्तकारों को अब तक कृषि हेतु बिजली नहीं दी गई है जब कि पंचायत समिति के चारों ओर पड़ने वाली सभी पंचायत समितियों में बिजली लगा दी गई है ?

(2) सरकार जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में बिजली कृषि कार्यों के लिये देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति जवाजा के ब्यावर, सुन्दरी, सानगर फतहगढ़ सता का नियुक्तिकरण हो चुका है और वहां पर कृषि के लिये कनेक्शन दिये जा चुके हैं और भी अर्जियां आई हुई है उस पर तो कनेक्शन देने का कार्य चल रहा है।

(2) कृषि कार्य के लिये और दो ग्रामों का विद्युनिकल योजना लाभप्रद होने तथ पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है अतः अभी निश्चित से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

हिन्डोन और करौली को चम्बल की बिजली

688. श्री अग्रवाल (हिन्डोन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि चम्बल की बिजली हिन्डोन व करौली के लिये दी जाती है ?

(3) यदि हां, तो कब से दी जा रही है और इससे पहले कहां से सप्लाई की जाती थी ?

(3) क्या यह सच है कि हिन्डोन और करौली में बिजली की दर पुरानी ही चार्ज की जा रही है ?

(4) यदि हां, तो क्यों और किस दर पर और नियमों के अनुसार यह कितनी अधिक है ?

उत्तर

(1) जी हां, 9-3-1966 से।

(2) उससे पहले करौली पावरहाउस ही से दी जाती थी।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

चूरू जिले के म्युनिसिपल टाउन्स का विद्युतिकरण

689. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले के म्युनिसिपल टाउन्स में से कई म्युनिसिपल टाउन्स का विद्युतिकरण कतई नहीं हुआ है ? यदि हां, तो किस किस टाउन्स के किस-किस वार्ड का ?

(श्री मेघराज पंवार)

(2) इन वार्डों का कतई विद्युतिकरण नहीं करने का क्या कारण है ?

(3) राजस्थान विद्युत मण्डल के गठन के बाद कौन कौन से टाउन्स के कौन-कौन से वार्डों का विद्युतिकरण हुआ है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

(10·22 म.पू.)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के वर्तमान सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1968।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान बिक्री कर (संशोधन एवं) वैधकरण) विधेयक, 1968।

2. राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1968।

3. राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल (संशोधन) विधेयक, 1968।

4. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968।

5. राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1968।

6. राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1968।

श्री उपाध्यक्ष : उद्योग मन्त्री !

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 ए (3) (बी) के अन्तर्गत—

(1) आबूरोड इलेक्ट्रिसिटी एण्ड इन्डस्ट्री कम्पनी लिमिटेड, आबूरोड का 22 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब वर्ष 1966-67, तथा

(2) दी भवानी मण्डी इलेक्ट्रिक एण्ड डेवलपमेंट कम्पनी लि०, भवानी मण्डी की बीसवीं रिपोर्ट एवं हिसाब वर्ष 1966-67, को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में उद्योग मन्त्री से एक जानकारी चाहता हूं, यह आपकी इस सदन की मेज पर जो भी रिपोर्ट्स या ऑडिट रिपोर्टस, या एन्यूअल रिपोर्ट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स रखनी थीं या रखनी चाहिए थी, जो हमेशा सदन में रखी जाती हैं। उन्हें रखे जाने के सम्बन्ध में ऐसा निर्देश किया है कि यह तमाम यहां पर रखा जानी चाहिए—वह क्या सारी रख दी हैं ? यदि नहीं रखी हैं तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो आज तक सदन की मेज पर नहीं रख पाये, यह जानकारी के लिए बता दें।

# Page No. 88



**श्री हरिदेव जोशी :** उपाध्यक्ष महोदय, पहले जिस दिन इन्डस्ट्रीज की डिमाण्ड की थी उस दिन बाकी जितनी रिपोर्ट्स आई थीं वह सबकी सब रख दी गई थीं। दो रिपोर्ट नहीं आई थी वह कम्पनी को लिख कर मंगाई और उनको रख दिया है।

**श्री उपाध्यक्ष :** याचिकाओं का उपस्थापन।

**श्री भैरोंसिंह :** पब्लिक अन्डर टेकिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है·······

**श्री हरिदेव जोशी :** मुझे जानकारी नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह :** मंत्री जो बैठे हैं।

**श्री हरिदेव जोशी :** जो प्रश्न सामने था वह था कि कौनसी इन्डस्ट्री की आई, और कौनसी की नहीं आई। वह मैंने बता दिया।

## याचिकाओं का उपस्थापन

**श्री उपाध्यक्ष :** याचिकाओं का उपस्थापन।

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** उपाध्यक्ष महोदय, शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में भूमिहीन किसानों व (आदिवासी) सहरियों को एलॉट की गई भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिये जाने तथा पंचायत समिति द्वारा (आदिवासी) सहरियों को ऋण व अनुदान में फर्जी कार्यवाही के सम्बन्ध में चार याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकायें उपस्थित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरानी बस्ती (जयपुर) में गटर लाइन व सड़क ठीक कराने के सम्बन्ध में तीन याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री मुकुट बिहारीलाल।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं बसेड़ी तहसील इलाके में किसानों को मकान बनाने हेतु खण्डा पत्थर उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में याचिका देने वालों द्वारा हस्तान्तरित ·····

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** हस्ताक्षरित।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :** हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

## समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

**श्री उपाध्यक्ष :** समितियां के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री यशवन्तसिंह नाहर।

**श्री यशवन्तसिंह नाहर** (सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 1967-68 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

## विधायी कार्य

### राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन दर (संशोधन) विधेयक, 1968 का पुरःस्थापन

**श्री उपाध्यक्ष :** विधायी कार्य। पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह नम्र निवेदन है आपके जरिये से सदन के माननीय सदस्यों से कि यह बिल जो है वह बहुत ही साधारण बिल है जिसमें बहुत ज्यादा वाद-विवाद की गुंजाइश नहीं है। इस बिल में एन्टरटेनमेंट टैक्स के अन्दर अपील का प्रॉवीजन किया जा रहा है. महीने में अपील कर सकते हैं। यह छोटा सा है। सदन इजाजत दे, आप इजाजत दें तो मैं इजाजत लेकर इस बिल को पारित कराना पसन्द करूंगा। क्योंकि अपील के मामले पड़े रह जाते हैं इसलिए यह बिल ला रहा हूं इसमें अपील का प्रॉवीजन है। आपकी इजाजत हो तो यह पास हो जाय।

श्री नत्थीसिंह : हमने निवेदन किया था कि एक हफ्ते का समय बढ़ा दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम जो कहते हैं, आप सुनते नहीं हैं, आप हमसे कोआॅपरेट नहीं करते हैं।

श्री नत्थीसिंह : हम बैठने के लिए तैयार हैं लेकिन""

श्री मथुरादास माथुर : जो भैरोंसिंह जी कह रहे हैं वह बात मुझे मंजूर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपसे यह मांग की गई कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट है, उसको ले लें। वह रह गयी है। इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्टें रह गई हैं, पी० एस० सी० की रिपोर्ट है, तो पांच-सात दिन हाउस और बढ़ाने में क्या जाता है, क्या जोर आता है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : रेवेन्यू लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, इण्डस्ट्रीज की रिपोर्ट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जहां आपने इतनी गाली खाई है वहां सात दिन और खा लें।

श्री जयनारायण खालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से व्यवस्था थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, उसको सदन में विचारार्थ ले लिया जायगा। हमने करीब सोलह सतरह विधायकों ने लिख कर दे रखा है। आपने फर्माया था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसको रखेंगे। आज हाउस एडजोर्न हो जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा तो बिल का प्रस्ताव है। इसके लिए आप

(श्री मथुरादास माथुर)
इजाजत देने को तैयार हो तो मैं प्रस्ताव कर दूं।

श्री नत्थीसिंह : यह प्रश्न नहीं है कि आपके साथ कोआॅपरेट नहीं करें। यह मन्शा नहीं है। हमारा कहना है, कल इसी हाउस में उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि यह सदन यह चाहता है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट है उस पर विचार करने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति नहीं दी गई।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी व्यवस्था--

सदन के कुछ माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई है जो इस प्रकार है:--

(1) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान स्टेट रोडवेज कार्पोरेशन द्वारा 84 अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों की छटनी करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केदारनाथ, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री हरजीराम बुरड़क, से प्राप्त हुई जिसमें जैसलमेर जिले में आर्मी फील्ड फायरिंग रेंज के लिए सरकार द्वारा एक फरवरी, 1967 को करीब 9 गांवों की जमीन खाली करवाने के उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

(3) तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ, श्री रामसिंह कुड़ी, श्री हरजीराम बुरड़क श्री मुकुट बिहारीलाल श्री हीराभाई व श्री चुन्नीलाल इन्दालिया, ने दी है जिसका संबन्ध राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी लेक्चरारों की नियुक्तियों से है।

(4) ये तीनों स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अत: मैं इनहें सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हीराभाई व श्री बिट्ठलभाई 'सदस्य' विधान सभा से प्राप्त हुई जिसका संबन्ध बीकानेर जिप्सम लिमिटेड में गबन व चोरी किये जाने से है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : इसी विषय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केदारनाथ व श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई थी और उस पर कल निर्णय दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मैं इस स्थगन प्रस्ताव को भी प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन प्रस्ताव लेक्चरार की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिये हैं, उसमें जो भी व्यवस्था आपने दी है वह तो शिरोधार्य है परन्तु मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री उपाध्यक्ष : शिरोधार्य कहां हुए, उसमें आप कुछ कहने जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्थगित आप हाऊस न करें, इस हद तक ठीक है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस प्रकार का है कि सरकार ने इस प्रकार की नीति बनाली है कि जिससे लेक्चरार जो नियुक्त हो रहे है उनकी भावी जिन्दगी पर भारी असर पड़ता है। जिन लोगों को पिछले साल परमानेंट पोस्ट के खिलाफ अस्थाई तौर पर नियुक्त कर दिया गया उन लोगों का इस वर्ष जब केस कन्सीडर किया जायेगा तो पुराने नियुक्त लेक्चरार्स को भी मेरिट में क्यू में खड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस कारण पुराने लेक्चरार्स के मुकाबिले में जो इस साल के एम. ए. हैं उनको यदि नम्बर ज्यादा आ जाय तो पिछले साल के जो नियुक्त थे उनको हटा दिया जायेगा और नये को लगा दिया जायगा। बहुत से उनमें से ओवरऐज हो रहे जिससे वह दूसरी जगह जा नहीं सकते और दूसरे डिपार्टमेंट में एप्लाई नहीं कर सकते। इसका भारी असर पड़ता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप यह आदेश दें कि मन्त्री जी स्थिति को क्लियर करें और कम से कम ऐसे प्राध्यापक जो पहले से नियुक्त है वह पी०एस०सी० से सिलेक्ट होकर आ जाएं तो फिर क्या इन लोगों को....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब तक परमानेंट नहीं आये तब तक नहीं लगाना चाहिए। वर्ना जो ओवरऐज हो रहे है उन पर भारी असर पड़ेगा और यह उचित नहीं है।

श्री नरपतसिंह : मन्त्री महोदय के द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ तो कहा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर व्यवस्था दे दी गई है।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने व्यवस्था दी थी कि मेरे स्थगन प्रस्ताव पर माननीय मन्त्री जी पुलिस डिमांड के समय में बहस के समय जानकारी दे देंगे। उस समय यह कह दिया लेकिन जानकारी प्राप्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उस सम्बन्ध में आज कुछ नहीं किया जा सकता। मंत्री महोदय आज जवाब देने की स्थिति में नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : उनके पास जानकारी है उनको आप कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : सम्भव नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि अजमेर के अन्दर चीनी के राशन के सम्बन्ध में कहा था।

श्री दिग्विजयसिंह : मेरे प्रश्न के संबंध में जानकारी दिलायी जानी चाहिए।

श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर के लिए खाद्यमन्त्री ने कहा था कि 150 ग्राम प्रतिव्यक्ति चीनी दी जायेगी वह पर्याप्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न उठाएं।

# Page No. 92



श्री भगवानदास शास्त्री : जो मध्यवर्ग के लोग है उनके लिए तो मन्त्री महोदय थोड़ा सा वक्तव्य दे दें कि 600 ग्राम नहीं तो कम से कम 400 ग्राम चीनी दिलाई जायगी। 150 ग्राम वह आज प्राप्त कर सकते हैं। यह अजमेर के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जान-बूझ कर आसन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

## अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति आयुक्त की रिपोर्ट पर बहस की मांग

श्री श्रवणलाल : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री श्रवणलाल : मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कल चेयरमैन की तरफ से आदेश दिया गया था, जिस समय समाज कल्याण मन्त्री ने समाज कल्याण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो काफी सदस्यों ने इस पर अपने विचार गम्भीरता के साथ व्यक्त किये थे। इसलिये इसके ऊपर इस समय इस सदन में बहस करने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप की बात समझ गया। अध्यक्ष महोदय पधारे हुए हैं। आप जाकर उनसे चेम्बर में मिल लें। कार्य सलाहकार समिति यदि स्वीकृति दे देती है तो यह मसाला आ सकेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कार्य सलाह कार समिति की मीटिंग हैं क्या ? अभी।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था कल दे दी गई थी कि यदि कार्य सलाहकार समिति वाजिब समझे तो इसको लिया जा सकता है। और इसके निर्णय को पलटा नहीं जा सकता। यहां से उसकी मीटिंग बुलाने का अध्यक्ष महोदय पधारे हुए हैं, उनसे सम्बन्ध है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कार्य सलाहकार समिति के सामने रखा नहीं इस मैटर को।

श्री उपाध्यक्ष : कल यही व्यवस्था दी गई थी।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसको कहां रखा गया है, कार्य सलाहकार समिति के सामने ?

श्री उपाध्यक्ष : कल यह व्यवस्था दी गई थी कि बिना कार्यसलाहकार समिति के निर्णय के कोई विषय यहां पर नहीं आ सकता।

श्री जयनारायण सालोदिया : आ नहीं सकता। यह जानते हैं और यह कार्य सलाह कार समिति में मामला जाना चाहिए था लेकिन कार्य सलाहकार समिति के सामने यह रखा नहीं। तो क्या आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति से सदन अधिक बड़ा है । इसके सामने आने वाला प्रश्न पहले छोटी समिति में जाय, वह राय दे दें तो इस पर सदन में विचार कर सकते हैं । आर्डर प्लीज....

श्री जयनारायण सालोदिया : कार्य सलाहकार समिति में जाना चाहिये लेकिन हमारा कहना यह है और प्रार्थना यह है कि हमें जो 17 विधायकों ने लिखकर दिया उसके बाद कार्य सलाहकार समिति के सामने नहीं रखा इसलिए वहां विचार नहीं कर सके ।

श्री डूंगाराम राजौरिया : मैं निवेदन करना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप सदन का समय ले रहे हैं । दो बजे सदन का सत्रावसान होगा ।

श्री श्रवणलाल : समय हम ले रहे हैं और हमें लेना पड़ेगा । क्योंकि वह हमारे विचारों पर कुठाराघात है । यह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के ऊपर कुठाराघात है । चाहे कुछ भी हो, हमें यह देना पड़ेगा । जब हमें चेअर की तरफ से इस प्रकार के आदेश दिये गये कि बिज़नेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई जायेगी उसमें बात के लिए विचार किया जायगा । लेकिन अब वह कैसे विचार करेगी क्योंकि 11½ बज चुके है और 2 बजे हाऊस एडजोर्न हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए ही मैंने निवेदन किया कि अध्यक्ष महोदय पधारे हुए है आप जाकर चेम्बर में उनसे बात करलें । वे ही इस सम्बन्ध में निर्णय करेंगे ।

श्री डूंगाराम राजौरिया : आप की तरफ से हुक्म कर दीजिये । कल मैंने कहा था और सदस्यों ने कहा था तो आप की ओर से व्यवस्था दी गई थी कि कल कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई जायगी और वह उसकी कमेटी में बुलाने के बाद इस मसले को रखा जायेगा । आपने इस बारे में क्या किया । आप यह बतादें ।

श्री उपाध्यक्ष : कल का दिन समाप्त नहीं हुआ है । मैं निवेदन करता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने निवेदन किया वह दुरुस्त है । मैं समझता हूं सदन के माननीय सदस्यों को शिडयूल कास्ट और शिडयूल ट्राइब्स के सदस्यों का एक डेपुटेशन बनाकर स्पीकर साहब से मिलना चाहिये । हम जा रहे हैं । यह डिमांड करने के लिए कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को रिपोर्ट पर विचार होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : इसका नेतृत्व आप करलें कृपया ।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात समाप्त हो गई ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बात समाप्त हो गई लेकिन मेरा यह निवेदन है कि आखिर 17 सदस्यों ने कार्य सलाहकार समिति के सामने यह मामला रखने का निवेदन किया । कार्य सलाहकार समिति ने इस मामले पर कोई विचार ही

(महाराव श्री लक्ष्मणसिंह)

ही नहीं किया । इसको रूल आऊट नहीं किया है और ठुकराया भी नहीं है । क्योंकि यह रूल आउट करती है तो आपकी व्यवस्था सर्वमान्य है । लेकिन आखिर कार पिछड़ी हुई जातियों और पिछड़े हुए वर्गों के दर्द और फरियाद की सुनवाई में तो सरकार को करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्री लादूराम सुलानिया - परिस्थिति यह है तो कहना पड़ेगा कि राजस्थान के शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल ट्राईब्स के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है । यह उस डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय के दुर्भाग्य की बात है । यह तो मैं नहीं समझ पाता लेकिन सदन एक महीने से अधिक चला है और शिडयूल कास्ट और शिडयूल्ड के सम्बन्ध में रिपोर्ट कल जब सदन समाप्त हो रहा है उसके एक दिन पहले रख दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष ; आज हो रहा है ।

श्री लादूराम सुलानिया : एक दिन पहले साहब, सदन आज समाप्त हो रहा है उसके एक दिन पहले रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय और उस पर वाद विवाद नहीं रखा जाय इससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है जितना भी धन शिडयूल कास्ट और शिडयूल ट्राईब्स को ऊपर लाने के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा खर्च किया जाता है और जो रिपोर्ट में अंकित किया जाता है....

श्री उपाध्यक्ष - यह डिस्कशन के वक्त कहें ।

श्री लादूराम सुलानिया : उस पर बहस नहीं रखी जाये । माननीय मन्त्री और मन्त्री मण्डल के सदस्य........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री लादूराम सुलानिया : आसन की आज्ञा मानने के लिये तैयार हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, थोड़ा नियमों का परम्पराओं का ध्यान रखिये । अकाल सहायता मंत्री जी ।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । हम आसन की आज्ञा का पालन करते हैं और आयन्दा भी करते रहेंगे पर जो रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग की ओर से शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के ऊपर कल पेश हुई है, उस पर डिस्कशन नहीं हुआ है, चार डिपार्टमेंट्स का साथ में नाम जोड़ दिया गया है, उस पर कोई कट मोशन्स नहीं आये, उस पर हमें डिस्कशन का मौका नहीं दिया, आखिर आप क्या चाहते हैं ? क्या समाज कल्याण विभाग की इस रिपोर्ट पर कभी बहस ही नहीं होगी ? यह डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी है, घोटाले हैं.................

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ।

श्री जयनारायण सालोदिया : हम उस रिपोर्ट का क्या करें, गलतियां हैं तो उन्हें कहां रखें, यह हाउस ही एक ऐसी जगह है,

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जहां इन सब बातों को रख सकते हैं, यह पिछड़े हुए वर्गों का महत्वपूर्ण सवाल है·······

श्री उपाध्यक्ष माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें············

श्री जयनारायण सालोदिया : आप ही फरमा दीजिये उपाध्यक्ष महोदय, उनकी इस रिपोर्ट का हम क्या करें ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य ने जो मांग रखी है, उसके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है, और अध्यक्षीय व्यवस्था हम घोर असंतोष प्रकट करते हैं··············

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को हाउस में डिस्कस कर लिया गया था, यह रिपोर्ट कल पेश की गई है तो बिजिनेस एड्वाइजरी कमेटी में इसके लिये रख दिया गया···········

श्री जयनारायण सालोदिया : पहले कौनसी आई थी, 64–65 की आई थी····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्य सभा हो, चाहे अन्य राज्यों की विधान सभाएं हों सब जगह पिछड़ी हुई जातियों की रिपोर्ट पर दलित वर्ग की रिपोर्ट पर हर बजट सत्र में बहस होती है ।········

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्राप्त होने पर । प्राप्त हो अभी हुई है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्राप्त करने वालों की कमी हो तो प्राप्त कहां से होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दिल्ली से ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो सरकार की कमजोरी है कि रिपोर्ट को जल्दी प्राप्त नहीं कर सकी, विरोधी पक्ष प्राप्त कर सकता है क्या इस रिपोर्ट को ? यह तो आपके नीचे अधिकार है । स्वस्थ परम्परा के अनुसार मेरी यह मांग है, सरकार चाहे तो ठुकराये, पर यह है उचित मांग, यह ऐसी मांग है जो परम्परा लोक सभा में, राज्य सभा में, अन्य विधान सभाओं में, मध्य प्रदेश की विधान सभा में और दूसरे राज्यों में प्रचलित है कि हर बजट सत्र में दलित वर्ग के लोगों की रिपोर्ट पर चर्चा अनिवार्य रूप से होनी चाहिये । सरकार को सतर्क रह कर समय पर इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना चाहिये था, सभी माननीय सदस्यों को मौका देना चाहिये था । इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये थी....

(शोरगुल-अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय विरोधी दल के नेता एडवाइजरी कमेटी में कुछ और बोलते हैं और यहां कुछ और बोलते हैं, इसलिये बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने रखा है, उसी तरह रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यक सूचना । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अभी बुलाई जा रही है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह विश्वास मिल जाय कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई है, यह है तो बहुत अच्छा पर हमें आसन से आश्वासन मिल जाय कि अनुसूचित जाति

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

और जन.जाति के बारे में जो यह रिपोर्ट पेश है, इस पर यह सदन अवश्य बहस करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहने की स्थिति में आसन होता तो बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला ली गई है।....

श्री देवीदत्त गाड़िया : ऐसा नहीं हो कि आज का टाइम टाल दिया जाय....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अब मीटिंग बुलाई जा रही है, पहले क्यों नहीं बुलाई, राज्य सरकार इस रिपोर्ट पर बहस को टाल रही है। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा ठीक है, आप बर्दाश्त मत करो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हमको इस रिपोर्ट को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

वह सदन के माननीय सदस्यों के लिये शोभा नहीं देता। शासन से व्यवस्था दे दी गई है कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला ली गई है।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं इसी संबंध में कह रहा हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज !! आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

(श्री लादूराम सुलानियां बोलते ही रहे)

एक्सपंज यह नहीं लिखा जाय....

(श्री लादूराम सुलानियां बोलते रहे)

एक्सपंज नहीं लिखा जाय।

अकाल सहायता मन्त्री जी !

श्री पृथ्वीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है। हमने एक स्थगन प्रस्ताव कार्य स्थगन का, जैसलमेर के सागड़ गांव के बारे में रखा था....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात समझ गया कल के संकल्प में उठाया जाय, नियमों के अनुसार वह अगले सत्र में आ सकेगा। समयाभाव के कारण ही तो आसन से बार बार माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : मन्त्री महोदय को उसका उत्तर तो देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर मन्त्री महोदय नहीं देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कल का मतलब है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता आपके जैसे वयोवृद्ध पार्लियामेन्टेरियन थोड़ा सहयोग दें तो ठीक होगा।

श्री पृथ्वीसिंह : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आज कोई चर्चा नहीं होगी ।

(श्री पृथ्वीसिंह बोलते रहे)

एक्सपंज नहीं लिखा जाय ।

अकाल सहायता मन्त्री जी !

(आदेश उत्तर भाषण नोट नहीं किया गया)

## बीकानेर डिवीजन की बहुत सी तहसीलों में अकाल राहत कार्य न खोले जाने के सम्बन्ध में

श्री परसराम मदेरणा (अकाल सहायता मन्त्री) उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर), श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा), श्री केदारनाथ (गंगानगर), श्री लाभचन्द (सुजानगढ़) व श्री हीराभाई (कुशलगढ़), सदस्य विधान सभा ने अकाल सहायता के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव इस सदन में रखा है, जिसके सम्बन्ध में मेरा वक्तव्य निम्न प्रकार है :

"गत वर्ष की भयंकर अभाव स्थिति के बाद, इस वर्ष की वर्षा को देखकर अनुभव किया जा रहा था कि राजस्थान में इस वर्ष अभाव स्थिति सम्भवतः नहीं होगी । किन्तु राज्य के मुख्यतया मरुस्थल क्षेत्रों में जहां खेती वर्षा पर ही निर्भर करती है, इस वर्ष भी वर्षा कम होने के कारण 12 जिलों में बसे हुए 2365 गांवों में अभाव स्थिति हो गई । इनमें बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर व जोधपुर जिलों में स्थिति अधिक गम्भीर थी । चूरू जिले में 2 तहसीलों सरदारशहर, डूंगरगढ़ तहसील के एक ग्राम में अभाव स्थिति उत्पन्न हुई, और जिला गंगानगर की नोहर, भादरा, सूरतगढ़ तहसीलें अभाव स्थिति से प्रभावित हुई । जिला बीकानेर में 365 गांव, जिला गंगानगर में 247 गांव तथा जिला चूरू में 89 गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं । और इन गांवों में लगान व अन्य राजकीय बकाया की वसूली को 30 सितम्बर तक स्थगित किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं । इसके साथ ही साथ राजस्थान सस्पेन्शन आफ प्रोसीडिंग्स एक्ट के अन्तर्गत भी 30-9-68 तक कार्यवाहियां स्थगित की जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए जिलाधीश से जानकारी लेकर जिला बीकानेर को 1 लाख रु० परीक्षण कार्यों के लिये, 10 हजार रु० जल-प्रदाय व्यवस्था के लिये तथा पन्द्रह हजार रु० पशु-संरक्षण के लिये पहले ही स्वीकृत कर दिये गये थे । जिलाधीश, चूरू को भी इसी प्रकार 10 हजार रुपया परीक्षण कार्यों के लिये स्वीकृत कर दिये गये थे । जिलाधीश गंगानगर से यह सूचना प्राप्त हुई कि उनके जिले में मार्च के अन्त तक किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी । अतः इस जिले के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया । अन्तिम प्रतिवेदन आने पर और जिलों में अभाव स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए बीकानेर जिले को सहायता कार्यों के लिये 4 लाख रुपया एवं जल-प्रदाय व्यवस्था के लिये 90 हजार रुपया निःशुल्क सहायता के लिये 8 हजार रुपया तथा खाद्यान्न परिवहन के लिये 15 हजार रुपयों की धनराशि और स्वीकृत कर दी गई है ।

जिला चुरु के लिये सहायता कार्यों के

(श्री परसराम मदेरणा)

लिये 50 हजार रुपया तथा खाद्यान्न परिवहन के लिये 4 हजार रुपया स्वीकृत किये गये। जिलाधीश का कहना था कि चारे व पानी व्यवस्था इस जिले में मार्च के अन्त तक आवश्यक नहीं होगी। तदनुसार जिलाधीश को सिफारिश के अनुसरण में आवश्यक प्रावधान दे दिया गया। जिला बीकानेर के लिए निःशुल्क सहायता के लिए 55 टन मक्का भी वितरण के लिए दी गई है। जो प्रति वयस्क 8 किलो प्रति माह एवं 4 किलो प्रति अवयस्क प्रति माह के हिसाब से वितरित की जानी है।

जिलाधीश, चुरू एवं गंगानगर को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि उनके पास जो गत वर्षों में भारत सरकार से प्राप्त निःशुल्क सहायता के रूप में वितरण करने के लिए गेहूँ दिया गया है उसमें से उक्त परिभाषा से निशुल्क सहायता के रूप में वितरण कर सकते हैं इस वर्ष के लिए भी बीकानेर जिले को फिलहाल 3 लाख रु० और 50 हजार रु० चुरू जिले के लिए एक मुश्त दिए जाने की स्वीकृति दे दी गई है। ताकि जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको बराबर चुकारा मिलता रहे। इसके साथ-साथ जल प्रदाय एवं चारा व्यवस्था के लिए भी इन जिलों को आवश्यक प्रावधान दिए गए हैं, ताकि जहां जहां, जैसी जैसी आवश्यकता हो, व्यवस्था कर दी जाय। इस समय बीकानेर जिले में 17 सहायता कार्य चल रहे हैं, जिन पर लगभग 11½ हजार श्रमिक कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 11 सड़कों के कार्य एवं तीन नाली सुधार कार्य इस जिले के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं ताकि लोगों को और रोजगार मिल सके। जिला गंगा नगर के 50,000) रु० की स्वीकृति सहायता कार्यों पर फिलहाल के लिए दी जा चुकी है।

चुरू जिले में 5 सड़क कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो संभवतः चालू हो गए हैं। इससे अधिक और कार्यों की आवश्यकता यदि अनुभव की गई तो तत्काल कार्यवाही की जा कर सहायता कार्य प्रारम्भ करवाये जायेंगे। जहां जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता होगी, वहां सहायता कार्य खोले जाते रहेंगे।

जिला बीकानेर में 347 अपाहिजों को को निःशुल्क सहायता देने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। अन्य जिलों में निःशुल्क सहायता के लिए सूचियां तैयार की जा रही है और शीघ्र ही यह व्यवस्था चालू हो जायेगी।

अकाल सहायता कार्य पूर्णतया मानवीय दृष्टिकोण से किए जाते हैं और राज्य सरकार का हर संभव प्रयत्न यह है कि अभावग्रस्त लोगों को समय पर उचित सहायता देकर इस कष्ट के समय में मनोबल बनाये रखने में सहायता दें। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में पूर्णतया जागरूक है और हर संभव व्यवस्था हर जिले में की जा रही है।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** मंत्री महोदय ने फरमाया कि जरूरत के अनुसार सहायता दी जायगी। मैं जानना चाहूंगा कि अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में जो अपाहिज हैं उनकी सूची आज तक न बनने का क्या कारण हैं और आज तक उन लोगों ने किस तरह से गुजारा किया किया होगा? स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यदि आप........

श्री उपाध्यक्ष : आपका इलाका वहां से बहुत दूर पड़ता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हमारे राजस्थान में आए दिन अकाल पड़ता है और मैं राज्य सरकार से........

श्री उपाध्यक्ष : यह तो बहुत लम्बा चौड़ा विषय है, आपके........

श्री देवीदत्त गाड़िया : लीगल पॉइंट है। राजस्थान सरकार ने जो राज्य कर्मचारियों का बीमा फंड का पैसा ट्रांसफर किया....

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयांतर हो रहे हैं, इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अकाल फंड का पैसा, उसको सरकार ने........

श्री उपाध्यक्ष : यह विषय बीकानेर में अकाल से सम्बन्ध रखता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यदि अकाल फंड का पैसा राज्य सरकार बीकानेर और इस इलाके में....

श्री उपाध्यक्ष : यह इस विषय में संबद्ध नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका इलाका वहां से बहुत दूर पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अकाल सहायता मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है, उससे हमें सन्तोष जरूर हुआ है, इसमें दो राय नहीं, जैसी हमें उम्मीद थी, उसी तरह का मंत्री महोदय का स्टेटमेंट हुआ। परन्तु सवाल यह है कि आज तक बीकानेर जिले के जिन गांवों में अकाल घोषित हुआ है, वहां अकाल पीड़ितों की जनसंख्या कितनी है और इस समय कितने लोगों को राहत कार्यों से मजदूरी मिल रही है। दूसरी बात जहां मजदूर काम कर रहे हैं उन लोगों को करीब 55 दिन हो गए, आज तक किसी मजदूर को मजदूरी नहीं चुकाई गई है। मैं स्वयं मोरासर, सिंधू मोरखाना से होकर आया हूं। वहां की कुल जनसंख्या अकाल से पीड़ित है। मैं फिर आपके द्वारा जोरदार शब्दों में मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि ज्यादा वहां लोगों को राहत कार्य मिलने चाहिए और जो स्टेटमेंट दिया गया है, उससे हमें संतोष है लेकिन लोगों को काम नहीं मिला है।

श्री परसराम मदेरणा : नोखा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो गांव प्रभावग्रस्त हैं वहां लोगों की राहत कार्यों के लिए पूरी व्यवस्था नहीं की गई है। नोखा तहसील में केवल 33 गांव अकाल पीड़ित हैं और बीकानेर जिले के 666 गांवों में से 365 पीड़ित हैं। बीकानेर तहसील के 99 गांव, कोलायत के 163, लूणकरणसर में 70 गांव प्रभावित होते हुए भी नोखा तहसील में सिर्फ 33 गांव प्रभावित हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि बीकानेर में 17 राहत कार्य चल रहे हैं और उन पर 25 कैम्पस खुले हैं, उनमें से 8 कार्य तो आपके निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे हैं जहां सबसे कम गांव प्रभावित हैं। इसलिए यह कहना कि राहत कार्य नहीं खोले गए है सही नहीं है। 8 राहत कार्य 30-40 गांवों में काफी हैं। राज्य सरकार के आदेश थे कि 10 मील के रेडियस के अन्दर दूसरा कार्य नहीं खुलना चाहिए लेकिन आपके क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जहां तीन चार साल से ज्यादा समय से अकाल रहा है इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 10 मील की पाबन्दी बीकानेर जिले और राजस्थान के उन जिलों पर नहीं लगाई जाय जहां तीन साल से ज्यादा समय से अकाल है।

नोहर से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा कि अपाहिजों के लिए स्वीकृति नहीं है। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि इस वर्ष गंगानगर जिले में राहत कार्यो के लिए 50,000) स्वीकृति किए गए हैं। इसके साथ साथ 15,000) निःशुल्क सहायता के लिए स्वीकृत किए हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा प्रश्न था कि 7 महीनों से अपाहिजों की सूची तैयार न होने से सहायता नहीं दी गई, क्या कारण है? आप सोए हुए हैं, 7 महीने तक भुगतान नहीं हुआ

श्री हीराभाई : मजदूरों को पेमेंट नहीं हुआ।

श्री चुन्नीलाल इंदालिया : सवाल यह है कि सड़क पर काम करने वाले मजदूरों को........

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान नहर........

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं लम्बा चौड़ा भाषण नहीं चाहता।

श्री परसराम मदेरणा : राहत कार्यो पर जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, उसमें अगर समय पर रोजगारी का भुगतान नहीं हुआ है तो जो अकाल सहायता के उपमंत्री हैं, उनसे मैंने कह दिया है कि बीकानेर जिले में वह अगले सप्ताह जायेंगे और जहां इस प्रकार की व्यवस्था है वहां जल्दी से जल्दी उन लोगों को मजदूरी मिल जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विधायक को भी साथ में ले जायं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं दिया

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान नहर।

(11. म. पू.)

## राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवटन के के मामले में कृषकों में असंतोष के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

श्री रामप्रसाद लडढा (सिंचाई व उपनिवेशन मंत्री) : राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में भूमि आवटन और उपनिवेशन नीति तथा नियमों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव सदन में रखा गया था उस पर मैं आदेशानुसार कुछ तथ्य सदन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

प्रस्तुत करता हूं जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि सरकार की नीति में इस विषय में कोई त्रुटि नहीं है। स्थगन प्रस्ताव में जिक्र किया गया है कि:—

(1) सरकार की नीति किसान विरोधी है।

(2) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में किसानों को सन् 1955 में खातेदारी अधिकार देने के बाद सरकार वापस वे अधिकार ले रही है।

(3) भूमि आवंटन नियम में 'भूमिहीन' की परिभाषा गलत है और वे गलत बनाये गये हैं तथा हजारों किसानों बेदखल हो जावेंगे।

(4) भूमिहीनों को सिर्फ 15 बीघा भूमि दी जावेगी।

(5) भूमि की अधिक कीमत तथा खुशहाली कर और आबियाना बढ़ाने से किसानों में असन्तोष पैदा हो गया है।

(6) उपरोक्त कारणों से शान्ति भंग होने का कारण बन गया है।

उपरोक्त मुद्दों पर मैं इस आशा से प्रकाश डालना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सरकार का दृष्टिकोण इन सब विषयों पर ठीक ठीक समझें जिससे यह भ्रम निवारण हो सके कि सरकार की नीति इस क्षेत्र में किसानों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने की है और असन्तोष का कोई भी कारण नहीं होना चाहिये। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान योजना क्षेत्र में जो नीति हमने अपनाई है वह काफी सोच समझ कर सब का भला सोचते हुये बनाई है। मैं एक एक विषय पर स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा।

सबसे पहली बात जो स्थगन प्रस्ताव में कही गई है वह किसान विरोधी नीति सरकार की बताई गई है। सरकार की किसान विरोधी नीति किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र में नहीं कही जा सकती जहां पर कि सरकार ने करोड़ो रुपया उस योजना को बनाने में खर्च किया है और कर रही है। राजस्थान नहर का क्षेत्र प्राकृतिक कारणों से अब तक ऐसा विभत्स दृश्य उपस्थित करता रहा है कि यदि सरकार का रवैया उस क्षेत्र के बसने वालों के प्रति जरा सा भी उदासीनता का हो जाता तो वह क्षेत्र सर्वथा रहने के लिये अयोग्य हो जाता परन्तु सरकार ने वहां के किसानों के हितों को ध्यान में रख कर इस योजना को चालू किया है और इसके लिये भारत सरकार से कर्जा लेकर तथा पूरे साधनों को जुटा कर इस क्षेत्र में सिंचाई का प्रबन्ध किया। करोड़ों रुपया सरकार ने इस क्षेत्र में खर्च कर दिया है और विकास के अन्य कार्यों को साथ में लेकर वहां के रहने वालों के लिये ऐसा कल्याणकारी मार्ग खोल दिया है कि जिससे वे थोड़े समय में ही इतनी उन्नति कर सके हैं कि जितनी की और क्षेत्रों में किसान अब तक नहीं कर सके हैं। उत्पादन की क्षमता आज राजस्थान नहर योजना में सरकार के प्रयत्नों से काफी प्रेरणास्पद होगी और भारत के अन्य प्रान्त ईर्ष्या की दृष्टि से देख सकते हैं। जिन माननीय सदस्यों ने यह स्थगन प्रस्ताव दिया

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है उनसे भी इस क्षेत्र की समृद्धि की दशा छिपी नहीं है। अतः मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार के अत्यन्त कल्याणकारी और सराहनीय रवैये को समझा जावे। सरकार की नीति किसी भी प्रकार किसान विरोधी नहीं कही जा सकती है।

राजस्थान में 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किया था। और उस कानून के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार राजस्थान के किसानों को प्राप्त हुये थे। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान कर दिया गया था कि राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जायेंगे। टेनेन्सी एक्ट की धारा 15 (ए) इस विषय पर देखी जावे। खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में हमारे टेनेन्सी एक्ट में जो प्रावधान दिये गये हैं उनके अनुसार राजस्थान केनाल ही नहीं बल्कि सभी नदी घाटी योजनाओं के लिये हमने एक सी नीति बनाई थी कि इन योजनाओं में खातेदारी अधिकार उस तरह से न दिये जाय जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में दिये गये हैं। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 15, 15 (ए) तथा 15 (एए) पर निगाह डालने से यह स्थिति स्पष्ट हो जायगी। राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में जो भूमि आवंटन नियम हमने दिसम्बर 1967 में बनाये हैं वह उन्हीं किसानों पर लागू होते हैं जो 15-10-55 के बाद के किसान हैं। 15-10-55 से पहले के किसानों के विषय में अभी सरकार ने कोई नियम पारित नहीं किये इसलिये न तो उन लोगों को बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा होता है और न हमने उनके कोई अधिकार वापस लिये हैं। किसानों को बेदखल किये जाने के विषय में मैं तो यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने यह स्पष्ट आदेश दे दिये हैं कि जो लोग इस क्षेत्र में सन् 1955 के बाद से आरजी तौर पर काश्त कर रहे हैं उनको हमारे सन् 1967 के नियमों के अन्तर्गत पहिले भूमि आवंटन के लिये विचार किया जावे और इस नीति को अपना कर वहां के आरजी काश्तकारों को सूचना दे दी गई है कि वे नियमानुसार स्थायी भूमि आवंटन प्राप्त करें। अतः सन् 1955 के पहले के काश्तकारों के लिये अभी हमने भूमि आवंटन नियम बनाये ही नहीं हैं। इसलिये उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किसी प्रकार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि उनसे कितनी भूमि की कीमत ली जावेगी और किन शर्तों पर भूमि दी जावेगी। सरकार उन लोगों के हितों के प्रति पहले से ही जागरूक है और व्यवस्था यथोचित ही बनाई जावेगी। सन् 1955 के बाद के काश्तकार साल दर साल भूमि आवंटन कराते थे इसलिये उनकी स्थिति इस प्रकार से भिन्न है। परन्तु 1967 के नियमों के अनुसार वह भी यदि भूमिहीन है तो सर्वप्रथम उसका भूमि आवंटन किया जावेगा। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इसी सदन मे मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि नीलामी का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया जावेगा और पहले उक्त क्षेत्र के किसानों को भूमि आवंटन नियमानुसार किया जावेगा। ऐसी सूरत में सरकार की नीति किसी भूमिहीन को बेदखल करने की नहीं है।

इस योजना क्षेत्र में खातेदारी हकूक छीनने का प्रश्न तब होता है जब कि वे

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

खातेदारी हकूक किसी को मिल जाते। धारा 15 (ए) के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट अवश्य पेश हुई थी परन्तु संविधान के सत्रहवें संशोधन के फलस्वरूप हमारे टेनेन्सी एक्ट को वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो गया है जिसके कारण धारा 15 (ए) आज तक संरक्षित एवं वैध है। यद्यपि खातेदारी अधिकार कानून की नजर में सन् 1955 के पहले के किसानों का नहीं दिये गये किन्तु फिर भी हम उनके लिये खास तौर से अलग नियम बना रहे हैं ताकि पुराने किसान होने के नाते उनके साथ कुछ रियायतें की जा सके।

इसी योजना के जो भूमि आवंटन नियम पारित किये गये हैं वे सरकार ने इस योजना क्षेत्र में उपनिवेशन नीति सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण विषयों में चिन्तन करके बनाया है। इन नियमों में जहां तक, मैं समझता हूं भूमिहीन की परिभाषा में कोई गलती नहीं है।

दिसम्बर 1967 के नियमों के अनुसार भूमिहीन किसानों को 15 बीघा भूमि हमने देना तय किया है। 15 बीघा संचित भूमि इस कारण देना तय किया है कि उस क्षेत्र में भूमिहीनों की संख्या काफी है। जो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भूमि आरक्षण किये गये, उनको भी यदि माननीय सदस्य देखें तो वे स्वयं सन्तुष्ट हो जायेंगे कि इससे अधिक भूमि प्रति भूमिहीन देना उपयुक्त नहीं होगा। यदि हमने 15 बीघा से अधिक देना तय किया तो यह निश्चित मानिये कि उस क्षेत्र में भूमिहीन भूमि पाने से वंचित रह जायेंगे जो कि सरकार उचित नहीं समझती है। भाखरा क्षेत्र में भी भूमिहीनों को 15 बीघा भूमि ही दी गई थी। भाखरा से राजस्थान कैनाल की स्थिति एक और प्रकार से भिन्न है। यानि भाखरा में सिंचाई की प्रखरता 62 प्रतिशत है जब कि राजस्थान कैनाल में सिंचाई की प्रखरता 78 प्रतिशत से 110 प्रतिशत कर देने का निर्णय लिया गया है। इस योजना क्षेत्र में उस वर्ष के अन्त तक करीब 6 लाख एकड़ भूमि पर नहर निर्माण कार्य सम्पन्न हो पायगा। 2.36 लाख एकड़ भूमि पर खातेदारी हकूक से लोग पहले से काबिज है और 2.87 लाख एकड़ सन् 1955 से पहले के आरजी काश्तकार बैठे हैं। इसके अलावा निम्नलिखित कार्यों के लिये आरक्षण करना भी आवश्यक था—

(1) कृषि फार्म,

(2) पशु-पालन फार्म।

(3) विकलांग सैनिक व सेना के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों एवं शौर्य वीरता पदक प्राप्त व्यक्तियों के लिये।

(4) विस्थापित कृषकों के लिये।

(5) भूतपूर्व जागीरदारों के लिये।

(6) भाखरा के भूमिहीनों के लिये, आदि आदि....

अतः भूमिहीन व्यक्तियों के लिये इस योजना क्षेत्र में डेढ लाख एकड़ भूमि से ज्यादा उपलब्ध नहीं है। इस सीमित भूमि को तमाम भूमिहीनों में बांटना तब ही संभव हो सकता है जब कि प्रत्येक भूमिहीनों को 15 बीघा से अधिक भूमि न दी जावे।

दिसम्बर 67 के नियमों में भूमि की

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कीमतें निर्धारित करते समय सरकार ने कोई निर्णय राजस्थान केनाल के लिये ही नहीं लिया है बल्कि सरकार ने नहरी क्षेत्र में भूमि की बढ़ती हुई कीमतों को नजर रखते हुए गंग केनाल और भाखरा में भी भूमि की कीमत बढ़ाई है। राजस्थान नहर मे क्षेत्र में भूमि की कीमतें किश्तों में लेना तय किया है और ये किश्तें अनुसूचित जाति एवं जन जाति को विशेष रियायती दर पर कायम की गई है जो कि किसी योजना क्षेत्र में नहीं किया गया है। इसी संदर्भ में, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान नहर परियोजना पर संशोधित अनुमानों के अनुसार प्रथम चरण पर 75 करोड़ रुपया और दूसरे चरण पर 64 करोड़ रुपया और ब्यास परियोजना में राजस्थान के हिस्से के यानि कुल 184 करोड़ रुपया खर्च होवेंगे जिसके मुकाबले में 52 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान नहर परियोजना के विकास पर लगभग 150 करोड़ व केन्द्र द्वारा 63 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। इतनी विशाल धनराशि का भार राज्य सरकार को वहन करना है। इसलिये यथोचित वित्तीय साधनों का प्रबन्ध भी आवश्यक हो जाता है। यह साधन जुटाने का मुख्य उपाय वह आमदनी है जो सरकार राजकीय भूमि के विक्रय आवंटन से प्राप्त करे। नहरी क्षेत्र में अन्न का उत्पादन और समृद्धि को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि गंगानगर क्षेत्र में एक अच्छे मुरब्बे की कीमत 75 हजार रुपये से कम नहीं है। भूमि की इतनी अधिक कीमत बढ़ने के कारण यह स्वाभाविक हो जाता है कि भूमि आवंटन भी ठीक कीमत पर किया जावे ताकि सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा भी हो सके जो कि एक विकास-शील प्रान्त के लिये अत्यन्त आवश्यक है। हमारे नियमों में यह प्रावधान है कि भूमि की कीमत के अलावा कोई खुशहाली कर, बेटरमेंट लेवी, नहीं लिये जावेगे। इसलिये मौजूदा बाजार भावों को देखते हुये और अन्य योजनाओं की कीमतों को देखते हुये किसानों को किसी प्रकार का असन्तोष नहीं होना चाहिये।

अन्त में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो इस हेतु और भी कई कदम उठाये हैं जैसे यह आदेश दिया गया है कि अधिकांश भूमिहीन जिन गांवों में है उन्हीं गावों में यथा सम्भव भूमि का आवंटन किया जावे तथा नियमों का हिदायतों के रूप में प्रकाशित किया गया है और किसानों को सहूलियत के लिये प्रार्थना पत्र देने आदि के विषय में आवश्यक निर्देश जारी किये हैं ताकि अधिक से अधिक सहूलियत काश्तकारों को मिल सके। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि हमारे नियमों का इतना प्रचार हुआ है कि करीब एक लाख से उपर प्रार्थना पत्र 31-3-68 तक भूमि आवंटन के लिये प्राप्त हो चुके हैं। जिनकी आवश्यक जांच के बाद भूमि आवंटन कार्य शुरू होने वाला है। प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तिथि को भी एक माह के लिये यानि 31-3-68 तक बढ़ा दिया गया था ताकि कोई किसान प्रार्थना पत्र देने से रह नहीं जावे। अन्त में मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय सदस्यगण सरकार के इस ओर किये जाने वाले कार्य को ठीक दिशा में समझें और सरकार को सहयोग देकर किसानों का हित करने में सहायक हों।

**श्री रामचन्द्र आर्य** : उपाध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य उपनिवेशन मन्त्री जी ने दिया यह किसान विरोधी जो सरकार की नीति है उसको बताता है। उसके प्रमाण के रूप में यह निवेदन करना चाहता हूँ राजस्थान केनाल क्षेत्र 1955 में टेनेन्सी एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदारी दी गई उसका इन्तकाल हो गया और हमारे लोगों के द्वारा जमीन का बेचान हुआ। उसके बाद एक आॅर्डिनेन्स जारी किया गया जिसके अनुसार उसको कॉलोनी एरिया घोषित किया गया उसके बाद टीनेंन्सी एक्ट की धारा 15 के अन्तर्गत जो खातेदारी अधिकार मिले हुये थे वापिस छीना गया। काश्तकार की जो डेफीनेशन आयी उसको लेकर लोग हाईकोर्ट में गये, हाईकोर्ट ने उस कानून को गलत ठहराया और कहा कि इसको रद्द कर दिया जाय। उसके बाद में यह बहाना बनाया गया संविधान में 17 वां संशोधन पास हो गया इसलिए धारा 15 एक से मुक्त हो गया। इससे अधिक किसान विरोधी सरकार की नीति और क्या हो सकती है जिसको खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गये थे उनको छीनना इससे बढ़कर घृणित कार्य सरकार का और क्या हो सकता था।

आपने यह फरमाया कि राजस्थान केनाल के काश्तकार को खुशहाल बनाया....

**श्री उपाध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज। कृपया आप स्थान ग्रहण करें। राजस्थान केनाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा मसला है उसके संबंध में यह चर्चा आज की समय-सीमा के अन्दर नहीं हो सकती। माननीय मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया वह बहुत विस्तृत वक्तव्य था....

**श्री रामचन्द्र आर्य** : हमारी तकलीफों को आप नहीं समझते उपाध्यक्ष जी, हमारे साथ कितना अन्याय हुआ। इस जाहिल सरकार ने हमारे खातेदारी हक छिन लिये और आप कह रहे हैं हम इस पर न बोलें।

**श्री नत्थीसिंह** : पहले हमने स्थगन-प्रस्ताव द्वारा यह मांग की थी कि राजस्थान केनाल पर वाद-विवाद के लिए अलग दिन रखा जाय लेकिन सरकार ने उस बारे में निर्णय नहीं लिया। अब जो वक्तव्य दिया गया है उससे मा० सदस्यों को सन्तोष नहीं है इस पर नाराजी है। माननीय सदस्य वह प्रकट किये बिना नहीं रह सकते।

**श्री उपाध्यक्ष** : राजस्थान नहर पर चर्चा होनी थी पर स्थगन प्रस्ताव भी था उस पर वक्तव्य दिया गया। मैं खुद मानता हूँ राजस्थान केनाल की बहुत सारी समस्यायें है आज जो समय की सीमा है उसमें विचार करना सभव नहीं होगा।

माननीय सदस्य की शिकायत है लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर जो वक्तव्य दिया गया उसके उत्तर में जितना विस्तृत वक्तव्य दिया उससे काफी समस्या का समाधान हो गया है। इस पर भी माननीय सदस्य ने जो नई जानकारी दी है आगे कभी अवसर आयगा उस पर विचार किया जा सकता है।

**श्री नत्थीसिंह** : माननीय सदस्य यह बताना चाहते हैं कि सरकार की किस प्रकार से किसान विरोधी नीति है उसके तथ्य समाने रखना चाहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप आलोचना के रूप में दो शब्द कहना चाहें यही उद्देश्य है तो कह दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसके लिये स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है उस बारे में मेरा कहना का अधिकार है....

श्री उपाध्यक्ष : आपका उद्देश्य क्या है ? केवल सरकार की आलोचना कर दो शब्द कह कर इसको समाप्त करना है उसमें आप कर सकते हैं मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपनिवेशन मन्त्री जी ने फरमाया कि हमने काश्तकारों को बेदखल करने का कोई नोटिस नहीं दिया। मैंने उपाध्यक्ष जी, जब कट मोशन पर विवाद चल रहा था उस समय मैंने नोटिसेज पेश किये। सन् 55 से पहले जिन के परिवार के पास अलग जमीन नहीं, परिवार के नाम अलग जमीन नहीं उनको भी भूमिहीन मानकर चला जायगा। जिन लोगों ने अधिक परिश्रम से भूमि को काबिल काश्त बनाया उसके बारे रेकॉर्ड पेश किये उस सारी जमीन छीनकर, आप उसको नीलाम करना चाहते हैं और उससे जो धन इकट्ठा होगा उससे आप इस योजना को चलाना चाहते हैं हम इस चीज को कतई बरदाश्त नहीं करेंगे। हमें ऐसी कैनाल नहीं चाहिए जहां से किसानों को इस तरह से उजाड़ा जा रहा है।

मैं यह जानना चाहता हूं 1955 के बाद का जो काश्तकार है वह बदस्तूर रहना चाहिये। जिनको एलॉटमेन्ट हुई थी।

इसके अलावा जो भूमिहीन की परिभाषा की गई है वह भूमिहीन की परिभाषा गलत बनायी गई है। सन् 55 से पहले का जो काबिज है उसका अलग होना चाहिये। अब आपने यह भी प्रावधान किया है कि 12।। प्रतिशत पहले जमा कराना होगा तो ऐसी हालत कोई भी गरीब भूमिहीन काश्तकार यह जमा नहीं करा सकता और इस तरह से वह भूमि नहीं ले सकता। इसका मकसद केवल यही है कि यह सारी भूमि पूंजीपतियों को बेची जाय चाहे वहां का काश्तकार उजड़ जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह जानना चाहता हूं आपकी यह किसान-विरोधी नीति बदलेगी या नहीं ? अगर यही रही तो वहां का किसान आन्दोलन करने की तैयारी कर रहा है। नीलामी की दरें आपने 800 रुपया प्रति बीघा टीबे वाली और 675 रुपया प्रति बीघा दूसरी भूमि उस पर भी 2200 रुपया पहले जमा कराना होगा किसान-विरोधी नीति इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। हमारे पुराने जमीन पर हक हैं उसको छीनकर उसको बेच देना चाहते हैं हम इसके लिये सत्याग्रह करेंगे लेकिन यह कभी नहीं होने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ।

श्री रामचन्द्र आर्य : 55 से पहले के काश्तकार को सीलिंग के मुताबिक खातेदारी हक दिये जांय।....

श्री उपाध्यक्ष : इनका भाषण नहीं लिखा जाय।

(आगे का भाषण उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार नहीं लिखा गया)

श्री उपाध्यक्ष : यह भी नहीं लिखा जावे।

श्री रामचन्द्र आर्य :....

(इनका भाषण माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार नहीं लिखा गया)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन के आदेशों को बार बार अवहेलना कर रहे हैं। हो सकता है, आपके विचार कुछ और हों, तकलीफें जनता को हों। पर यहां पर वह नपे तुले शब्दों में समय-सीमा में ही कही जानी चाहिये। आपका भाषण समाप्त हुआ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय सदस्य को रोष होना स्वाभाविक है कारण जिनको जमीन एलॉट कर दी उनसे छीन कर हरिजनों और दूसरे गरीब लोगों के नाम की दुहाई देकर उनकी आड़ में वह जमीन वर्षों बाद पूंजीपतियों को दे दी जावे तो रोष होना स्वाभाविक है।

श्री उपाध्यक्ष : उनके रोष को मैं समझता हूं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इस पर जोश आ जावे तो परिवार की परिभाषा जो की है वह भी कानूनन ठीक नहीं है। हिन्दु लॉ के खिलाफ है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कानूनी मसला है। यहां पर वह आसानी से हल नहीं हो सकता।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : सीधी सादी बात है, किसी के भी समझ में आ सकती है। परिवार हिन्दू लॉ मे····

श्री उपाध्यक्ष : कानूनी प्रश्न है यह।

(श्री आर्य से) आप आसन के आदेशों की अवहेलना करते हैं। आर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : हिन्दू फेमिलि में परिवार नहीं रखा है। यह बहुत मोटी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) यह कभी भी उनकी स्कीम पार नहीं पड़ सकती।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामचन्द्र आर्य के बोलते जाने पर) आसन के आदेशों की अवहेलना करते जा रहे हैं। इस प्रकार कोई सुनवाई नहीं होगी।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सरकार ने इन एलॉटमेन्ट के बारे में सेंक्शन मांगी। लिखित कमिटमेन्ट किया। बसाने के लिये। पहले भूमिहीनों के लिये रिजर्व की जो जमीन उसको सेल करने जा रही है। 55 से पहले के काश्तकार वहां बसे हैं। उनको एलॉटमेन्ट के नियम हैं कि सीलिंग लिमिट तक इन काश्तकारों को खातेदारी हक दे दिये जावें। 55 के बाद कितने काश्तकार टी० सी० में बसाये दो मुरब्बा फी परिवार को देने की बात है। अब उस जमीन पर 15 साल तक लगातार इन्वेस्टमेन्ट करने के बाद उनके जमीन को रेगुलेराइज करने के हक बन गये।

आखिर आपने और भी बात कही है। बी० एस० सी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी को भी सहकारी खेती और कोऑपरेटिव बेसिस पर जमीन देना चाहते हैं क्या आपने उनके लिये भी कोई जमीन वहां रिजर्व की है।

# Page No. 108



श्री रामप्रसाद लढ्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो तीन मुद्दे उठाया। पहला मुद्दा यह कि बी. एस. सी. एग्रीकल्चर स्टूडेन्ट्स के लिये कहा। राज्य सरकार ने यह नीति जरूर बनाई है पर राजस्थान केनाल में अभी तक इस प्रयोजन के लिये कोई जमीन रिजर्व नहीं की गई है।

दूसरा प्रश्न यह उठाया कि उन टोनेन्ट्स को, विस्थापितों को बसाने के लिये क्या जमीन राजस्थान कैनाल में से दी जावेगी ? यह निश्चित बात है कि पोंग डेम जो बन रहा है राजस्थान से बाहर हरियाणा प्रदेश में जिस पर चालीस करोड़ का खर्चा हो चुका है वहां पर जो विस्थापित होंगे पोंग डैम के उनको यहां राजस्थान कैनाल के अन्तर्गत जमीन देकर बसाने के बारे में बातचीत हुई है। अब किस शर्त पर और कितनी यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

तीसरा प्रश्न यहां पर यह उठाया गया कि दो मुरब्बा के एक्सटेण्ट तक खातेदारी के अधिकार दे दें 55 के पहले के काश्तकारों को। इसके बारे में इस स्टेज पर यह निवेदन कर सकता हूं कि 55 के पहले के वे काश्तकार कि जो 15 ए में नहीं आते तो खातेदार बन जाते हैं। पर 15 ए लागू होने की वजह से और 15 ए के अल्टा वायर्स हो जाने के बाद कॉन्स्टीट्यूशन के एमेण्डमेन्ट की वजह से संरक्षण हो जाने की वजह से खातेदारी हक नहीं मिल पा रहे हैं ऐसी श्रेणी के लोगों को क्या रियायत दी जावे, कितना फ्री दिया जावे, कितना कीमतन दिया जावे, किस एक्सटेण्ट तक दिया जावे इसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेकर अलग से ही इसके सम्बन्ध में नियम बनावेगी जिससे जो कठिनाई इस संरक्षण की वजह से 55 से पहले वालों को हुई है उसके अन्दर उनको सन्तोष और शान्ति मिल सके और सहूलियत मिल सके और उनकी कठिनाई किसी हद तक दूर हो सके।

चौथा प्रश्न यह उठाया गया फेमिली की डेफीनेशन के बारे में और 15 बीघा वाली बात को उठाकर। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो लड़ाई 'हैव्ज और हैव नॉट' की है। एक फेमिली है। वहां एक को बड़ा बता कर लड़के को मेजर बताकर या और किसी आधार पर और जमीन लेना चाहते हैं। एक पक्ष तो यह है। दूसरा पक्ष है गरीब हरिजन का जिनके पास बड़ा खानदान भी है शायद दूसरे बड़े लोगों से भी ज्यादा बड़ा है पर जिनके पास एक इन्च जमीन भी नहीं है। ऐसे मामले में राजस्थान सरकार यह चाहती है कि हम 15 बीघा जमीन दें वह ज्यादा लोगों को मिल जावे तो ज्यादा हरिजन और ज्यादा भूमिहीन काश्तकार को लाभ होगा। बजाय इसके कि 25 बीघा कर दें फेमिली की डेफीनेशन ऐसी करदें कि जिसमें एक फेमिली में जितने यूनिट बनाना चाहें तो बन जाव और हर यूनिट ले ले जिसके पास पहले भी जमीन हो भले ही। इन दोनों पक्षों के बीच में निर्णय करना है। तो इसमें माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि जिनके पास बिलकुल नहीं है उनमें से अधिक से अधिक तादाद में लोगों को जमीन मिले। कम से कम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले इससे आप सहमत नहीं होंगे। हम चाहते हैं ज्यादा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

से ज्यादा लोगों को मिले। ये दो थ्योरीज हैं। जिसका निर्णय यही कर सकते हैं कि गरीब भूमिहीन और हरिजन के पक्ष में यह हो। यह हमने ठीक समझा है।

श्री नत्थीसिंह : आप तो पूंजीपतियों को दे रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब मेरे पास इस बात का उत्तर नहीं है जैसा भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमको यह नहर नहीं चाहिये। पानी नहीं चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : उन्होंने जिस पृष्ठभूमि और जिस लेंगवेज में कहा है वह आप नहीं समझ सके हैं। उनकी भावनाओं को आपने नहीं समझा है।

श्री रामचन्द्र आर्य ; सैंकड़ों वर्षों से जिसने उस धरती पर अपना तन सुखाया अनेकानेक यातना सहते आया उस किसान से तो जब उसकी यातनाओं का अन्त निकट आता दिखाई दिया, आप उसकी जमीन ही छीन लो और पूंजीपतियों को बेच डालो। उनको मजदूरी करने को बाध्य करो। यह आप लोगों की नीति है।

श्री हंसराज आर्य , उपाध्यक्ष महोदय मैं एक मिनट में एक बात कह देना चाहता हूं। जो व्यक्ति एक बून्द दूध से जल जाता है वह छाछ को भी सफेद समझकर डरता है।

सरकार द्वारा भाखरा क्षेत्र में निर्णय किया गया था जब किसान के पास अधिक भूमि थी, तो यह कहकर 50 बीघा रखी थी कि यह भूमि बचाकर भूमिहीनों को दी जावेगी और भूमिहीनों को 25 बीघा देने का निर्णय लिया गया था। उन सारे निर्णयों को सरकार ने यकायक बदला। 25 बीघा के बदले 15 ही दी और वह भी सब भूमिहीनों को न देकर उसे नीलाम कर दिया गया। तो हमें खतरा इस बात का है कि अब की बार उसी गरम दूध से न जल जावें भूमिहीनों का बहाना लेकर आप जमीन को नीलाम न कर दें। भाखरा का यतीम किसान और भूमिहीन न मारा जावे। यह डर है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई व उपनिवेशन मन्त्री से यह पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों को जिन अधिकारियों को जमीनें दे दी गई तो सीलिंग में देने का नियम है कि नहीं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने 55 में काबिले काश्त बनाई जमीनों को उनको दूर रखने का इरादा है या नहीं।

तीसरा मेरा प्रश्न है भूमिहीन काश्तकार को 50 बीघा देना चाहिए जब कि आपने काफी आदमियों को पचास बीघा भूमि एलाट की है। आज भी काश्त कर रहे है और लाखों बीघा जमीन बन्जार पड़ी है उसको उन्हें देना चाहते हैं या नहीं ?

चौथा प्रश्न मेरा यह है कि भूमिहीन के लिए नियम बनाये उसकी परिभाषा को बदलना चाहते हैं या नहीं ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सन 67 से पहले अलग परिवार माना और परिवार वालों के नाम जमीन है तो उसका तबादला करना चाहते हैं या नहीं ?

पांचवा प्रश्न यह है कि भूमिहीन काश्तकारों की जमीन की जो आप पहले किश्त जमा करा रहे हैं वह नहीं करानी चाहिए और छठा यह है कि जमीन की कीमत आपने ज्यादा लगाई है और आज भी वह जमीन 300 रुपये बीघा से ज्यादा नहीं बिक रही है और आपने 675 रुपये उसकी कीमत लगा दी और किश्त 9 रखी है। किस तरह से काश्तकार उसको चुका पायेगा ? जो पुराने खातेदार हैं उन लोगों ने क्या गुनाह किया है ? उनको जमीन में 10 साल पानी नहीं लगेगा। आपने खुशहाली टैक्स लगाया है आपको इसके बारे में क्या कहना है ? अगर आप हमारी बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं डटकर विरोध करूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, यही मुद्दे तो माननीय सदस्य ने अपने एडजर्नमेंट मोशन में रखे थे और इन्हीं मुद्दों पर एक विस्तृत बयान जितना विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं थी वह मैंने दिया था। अब माननीय सदस्य मेरे बयान के बाद और फिर दूसरी बार स्पष्टीकरण करने के बाद उन्हीं प्रश्नों को उठाते है तो उनके लिए मेरा वही जवाब है जो पहले था।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप लोगों को समाप्त करना चाहते हैं। आप यह कह रहे हैं कि हम नियम बना रहे हैं और काश्तकारों को कह दिया कि आप दरख्वास्त दे दे और हम एलाटमेंट कर देंगे। आपने दस साल पहले भूमिहीनों की दरख्वास्ते ले रखी थी और वह कैंसिल कर दीं।

( घन्टी )

इस प्रकार की गलत नीति अपना कर वहां के काश्तकारों को तबाह करने की नीति अपनाई है। जिस तरह से श्री हंसराज जी ने कहा कि भाखरा क्षेत्र में वहां जमीन में पानी नहीं दिया गया और वहां पर काश्तकारों को जमीने न देकर सारी जमीन अधिकारी और कर्मचारियों ने ले ली।

( घन्टी )

इसके लिये हमने सरकार को लिखा। राष्ट्रपति तक लिखा था लेकिन इस सरकार ने कोई सुनाई नही की। आज भी इसकी इन्क्वारी करावाई जाये तो करोड़ों रुपयों का घोटाला साबित हो सकता है। यही प्रवृत्ति राजस्थान कैनाल के बारे में करना चाहते हैं तो वहां काश्तकार जागरूक है और वह आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता और जो कांग्रेसी सदस्य वहां से आये है श्री हंसराज जी ने उनको भी यही आश्वासन दिया है। यह अपर्याप्त है, निकम्मा है और मैं इसको उचित नहीं मानता और जब तक आप ऐलान नहीं करेंगे कि हम सीलिंग के अन्दर उसको खातेदार मानेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया

(श्री उपाध्यक्ष)

ग्रहण करें। आपने काफी कह दिया

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कह देना कि हमने तो जवाब दे दिया यह ठीक नहीं है। ऐसा ही तो भाखरा में किया और ऐसा ही यहां करना चाहते हैं। हरिजनों का नाम लेते हैं और जमीन हाकिमों को देना चाहते हैं। अभी बैठे बैठे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मारे जायेंगे तो मरने को तो किंग लूथर भी मार दिये गये। मरने से कोई नहीं डरता है। नाम हरिजनों का लेकर एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं और उस पर लीपा-पोती करना चाहते हैं। इससे हम कतई संतुष्ट नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि आप स्पष्ट तौर से कहें कि किसी भी स्थिति में राजस्थान कैनाल के तहत ओपन बिड नहीं करेंगे, नीलाम नहीं करेंगे और जो काश्तकार वहां बैठे हैं उनके हकों को नहीं मारेंगे और जमीन हरिजनों को जरूर देंगे, तब हम आपके साथ हो सकते हैं। लेकिन आप हरिजनों का नाम लेकर पूंजीपतियों की सेवा करना चाहते हैं हम इसको कतई नहीं होने देंगे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय खड़े होकर कह दें कि वह इसकी इन्क्वायरी के लिए तैयार हैं। जो आपने आरोप लगाये उसके लिए सीधी सी बात है। हमसे हर चीज के ऊपर जब बात कहते हैं। वहां दूसरों को जमीनें मिली हैं और अनियमितताओं से मिली हैं, पूंजीपतियों को मिली हैं, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मिली हैं और इसी बात की इन्क्वायरी चाहते हैं, तो इसमें मन्त्री महोदय को क्या ऐतराज है? आजकल मंत्रियों ने समझ लिया है कि उनके मुंह से निकल गया वह ईश्वर का कहा हुआ है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यहां पर यह विश्वास करायें कि गैर ढंग से एलॉटमेंट हुए हैं और इसकी आप इन्क्वायरी करें तभी समस्या हल हो सकती है वर्ना नहीं।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : उपाध्यक्ष जी, अभी अभी उपनिवेशन मंत्री महोदय ने जो भावना से बात कही वह बात समझ में नहीं आती............

श्री उपाध्यक्ष : विद्युत विभाग के संबंध में शायद माननीय सदस्यों को नहीं कहना है।

श्री नत्थीसिंह : हम तो बहुत बातें कहना चाहते हैं लेकिन सुनती नहीं सरकार।

श्री उपाध्यक्ष : वह भी तो काश्तकारों से संबंधित प्रश्न है।

श्री मुकटबिहारी गोयल : उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूं कि जो उन्होंने यह बात कही कि यह मामला 'हैव्स एण्ड हैव नॉट्स' के बीच में है। यह बात समझ में आती है तब हमको समाजवादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। मैं इस बात से सहमति प्रकट करता हूं और आप यह मामला इस रूप में मानते हैं कि यह 'हैव्स एण्ड हैव नॉट' के बीच है

(श्री मुकटबिहारी लाल गोयल)

तो ओपन बिड का सवाल ही नहीं रहता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या का हल करने के लिए आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि एक तरफ वह वर्ग है जिसके पास दूसरे आमदनी के जरिये हैं, साधन हैं और एक तरफ वह वर्ग है जिसके पास कुवत है, हाथ का जोर आजमाना चाहते हैं, अपने बाजुओं का जोर आजमा कर इस देश में अन्न पैदा करना चाहते हैं। आज लोगों के पास कुवत है, ताकत है शरीर में और वह चोरी नहीं करना चाहते हैं, डकैती नहीं डालना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ अपना और अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं। तो प्रश्न अब यह है कि क्या आप उन लोगों के लिए साधन उपलब्ध करने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसी चीज है तो ओपन बिड वाली बात सामने नहीं आती। आज जो लोग क्षमता रखते हैं कि ओपन बिड में खरीद लें वह समाजवादी व्यवस्था में मेल नहीं खाते। इसलिए मैं बहुत ही अदब से नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में दूसरे दृष्टिकोण से सोचें और यह बात कि जिन लोगों को आपने पहले एलॉटमेन्ट कर दिया जिन लोगों के पास पहले रही, जिन लोगों ने परिश्रम करके उस जमीन को काबिल काश्त बनाया आज उनको बेदखल कर दिया चाहे किसी भी नाम पर बेदखल कर दिया और उनको आपने एक खेतिहर मजदूर की हैसियत में डाल दिया और आपने उनको इस काबिल बना दिया कि वह बरबादी के रास्ते पर चल पड़े। मैं समझता हूं कि आपके नारे से यह बात मेल नहीं खाती। मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीजों को बहुत ही गहराई से और मानवीय दृष्टि से हल करें। मुझे पता नहीं कि आपकी नीति के संचालन करने वाले, एग्जीक्यूटिव आफिसर्स कैसे हैं, उनकी तस्वीर देखने में जरूर आती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद वह इस मानस के नहीं कि गरीबों की बात को सहनशीलता से ग्रहण करें, मानवीय दृष्टिकोण से उनके दिलों में वह बात उतर पाये। मैं निवेदन करूंगा कि इस तमाम मामले को यह नहीं बनायें कि यह मजे का सवाल है या रगड़मबाजी का सवाल है। अगर सवाल वास्तव में जनहित का है, किसानों को राहत पहुंचाने का है और 'जमीन किस की जोते उसी की' आप एक्चुअली टिलर के लिए जमीन देना चाहते हैं, आप गरीबों के लिए रोजी रोटी का साधन देना चाहते हैं इस प्रकार का आप का दृष्टिकोण है और आपने 'हैव्ज एण्ड हैव नॉट' को अच्छी तरह से समझ लिया है तो आज आप मानवीय दृष्टिकोण से इस समस्या को हल करेंगे, और जो आरोप इन्होंने लगाये हैं गड़बड़ घोटाले के वे चाहे किसी भी अधिकारी के खिलाफ हों, चाहे कितने ही बड़े अधिकारी से सम्बन्ध रखते हों उसके लिए एक जांच कमेटी नियुक्त की जाय, और भाखरा के दौरान जो कुछ भी वचन-भंग किया गया है उसकी फिर से पुनरावृत्ति न हो जिसके कारण से आपकी नीतियों के बारे में जन-साधारण में आस्था जगे, आप जो कुछ कहते हैं उस पर विश्वास जमें कि आप जो कुछ कह रहे हैं वह बात सही है। यह बात कहते हुए आपको माध्यम

(श्री मुकुटबिहारी गोयल)

से, उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से हल करने की कोशिश करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। चाहे जैसी नीति हो सरकार की, लेकिन यह जो श्रोपन बिड की नीति है इसके सम्बन्ध में नहीं हो सकती है। आखिर जो गरीब किसान हैं, धरती के पूत हैं, उनके हकूक हैं। अगर यह सरकार अपने आपको समाजवादी सरकार मानती है तो मेरे खयाल से गरीब किसानों के हकूक जो कुछ भी इस क्षेत्र के अन्दर महफूज नहीं हैं उनको महफूज करने की परमावश्यकता है। उत्पादन के दृष्टिकोण से, समाजवादी दृष्टिकोण से, यह जो ओपिन बिड का मामला है, यह तो मेरे ख्याल से एक अधिनायकवादी व्यवस्था ही नहीं लेकिन भ्रष्ट अधिनायक-वादी व्यवस्था है। इसका मैं विरोध बराबर करूंगा, और यह ओपन बिड की सरकार की नीति है इसकी भी भर्त्सना करते हुए में यह कहूंगा कि गरीब किसानों के वाजिब जो हकूक हैं उन हकूकों को सहानुभूतिपूर्वक बहाल रखने को वहां पर व्यवस्था करें।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय अध्यक्ष, एक ओर तो राजस्थान की सरकार बार बार यह उद्घोषणा करती रहती है और राजस्थान के मंत्री जहाँ कहीं भी जाते हैं ऐसे किसानों को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं उनसे उन गरीब किसानों में और भूमिहीन किसानों में यह विश्वास प्राप्त होता है कि इस राजस्थान सरकार के जिम्मेदार मंत्री जो कुछ कहते हैं उसके आधार पर हमें जमीन मिलेगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल के अन्दर और उसके अन्तर्गत आने वाली भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान की सरकार ने इस प्रकार का जो यह निर्णय लिया है कि भूमि नीलाम, ओपन बिड, के द्वारा होगी तो उसके द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष, इस राजस्थान के अन्दर विषम परिस्थिति पैदा होगी। एक तो यह है कि इससे सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो चोर बाजारी का पैसा है उसको जमीन की नीलामी में लगाने का इस तरह से छूट देगी। दूसरी ओर वह गरीब किसानों को जो परम्परा से, पीढ़ियों से अन्दर उसमें रहते है, जो बरसों से वहां पर अपने हाथों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन यह राजस्थान की सरकार उनको आज हालो मुहाली के रूप में रखना चाहती है। लेकिन यह राजस्थान के लिए कलंक होगा। उस इलाके के किसान जागरूक हो चुके हैं। यदि इस प्रकार से राजस्थान को सरकार को धन की आवश्यकता है तो डाकुओं से सांठ-गांठ करें, चोरों से सांठ गांठ करें इस प्रकार..........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संक्षेप में कहें अपनी बात।

श्री देवीदत्त गाडिया : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उस इलाके के भूमिहीन गरीबों के जो जमीन बरसों से उनके अधिकार में है उनको इस प्रकार से नाना प्रकार के कानून बनाकर उससे गरीब किसानों को वंचित किया जाता है। वे गरीब किसान बरसों से उस पर खेती करते आ रहे हैं। नहर आने की बात थी तो उनके मासूम बच्चे उस नहर के पानी से सिंचाई करने की आशा लगाये हुए थे। लेकिन माननीय मंत्रीजी, मैं

# Page No. 114



(श्री देवीदत गाडिया)

आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन गरीब किसानों के बच्चों ने क्या पाप किया है, उन गरीब किसानों ने क्या पाप किया जो कि नहर का रसास्वादन करना चाहते हैं, जो कि वहां पर खती करते जा रहे हैं........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आपने कह दिया। माननीय सदस्य आप उत्तर देखने लगे। आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय उपाध्यक्ष.........

श्री उपाध्यक्ष : आप चार दफा तो बोल चुके हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसका उत्तर मंत्री महोदय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : मंत्री महोदय, उत्तर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने अपना उत्तर दे दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो मैंने मुद्दे उठाये थे........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : भाखरा के जल को एन्क्वायरी करायें........

श्री गिरधारी लाल व्यास : राजस्थान का है किस्सा या भाखरा का ?

श्री रामचन्द्र आर्य : उसमें करोड़ों रुपयों का गबन है, घोटाले हैं। उसकी एन्क्वारी करना आप का फर्ज है उसकी एन्क्वारी करायेंगे तो हम पर 'एहसान नहीं करेंगे। राजस्थान केनाल के काश्तकारों को मारने की नीति आपने अपनाई है। आपसे जो पूछा गया है इसके लिए आपको क्या कहना है। इस प्रकार से चार दिन से एक गांव में जो उस क्षेत्र से लगता है उस गांव के 50 भूमिहीन काश्तकार उस गांव में बैठे हैं। आपने रायसिंह नगर में इस तरह से........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य, आप एक नये विषय पर बोल रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : कई दिन से उस क्षेत्र में इस प्रकार की गड़बड़िया कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं ? हम एक एक बात के बारे में सुनाना चाहते हैं। 55 के बाद के काश्तकारों को सीलिंग के अन्दर हकूक खातेदारी देना चाहते है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आपने चार दफा एक ही विषय पर बात कर ली है।

श्री देवीदत्त गाडिया : उस जमीन की कीमत आपने लगाई है उसको........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : भूमिहीनों को 50 बीघा जमीन देने के लिए तैयार हैं ? भूमिहीनों की परिभाषा गलत बनाई है उसको बदलने को तैयार है कि नहीं। आपने जो

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बेटरमेंट लेवी लगाई है, खुशहाली टैक्स किस बात का ? खुशहाली वहां कहां पड़ी हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें । चर्चा समाप्त हुई ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : दो मिनट के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपसे सम्बन्धित तो है नहीं । आर्डर प्लीज ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक सर्वोदयी दृष्टिकोण भी आ जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य की भावनाओं को बहुत अधिक ठेस पहुंची है । सरकार की जुल्माना हरकतों को सुना नहीं सकते और जिस इलाके से वे चुनकर आये हैं उनके नुमायन्दा वे तभी होंगे जब कि वे अपनी सारी भावनाओं को सदन में रख देंगे ।

श्री मनोहरसिंह महेता : उपाध्यक्ष महोदय केवल दो मिनट के लिए........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । ट्रान्स्पोर्ट के सम्बन्ध में वक्तव्य........

श्री रामचन्द आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो मुद्दे उठाये है मैं माननीय मन्त्रीजी से उन मुद्दों का उत्तर चाहता हूं । वे हां या ना में उत्तर दे दें । या यह कह दें कि जनता को गोलियों से मरवाना है (विपक्ष की ओर से हियर हियर) उनकी उन्हें चिन्ता है कि नहीं । यह वातावरण आप बना रहे हैं जान बूझ कर । लेकिन उस इलाके के काश्तकार जमीन का नीलाम नहीं करने देंगे जब तक कि आप काश्तकारों की मांग पूरा नहीं करेंगे.......

श्री गोकुप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय मेरा औचित्य का प्रश्न है आज का दिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट पर बहस के लिए रखा था क्या वह बहस नहीं होगी....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह मुख्य मुद्दा है । हमारे अधिकार को छीन नहीं सकते ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसकी परवाह नहीं है........

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सदस्य बाधाएं डालकर माननीय सदस्य की भावनाओं को दबाना चाहते हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह समस्या बड़ी गम्भीर है । एक तरफ तो राज्य सरकार अपनी हठधर्मी की नीति पर चल रही है........

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपको इस बात की चिन्ता नहीं है कि 100 करोड़ रुपयों को इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड द्वारा खर्च किया जाना है.......

कई विपक्ष के माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

**श्री नत्थीसिंह** : अगर आप में हिम्मत है तो सदन को चला लें और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट को डिसकस कर लें। आप वह स्थिति लाना चाहते है........(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य) वह पृष्टभूमि तैयार करना चाहते हैं कि इन सब बातों पर बिना विचार किये हो सदन को अधूरा छोड़कर भागना चाहते हैं। आपका सोचना है कि उसके लिए तैयार नहीं है तो इस प्रकार की तैयारी की जाय। इस पर भी बहस होगी लेकिन पहले जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर भी बहस होगी........

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, माननीय सदस्य।

**श्री नत्थीसिंह** : आप भागना क्यों चाहते हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री गोकुलप्रसाद।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : इसमें कई करोड़ का गबन है....

**श्री मुकटबिहारीलाल गोयल** : माननीय मुख्यमंत्रीजी भी सदन में है........

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, कृपया थोड़ा नियमों का ध्यान रखें।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** : मै उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से मंत्रीजी से विशेष रूप से नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस क्षेत्र में राजस्थान केनाल के क्षेत्र में जमीनों को नीलाम आप करना चाहते हैं तो वहां पर किसान निश्चित तरीके से....

(व्यवधान)

आप सुन लीजिये, आपके हित की बात है। निश्चित तौर से वहां के किसान इस निलामी की कार्यवाही को रोकेंगे। अपनी बात को मनाने के लिये आप लाठी का सहारा लोगे, गोली का सहारा लोगे, जेलों का सहारा लोगे, लोगों का खून बहाने को तैयार होओगे। इतना भयंकर काम होने वाला है। वहां की जनता रोटी मांगना चाहती है उसको आप लाठी और गोली से दबाओगे आप चाहते क्या है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर प्लोज। आर्डर प्लोज।

(व्यवधान, कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

सदन की कार्यवाही 15 मिनिट के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही म. पू. 11-51 बजे 15 मिनिट के लिये स्थगित हुई)

(1 म. प.)

(एक बजे स्थगित कार्यवाही पुनः चालू हुई।

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

**श्री अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों की अनुमति से सदन का समय कार्यवाही स्थगित न की जावे तब तक के लिये बढ़ाता हूं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैंने अभी एक मोशन दिया विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में।

श्री अध्यक्ष : मैं देख रहा हूं। आप कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप और कोई बिजिनेस लें हम इस बात को आपके सामने रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन के नेता की बात सुनने के बाद आपको अवसर दूंगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : इसे बाद में एन्टरटेन कर लेंगे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर का महत्व मैं समझता हूँ। जब भी सदन की कार्यवाही घटती है बढ़ती है तो आप सदन को इतला करते हैं। पहले यह 15 मिनिट के लिये स्थगित हुई थी। इसके बाद में एक डेढ़ घंटे तक सदन की कार्यवाही बन्द रही। इसके सम्बन्ध में क्या नियम है ?

श्री अध्यक्ष : यहां की परम्परा यह रही है कि सदन की कार्यवाही 15 मिनिट के लिये स्थगित की जाने के बाद भी तीन तीन और डेढ़ डेढ़ घंटे तक भी बन्द रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन में जिस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ और इस वातावरण में सदन में यह शायद पहला अवसर है कि जब इस पक्ष में बैठने वाले श्री रघुनाथ जी विश्नोई पर सामने वालों की तरफ से प्रहार किया गया।

श्री नत्थीसिंह : यह झूठ है, सरासर झूठ है। कतई झूठ है मनगढ़न्त है।

(शोरगुल अत्यन्त शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री विश्नोई इज हीयर। प्लीज रिज्यूम दी सीट।

(पुनः लगातार शोरगुल : अश्रव्य)

(झूठ है, बिल्कुल झूठ है की आवाजें)

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई यहां पर हैं। ऑर्डर प्लीज। कृपया रामानन्द जी स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह ज्यादा अच्छा है कि इस तरह·····

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह : हमला करवायें आप और सामने वालों का नाम लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : आर्डर नहीं रहने वाला है, आप आर्डर नहीं रहने देना चाहते हैं।

(शोरगुल अत्यन्त शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई यहां पर हैं। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय को कहने दीजिये, मैं स्पष्टीकरण का अवसर दूंगा कि आया यह आरोप सही है या नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : और माननीय अध्यक्षजी, उनके कान के पास से काफी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

खून बहा। इस प्रकार की घटना यहां पहली बार हुई है जिसके लिये मैं समझता हूं आवेश में आने का प्रश्न नहीं है....

(शेम शेम की ध्वनि : शोरगुल : अश्रव्य)

जब 15 मिनिट के लिये हाउस एडजोर्न हुआ तो श्री रामचन्द्र आर्य आकर इस चेयर पर, जिसकी गरिमा को कायम रखना सारे सदन की जिम्मेदारी है, आकर जबर्दस्ती बैठ गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज के लिये यहां हंगामा हुआ जिसके लिए श्री आर्य और श्री रामानन्द अग्रवाल जिम्मेदार हैं, इनको इसके लिये इस हाउस से इजेक्ट किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक विशेषाधिकार प्रश्न दिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पूर्व जब कि इस सदन को कार्यवाही माननीय उप अध्यक्ष की तरफ से 15 मिनिट के लिये स्थगित होने की घोषणा कर दी गई और जब सदन स्थगित हो गया तो वहां पर माननीय रामचन्द्र आर्य, यह बात सही है कि वे वहां पर अध्यक्ष के चेयर की तरफ आ रहे थे.......

('बैठ गये थे' की आवाज : शोरगु : अश्रव्य)

मुझे अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है कि इस गड़बड़ी के समय रामचन्द्र आर्य जहां पर आप विराजमान हैं वहां पर जाकर बैठे थे। उस समय यह सदन स्थगित था उस समय सार्जन्ट एट आर्म्स और उसके कुछ साथी ऊपर जाने लगे और जाकर उनको हटाने लगे।

(शोरगुल : अश्रव्य)

अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने दीजिये।

श्री भरोंसिह : मैं एक निवेदन कर दूं। माननीय मुख्यमन्त्री जी ने कहा और आपके कहने से हमने सारी बातें उनकी सुनीं। अब इधर से जब बोल रहे हैं तो बोलते वक्त हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। हो हुल्लड़ नहीं होना चाहिये, वर्ना तो हो हुल्लड़ की कमी इधर भी नहीं है।

जो मुख्यमन्त्री ने कहा हमने सुना। आरोप भी लगाये गये कि कांग्रेस दल के किसी सदस्य को चोट आई। जो बात हमें भी कहनी है कहेंगे पर हो हुल्लड़ में न उनकी बात सुनी जावेगी न और किसी की सुनी जावेगी। बात को कहने का मौका हरेक को मिलना चाहिये। किस प्रकार की स्थिति बनी, बीच में मेजें टूटकर आवेंगी तो किसी की बात नहीं सुनी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदन के नेता ने सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसका क्लेरिफिकेशन आना चाहिये। इसलिये इधर से और उधर से दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे कृपया शान्ति पूर्वक इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सुनें। यह सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसको शान्ति से सुनें और इसके बाद जो भी निर्णय हो बाद में हो। पर बीच में व्यवधान न डालें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय 15 मिनिट के लिये एडजोर्नमेन्ट घोषित करके अध्यक्षीय आसन को छोड़कर चले गये।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो उस समय यह सदन एडजोर्न हो चुका था। उस समय माननीय रामचन्द्र आर्य अध्यक्षीय आसन पर बैठ गये। उस समय सार्जेन्ट इन आर्म्स वहां पर बिना किसी की अनुमति के अध्यक्षीय अनुमति के बिना किसी आदेश के माननीय रामचन्द्र आर्य को वहां से हटाने के लिये मन्च की तरफ गये। वे गये तो माननीय मुकुटबिहारीलाल मंच पर गये और उन्होंने सार्जेन्ट से कहा कि आप पहले अध्यक्ष से आज्ञा लीजिये तब आप कोई भी कार्यवाही कीजिये। इससे पहले आप कोई कार्यवाही करने के अधिकारी नहीं हैं।

इसके बावजूद भी सार्जेन्ट-एट-आर्म्स ने दूसरे आदमियों को बुला लिया और मुकुटबिहारीलालजी के कहने पर उत्तर में कहा कि मैंने आज्ञा प्राप्त कर ली है। मैंने इस सदन में और जानकारी की। महाराजकुमार साहब ने इस बात को बताया कि जो उद्योग मन्त्री हरिदेवजी जोशी हैं उन्होंने इशारा किया सार्जेन्ट एट आर्म्स को कि उनको यहां से हटा दो और इस पर सार्जेन्ट-एट-आर्म्स उन पर टूट पड़े और फिर उनको उस कुर्सी पर से जब कि माननीय मुकुटबिहारीलालजी मना कर रहे थे इसके बावजूद सार्जेन्ट एट आर्म्स और पांच सात लोगों ने मिलकर जो यहां पर फोर्स है वे लोग उधर गोदी में उनको जबर्दस्ती उठाकर घसीटकर यहां तक ले आये। तब मैंने सार्जेन्ट एट आर्म्स से कहा आपको क्या अधिकार है इस तरह। इस पर उन्होंने कहा कि इस तरह के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। एडजोर्न्ड हाउस के अन्दर आपको इस प्रकार किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध एक्शन लेने का अधिकार नहीं है।

माननीय अध्यक्ष को भी रूल्स आफ बिजनेस के अन्दर एक तरीका ले डाउन है उसके अनुसार अगर किसी माननीय सदस्य को इस सदन से बाहर जाने के लिए कहा जाता है, निष्कासित किया जाता है तो उसमें उसका नाम लिया जाता है, नाम लेने के बाद भी यदि वह सदस्य नहीं जाये तब उसको जबर्दस्ती निकलवाया जाता है। मेरा यह निवेदन है कि जब वह इस प्रकार से कर रहे थे और एक माननीय सदस्य के साथ अनधिकृत रूप से आपकी बिना आज्ञा के, आपके बिना आदेशों के जो जबरदस्ती कर रहे थे मैंने उनको रोका। यह सही है कि जब वह नहीं माने तो मैंने उनको पकड़कर वहां से हटाया और धक्का दिया और कहा कि निकल जाओ आपको कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह से आप कार्यवाही करें और आपको अध्यक्ष महोदय ने ऐसे आदेश नहीं दिये हैं और मैंने फिर सारजेन्ट एट आर्म्स से पूछा तो उन्होंने फिर इन्कार किया कि मैंने अध्यक्ष से कोई आज्ञा प्राप्त नहीं की है। इसतरह से अध्यक्ष महोदय यह स्थिति बनी। मेरा निवेदन करना यह है कि हाउस एडजर्न होने के बाद इस अध्यक्षीय चेयर पर हमने कई बार यहां पर जब कि हाउस की छुट्टी होती है यहां पर × × × बैठे देखा है·······

कुछ माननीय सदस्य : गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और मेरी यह मान्यता है कि जब हाउस

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सिटिंग में नहीं है जब हाउस एडजर्न्ड है तो इस अध्यक्षीय चेयर पर किसी को भी अधिकार नहीं है ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह आपने कहा कि × × × को बैठे हुए देखा मैं पुन: आग्रह करूंगा कि आप इस आसन की गरिमा के प्रतिकूल जा रहे हैं जो शब्द कहे गये हैं उनको एक्सपन्ज कर दिया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस आसन की गरिमा इस आसन में है, अध्यक्ष में है। अध्यक्ष के बिना, उनके आदेशों के बिना यह सदन जब तक सेशन में नहीं है उसके बिना यह चेयर बिलकुल अध्यक्षीय चेयर न रहकर एक सामान्य लकड़ी की चेयर रहती हैं। यदि उस पर कोई बैठे तो......

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप विषय पर चलें, संदर्भ में चलें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस तरीके से हाउस एडजर्न्ड था और मान लो कि श्री रामचन्द्र आर्य का यहां पर बैठना अगर इम्प्रॉपर भी है किसी माननीय सदस्य के अनुसार, लेकिन मेरे अनुसार उनकी कोई कानूनी गलती नहीं है, हां इम्प्रॉपर जरूर हो सकता है फिर, अध्यक्ष महोदय, इस असेम्बली के प्रांगण में यदि कोई लॉ एण्ड आर्डर की प्रॉब्लम है, यदि कोई डिसऑर्डर है उसको कन्ट्रोल करने का अधिकार आपका है। यदि आपने इस तरीके के आदेश सार्जेन्ट एट आर्म्स को दिये कि जो इस तरह से माननीय सदस्य वहां पर बैठे हैं उनको हटा दें तो फिर परफेक्टली सार्जेन्ट एट आर्म्स को इस तरीके के अधिकार हो सकते हैं और उनका करना ठीक हो सकता है। लेकिन आपकी ओर से इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किये गये केवल श्री जोशी जी के इशारे पर, माननीय उद्योग मंत्री जी के इशारे पर सार्जेन्ट एट आर्म्स ने इस तरह की हरकत की है।

कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो इस तरह से इनके कहने पर और आपके बिना आदेश के इस तरह से किया है यह सदन के माननीय सदस्य का सीधा अपमान है। उनके साथ जो वॉयलेन्स करना है और जो यहां पर इस सदन के अन्दर फ्री घूमने का या जो भी राइट्स हैं अगर उनके ऊपर एक्शन लेने की बात थी तो सार्जेन्ट एट आर्म्स को यह अधिकार नहीं थे। यह अधिकार आपको हैं। आप के आदेश शिरोधार्य हैं, सब को मान्य हैं। उसकी अवहेलना करने की मैं समझता हूं कि न माननीय रामचन्द्र आर्य की उसमें मंशा थी और न ही इस प्रकार की कोई बात की गई। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मैंने सार्जेन्ट एट आर्म्स को यहां से हटाया, हाथ से पकड़कर उनको इधर खींचकर लाया गया और माननीय श्री रामचन्द्र आर्य को उनसे दूर किया क्योंकि मैं मानता हूं कि माननीय श्री रामचन्द्र आर्य के ऊपर जिस तरह से मिलकर इकट्ठा प्रहार किया और हटाया यह उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं थी और उनका अपमान उनके जुरिस्डिक्शन में

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं था। इसलिए उनकी मदद करना और वहां से हटाना, उनको, दूर करना यह दूसरे माननीय सदस्य के अधिकारों की रक्षा करने की दृष्टि से मैंने किया है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह जो मैंने यहां पर प्रस्ताव रखा है कि सार्जेन्ट एट आर्म्स ने श्री रामचन्द्र आर्य के विरुद्ध जो भी फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किया है वह अनधिकृत था। आपके द्वारा कोई आदेश नहीं थे और इस तरह से एडजर्न्ड हाउस में इस तरह करने का उनको अधिकार नही था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय श्री जोशीजी ने जो आदेश दिया और इसके दोषी उद्योग मन्त्री जी हैं। वह इसके जिम्मेदार हैं इसलिए मैं यह प्रिवलेज मोशन, यह विशेषाधिकार प्रश्न माननीय उद्योग मन्त्री और सार्जेन्ट एट आर्म्स के विरुद्ध आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : श्री बिश्नोई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात रह गई। मैं अभी अन्दर था तब मुझे नहीं मालूम था कि श्री रघुनाथ बिश्नोई को कोई चोट लगी है। अगर यह सदन इस नतीजे पर पहुंचे कि मैंने इनको कोई चोट लगाई है तो माननीय रघुनाथ जी बिश्नोई जो भी सजा कहें इस बात के लिए कहें कि मैं इस्तीफा देकर इस सदन से चला जाऊं तो मुझे मन्जूर है। मैं इस पर बड़ा खेद प्रकट करता हूं कि इन माननीय सदस्य का न दोष था और न जाने किस तरह से चोट लगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में यह बात आई कि चोट लगी या नहीं लगी। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि हाउस में जितना हंगामा हुआ उस बारे में सबके सामने यह स्थिति थी। परन्तु इस तरह का सदन के अन्दर कभी कोई पहले 6–7 साल में सीन उपस्थित नहीं हुआ। यहां पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। अब माननीय अग्रवालजी ने कहा कि उनको पता नहीं था और शायद उनकी मन्शा खराब नहीं थी कि चोट लगे और न मेरी ख्वाहिश ही है कि इस तरह से प्रदर्शन करूं। जिस समय श्री रामचन्द्र आर्य को चेयर से सार्जेन्ट एट आर्म्स नीचे की तरफ ला रहे थे उसी समय में यहां पर आया और अपनी जगह पर बैठ रहा था तब तक श्री चुन्नीलाल जी ने अपना लाउडस्पीकर लेकर तीन–चार बार पटका और लाउडस्पीकर को फेंका जो यहां आकर पड़ा और आगे का जो यह होता है वह इतने जोर से पड़ा कि मुझे बिल्कुल बेहोशी की सी हालत हुई और मैं अपनी हालत देखकर डाक्टर के पास गया। यह पब्लिसिटी का मामला नहीं था कि मैं पब्लिसिटी करता। मुझे खून आने लग गया था और इसको बन्द करके मैं डाक्टर के पास मिलने के लिए चला गया जिससे जल्दी ही उन्होंने मेरा उपचार कर दिया। परन्तु जो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

यह लाउडस्पीकर जिस तरह से फेंका गया था, जिस तरह का सीन था—मैं कोई बात बोला भी नहीं था परन्तु इस तरह की मन्शा चल रही थी जिस समय चेयर के नीचे उतर रहे थे तो इनको रोष था कि क्यों उतारा जा रहा है। उनकी मन्शा लाउडस्पीकर फेंकनेकी नहीं हो सकती है परन्तु इस तरह से मैं नहीं कहता यह कि अग्रवाल ने लगाया या लाला चुन्नीलाल के हाथ से लाउडस्पीकर फेंका गया उससे उसका वह टूट कर मेरे लगा। उनको इस तरह से करना नहीं चाहिए था। मान लो कि मेरे लगी, कितनी लगी यह मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वह स्पष्ट दिख सकती है। उसके बारे में कोई प्रिविलिजी का मामला नहीं है। परन्तु मैं इस मामले को यहां खत्म करके चला गया। यहां खड़ा रहता तो और झगड़ा हो सकता था। इसलिए मैंने यह उचित समझा कि तुरन्त यहां से चला जाऊं। किसी को पता नहीं लगा। अभी इलाज करवा कर व्हिप के कमरे में बैठा तभी मालूम हुआ, वर्ना मैंने किसी को कहना उचित नहीं समझा। अगर यहां पर लहू दिख जाता तो दोनों तरफ से ज्यादा झगड़ा होता। यह सम्भव था, क्योंकि ऐसी गर्म हालत उस समय थी। उसमें झगड़ा पैदा होने की सूरत हो सकती थी। परन्तु इस तरह से पीछे से लाउडस्पीकर फेंकना ठीक नहीं था। वह तो मेरे लगी है किसी और के भी लग सकती थी। इस तरह से परिस्थिति गम्भीर थी। मुझे यह जरूर मानना पड़ेगा और मैं हमेशा से यह महसूस करता हूं कि दो-तीन सदस्य इस सारे हाउस में जबरदस्ती करके, मना करने के बाद भी कार्यवाही करते रहते हैं उससे यह स्थिति पैदा हुई है। मैं खड़ा हुआ और इस तरह से लगी। मैं किसी पर्टीक्यूलर सदस्य के बारे में आरोप नहीं लगाना चाहता। इस तरह की बात हुई है वह आपके समक्ष प्रस्तुत की है। मेरा कुछ नहीं है। मुझको कितनी लगी है उसका तो मैं इलाज करवाऊंगा। वह तो मुझे भुगतना ही है, आप उसमें किस तरह से इमदाद दे सकते हैं? परन्तु जो इस तरह की बात हुई है वह खराब स्थिति है, और इस तरह से इस हाउस में इस तरह से होता रहा तो मेरे ख्याल से कोई गम्भीर समस्या होगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय अध्यक्षजी ...

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने मेरे बारे में कहा है...

श्री अध्यक्ष : आपको बाद में समय दूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष जी, जो आज सदन के अन्दर घटना हुई है वह अच्छी चीज है, यह मैं नहीं कह सकता। मैं इस परिस्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई को चोट आई उस सम्बन्ध में मेरे दल और मेरी ओर से खेद प्रकट करता हूं और मैं यह अनुभव करता हूँ कि सभी सम्माननीय सदस्य इस ओर बैठने वाले ऐसी दुर्घटना के बारे में सिवाय दुःख के और चिंता के और कोई प्रकट नहीं करेगा। माननीय सदस्य श्री रामानन्द जी अग्रवाल ने भी यह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

स्पष्टतया निवेदन किया सदन के समक्ष कि उनकी कोई ऐसी दुर्भावना नहीं थी। और मेरे ख्याल से जो कशमकश चल रही थी उसमें लाउडस्पीकर का कोई हिस्सा कान के ऊपर लग जाना सम्भव नहीं है....

**कांग्रेस पक्ष के कई माननीय सदस्य :** फेंका गया है।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर प्लीज़!

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** माननीय सदस्य श्री रघुनाथ जी विश्नोई ने भी उदारता पूर्वक यह कहा और उन्होंने जो चिन्ता प्रकट की उसका एक एक शब्द में सुन रहा था, और उन्होंने जो कहा उसमें भी उन्होंने यही विचार व्यक्त किये कि शायद जान बूझकर किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। अगर जान बूझकर किया है तो यह तो साबित होना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन माननीय सदस्य रामानन्द जी अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने कोई दुर्भावनापूर्ण इस तरह का काम नहीं किया है कि जिससे किसी को चोट आये। तो मेरे ख्याल में माननीय सदस्य श्री रामानन्द जी अग्रवाल की तरफ से स्पष्टिकरण दिया गया है, वह मैं तो समझता हूं पर्याप्त सा है।

जो प्रश्न हुआ एडजर्न होने के बाद माननीय उपाध्यक्ष जी यहां से चले गये उसके बाद जो माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र आर्य ने सदन की चैयर पर जाकर बैठने की चेष्टा की, उसकी भी मैं भर्त्सना किये बिना नहीं रह सकता (सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि) अगर हमको जनतन्त्र सुचारु रूप से चलाना है तो इस तरह की प्रक्रिया की भर्त्सना और निन्दा करना हरेक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। मैं समझता हूं कि इस सदन की परम्परा बहुत अच्छी रही है। इस सदन की परम्परा ऐसी रही है कि मैं अनुभव करता हूं कि अन्य देशों की विधान सभाओं को मेरे ख्याल में राजस्थान की विधान सभा के सम्बन्ध में एक्जॉम्पल तो लेना चाहिए

( सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि )

मैं माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र आर्य का वकील नहीं हूँ। सम्भवतः मैंने देखा है वह ठीक तरह से नहीं देखा हो, लेकिन इस सदन की मर्यादाएँ हैं। जो कुछ भी मार्शल ने किया वह किस तरह से किया यह निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि माननीय मंत्री जी जो ट्रेजरी बेंच पर बैठे हैं उनकी तरफ से सम्भवतः यह संकेत हुआ हो कि श्री रामचन्द्र आर्य को यहां से हटा दिया जाय.......

**श्री गिरधारीलाल शर्मा :** यह गलत है।

**विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्य :** यह सही है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** यह विवादास्पद बात है, लेकिन हमको इस समस्या को संकीर्णता की दृष्टि से नहीं देखना है। इसको उदारता से देखना है, और उस उदारता के ऊपर मैं तो यह कहता हूं कि सम्माननीय सदस्य जो मेरे सामने बैठे हुए हैं शासनारूढ़ दल के प्रतिनिधि हैं उन्होंने अगर अनुदारता की तो मेरे ख्याल में सदन के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगी। मैं समझता हूं कि निश्चत रूपेण तिल का पहाड़ हो गया है। बिजिनेस एडवाइजरी के सम्बन्ध में वातावरण हुआ। यह शेडूल्ड कास्ट्स और शेडूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आई है उसके डिसकशन के सम्बन्ध में 17 माननीय सदस्यों, विरोधी दल वालों ने यह चाहा कि उस रिपोर्ट पर डिसकशन हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी में इस समस्या को रखा तक नहीं गया और यह समस्या रूल आउट हो गई। शेडूल्ड कास्ट और शेडूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट बहुत से सम्मानीय सदस्यों को आज 5 बजे सुबह को मिली है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि 5 बजे जब रिपोर्ट मिले 500 पेज का वाल्यूमिनस वाल्यूम है उसको कोई भी सम्माननीय सदस्य पढ़कर उस सम्बन्ध से बहस कर सकता है यह बात आप स्वयं विचार सकते हैं ऐसी स्थिति में मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम सब विरोधी पक्ष के लोग अध्यक्ष चेम्बर में बैठे हुए थे तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ एक भी मंत्री महोदय कोई उपस्थित नहीं था और एक सम्माननीय मंत्री महोदय ने उपस्थित होकर उन्होंने दो शब्दों में यह कहा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह इच्छा है। बहुमत तो आपका है और बहुमत के द्वारा अगर आप शासन करना चाहें तो इस सदन में सद्व्यवस्था की आशा भी मत करें। डेमोक्रेसी तो बिना कम्प्रोमाइज की भावना के चल नहीं सकती अगर आप विरोधी पक्ष को आदर की भावना से कम्प्रोमाइज की संभावना बरतेंगे तब तो इस सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चल सकती है, नहीं तो आप यह चाहें कि एक हाथ से ही ताली बजे तो एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

लम्बा चौड़ा बयान तो मैं नहीं देना चाहता। दूसरी बात मैं कहना नहीं चाहता। जो कुछ भी आज हुआ है उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आज इस सदन की परम्परा को ठेस पहुंची है, ऐसी व्यवस्था हुई है। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि उदारता पूर्वक इस सम्बन्ध में विचार करें, और किसी भी सम्माननीय सदस्य को बेइज्जती करने का प्रश्न अगर उत्पन्न भी है तो उदारता पूर्वक आप व्यवहारिक रूप से उदारता के साथ उसके ऊपर दृष्टिपात करें। केवल मात्र आपका बहुमत है तो इस बहुमत के निर्णय की बात लेकर फाल्स सेन्स ऑफ प्रेस्टीज को आगे बढ़ावें वह चीज ठीक नहीं समझता हूं।

मैं तो समझता हूँ कि माननीय श्री राम चन्द्र आर्य भी अगर इस सम्बन्ध में गलती के रूप में जो कुछ उन्होंने किया है उस सम्बन्ध में भी खेद प्रकट करेंगे तो मेरे ख्याल से यह समस्या का हल हो सकता है, और जो कुछ भी आसान के सम्बन्ध में, चेयर के सम्बन्ध में, कहा गया कि × × × आदि का तो उसका तो मैं समर्थन नहीं करता। आसन खाली भी हो, आसन किसी भी स्थिति में हो, आसन आसन है, और आसन को हम उच्चता की दृष्टि से देखते हैं। (हियर हियर)

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है........

**श्री अध्यक्ष :** श्री जोशी।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया :** माननीय अध्यक्ष महोदय....

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेश से हटाया गया।

**श्री अध्यक्ष** : पहले चुन्नीलालजी का मामला है ।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : माननीय विश्नोई जी के कान के चोट लगी है उसका मुझे भारी खेद है । माननीय विश्नोई साहब ने मेरा नाम लिया है कि मेरे हाथ से माइक टूटकर उनके लगा । मेरे पास तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इस बात से इन्कार करूं । माननीय विश्नोई साहब ने जो कहा है तो उन्होंने देखा होगा । हो सकता है कि मेरे हाथ से लगी हो, अगर मेरे हाथ से लगी हो तो........

**श्री खेतसिंह** : हैं हो क्या सकता है ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर ।

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** : अगर मेरे हाथ से लगी है तो में सदन के माननीय सदस्य से इस सम्बन्ध में माफी चाहूंगा । अगर मेरे हाथ से लगी है........

**श्री खेतसिंह** : अगर क्या होता........

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज ।

**श्री चुन्नीलाल इंदलिया** : आपने मुझे पर आरोप लगाया, में उसको सही मान लेता हूं दो मिनिट के लिये । मैं अध्यक्ष महोदय से माफी चाहता हूं, सदन से माफी चाहता हूं मुझे खेद है मेरा विचार ऐसा नहीं था, मेरे दिल में कोई ऐसी भावना हो ऐसी बात नहीं है ।

**श्री हरिदेव जोशी** : माननीय अध्यक्षजी, जो घटना यहां पर घटी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आॅर्डर, आॅर्डर !

**श्री हरिदेव जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, सदन को स्थगित करके जैसे ही रवाना हुए वैसे ही हल्ला हुआ और में भी उनके साथ बाहर निकल गया में यहां पर था भी नहीं जिस समय रामानन्द जी ने धक्का लगाया या क्या किया ? पोजीशन यह है कि जब में बाहर गया, हल्ला जब मचा मैं तब लौटा । मैं माननीय सदस्यों के पास गया, मजाक में, हंस कर, किसी भी तरह से माननीय सदस्यों को शान्त करने की कोशिश की । आप देखेंगे कि जैसे ही उत्तेजना पैदा हुई, लोग जोर से बोलने लगे, स्थिति जब ऐसी हुई में सदन से बाहर निकल गया । उसके बाद मालूम हुआ कि रामचन्द्र जी आर्य अध्यक्ष महोदय की कुर्सी के ऊपर बैठ गये । मैं बाहर गया उसके बाद स्वतंत्र पार्टी के चीफ व्हिप मिले उन्होंने कहा कि यह चीज बुरी थी, मैंने अपनी पार्टी के लोगों को रोका है कि किसी को चेयर की तरफ नहीं जाना चाहिये । जब मैं अन्दर गया तो सतीशचन्द्र जी मिले उन्होने कहा कि गलत बात थी, मैंने अपने पार्टी के साथियों को रोका कि ऐसा नहीं करना चाहिये । ठीक उसी तरह से रामकिशन जी को देखा, जो लोग उत्तेजित थे उनको शान्त करने में लगे हुए थे । केवल रामानन्द जी ही ऐसे व्यक्ति थे जो सारी स्थिति होने के बावजूद भी लोगों को उत्तेजित कर रहे थे, ऐसा वातावरण कर रहे थे....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपने किया वह अब भी है ।

**श्री हरिदेव जोशी** : श्री रामानन्द जी

(श्री हरिदेव जोशी)

अग्रवाल ऐसी बात करें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। वे जिस पार्टी से आते हैं वह पार्टी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करती।

(सरकारी पक्ष से शेम शेम)

यदि कोई व्यक्ति चेयर पर बैठ जाय तो वे उसको बुरा नहीं समझते लेकिन हम उसको बुरा समझते हैं। क्यों नहीं जनसंघ के लीडर बैठ गये? क्यों नहीं स्वतंत्र पार्टी का कोई सदस्य बैठा? क्यों नहीं सोशलिस्ट पार्टी का कोई सदस्य बैठा? इसलिए नहीं बैठे कि वे जनतंत्र में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी, जनसंघ सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में अन्तर है तो यही है। यह मौलिक भेद निरन्तर बना रहेगा इसमें दो प्रकार की बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कहीं ईमानदारी है तो मैंने सार्जेन्ट को कुछ नहीं कहा, सदन को मेरी ईमानदारी पर विश्वास करना चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये आज की यह सब घटना इतनी दुखद थी कि जैसे कोई मुझे लकवा मार गया हो। कल्पना भी नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी। किसी ने भी की, 182 सदस्यों में से कोई भी करे, हम सब उसके लिये दोषी हैं समान रूप से। मैं तो यह मानता हूं कि जैसे मैंने ही यह घटना की हो। कुर्सी पर कोई बैठा है तो मैं कहता हूं मैं ही बैठा हूं। यदि माइक उछाला, हाथ में लगी है तो मैं मानता हूं कि मेरे ही हाथ में लगी है। हम सब भाई हैं, राजस्थान का कल्याण करने के लिये यहां पर बैठे हैं। मुझे क्या करना चाहिये कि सबसे पहले सदन से क्षमा मांगनी चाहिये। प्रायश्चितस्वरूप मुझे एक दिन का उपवास करना चाहिये। मैं जिस सदन में आया हूं वहां भूल हुई है। परिवार में कई सदस्य होते हैं, गलतियां हो सकती हैं, किसने की किसने नहीं की, किसके हाथ में लगी। मुझे खुशी हुई कि बिश्नोई जी ने कहा कि किसी ने जान बूझ कर नहीं लगाई, उनके दिल में जरा भी ऐसी बात नहीं आई और जिनके हाथ से लगी उन्होंने भी मान लिया कि मेरे हाथ से लगी है। इसका मतलब यह है कि हम एक हैं, एक मानकर चलते हैं। सार्जेन्ट ने क्या गलती की क्या नहीं की, चाहे आसन पर कोई विराजमान नहीं है, मैं आसन को आसन ही मानता हूं। इसलिये जो सदस्य वहां जाकर विराजे ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। वे खुद कहते हैं अच्छा नहीं किया, उनको नहीं विराजना था। सार्जेन्ट उठा कर लाया। रामानन्द जी के लिये कहते हैं कि उन्होंने दी, उन्होंने कुछ नहीं दी, उनके हाथ में कुछ नहीं था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने सार्जेन्ट को देखा है, रामानन्द जी ने स्वीकार किया है, बिश्नोई जी ने उनसे कहा कि ऐसा मत करो। धक्का दिया इसमें कोई शक नहीं। मैंने सार्जेन्ट को देखा है, वह भी उस समय बिल्कुल शान्त थे लेकिन रामानन्द जी ने उस वक्त जो किया अच्छी बात नहीं थी। कोई भी हो ऐसा नहीं करना चाहिये। कांग्रेस

# Page No. 127



(श्री मनोहरसिंह मेहता)

पार्टी के जो लीडर हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके आप भी उदारता से विचार करिये और जो प्रस्ताव रखा है उसको वापिस ले लीजिये । जो सार्जेन्ट के विरुद्ध और उद्योग मन्त्री जी के विरुद्ध कहा, उनसे भी कहता हूं कि कृपा करके आप भी वापिस उठा लीजिये । कृपा करके इस बात को जैसी हुई उसको यह मान कर कि कुछ हुआ हो नहीं यह मान कर यहीं समाप्त कर दें तो अच्छा होगा ।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार अभद्र व्यवहार सदन में हुआ उस समय 15 मिनिट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित थी और मैंने जो कुछ भी किया (शोरगुल) सुनिये ! आप सुनिये ! मैंने गलत किया या सही किया, जो कुछ भी किया उसके लिए व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा दी जा सकती है लेकिन एक सार्जेन्ट को हुक्म देना, उद्योग मंत्री ने मेरे सामने हुक्म दिया, जाकर चक (शोरगुल) सुनिये ! आप सुनिये ! उत्तेजना मत दिखाइये । सुनिये आप सुनिये ! इस तरह करने से काम नहीं चलेगा (शोरगुल) इस तरह नहीं चलेगा, यह धांधली नहीं चलेगी.........

**गिरधारी लाल व्यास :** गलत है !

(शोरगुल)

**श्री रामचन्द्र आर्य :** आपमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए ।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज ! आर्डर !

**श्री रामचन्द्र आर्य :** आसन मुझे आदेश दे सकता है । आप नहीं दे सकते ।

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल :** अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि इससे साफ है कि आपके दल के माननीय सदस्य, माननीय सदस्य को इस तरह शोर-गुल करके सुनना नहीं चाहते हैं.......

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज ! श्री आर्य ! शुरू रखिये !

**श्री रामचन्द्र आर्य :** अध्यक्ष महोदय, मेरे आचरण के सम्बन्ध में, वह जो कुछ भी हो, आप व्यवस्था दे सकते हैं.......

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** आचरण बहुत खराब है ।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** लेकिन एक उद्योग मंत्री ऐसा हुक्म दें, वह भी एम. एल. ए. हैं । कोई बात नहीं यदि वह आज मिनिस्टर हैं, लेकिन वह कल को एम. एल. ए. हो सकते हैं, और हम सब चुन कर आये हैं इसलिए हमें बराबर का अधिकार है । वह जाकर सार्जेन्ट को आदेश दें । सार्जेन्ट एक बार रुक गया, उसने कोई कार्यवाही नहीं की । फिर उसको कहा कि चक लो । तो इस प्रकार मुझे जबर्दस्ती इनके हुक्म से उठाया गया (शोरगुल)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज ! आर्डर !

**श्री रामचन्द्र आर्य :** इस प्रकार की गलत कार्यवाही की गई.......

**श्री अध्यक्ष :** माननीय श्री आर्य ! आर्डर प्लीज !

# Page No. 128



**श्री रामचन्द्र आर्य :** मैं एक मिनट में कह देना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** मैं पूछना चाहता हूँ कि कहां से उठाया गया ?

**श्री रामचन्द्र आर्य :** आसन को यह अधिकार है.........

**श्री अध्यक्ष :** मैं यह जानकारी जानना चाहता हूं कि आप इस आसन पर बैठे थे, आपको यहां से उठाया गया या कहां से उठाया गया ?

**श्री रोशनलाल :** ( श्री नत्थी सिंह की ओर संकेत करके ) यह इनसे झूंठ बुला रहे है। यह बैठे बैठे इनसे झूंठ बुला रहे है। झूंठ बुला रहे हैं।

**श्री गिरधारी लाल व्यास :** बिल्कुल बैठे थे।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** मैं बैठा था। इसमें कोई बुरी बात नहीं की। (शोरगुल)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! आर्डर !

**श्री रामचन्द्र आर्य :** मैं बैठा था। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। उस वक्त मीटिंग चालू नहीं थी। फिर भी उसके लिए आप व्यवस्था दे सकते हैं। आप सजा दे दें वह मुझे मंजूर है। लेकिन एक मंत्री को क्या अधिकार था, कि वह इस तरह सार्जेन्ट को आॅर्डर देकर मुझ सदस्य को चक करके बाहर निकाला जाय, जब कि मीटिंग बन्द थी, चालू नहीं थी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है.........

**एक माननीय सदस्य :** शर्म आनी चाहिए।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** बहुमत के बल पर किसी आदमी को अपमानित करना यह आपके आसन पर रहते हुए शोभा की बात नहीं है...........

**श्री अध्यक्ष :** आप शोभा अशोभा को छोड़ दीजिये। आसन ग्रहण करिये।

**श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) :** अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में मैं भी अर्ज करना चाहता हूं। बहस इस बात की हुई कि माननीय सदस्य अपने उद्गार निकालना चाहते थे और उपाध्यक्ष महोदय ने इजाजत नहीं दी। जिस समय सदन की कार्यवाही स्थगित हुई उस समय आप यहां से रवाना होते हुए आसन पर जाकर बैठ गये। उसके बाद सार्जेन्ट अपने मन से नहीं गया। तो यदि कोई सदस्य चला करके अपमान करते हैं तो मैं समझता हूँ, पुलिस के लिए यह कहें, तो पुलिस को इजाजत है, सड़क पर या किसी और जगह पर और माननीय सदस्य ऐसी हरकत करें, किसी को मारने जायं तो उसको हक है उठाने का। मान लीजिये कि इनके बजाय मैं होता और मैं कहता कि उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे सभापति बनाया है तो आप क्या करते (शोरगुल)....

**श्री गिरधारी लाल व्यास :** कर सकते हैं क्या ऐसा ?

**श्री मदन सिंह (दांता रामगढ़) :** इसलिए मैं समझता हूं कि आसन के ऊपर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बैठने का अधिकार है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में सभापति

(श्री मदनसिंह)

आसन पर बैठ कर सदन की कार्यवाही चलाते हैं। जिस समय सदन की कार्यवाही चालू नहीं थी उस समय आप आसन पर बिराजे। उसमें आसन के प्रति अपमान करने की मन्शा नहीं थी। यदि ऐसा होता कि आप बिराजे होते और उस समय वह ऐसा करते तो उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं था। मीटिंग खत्म हो गई थी उस समय वह आसन पर जाकर उद्गार निकालते हैं,

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री गिरधारी लाल व्यास : वकालात मत कीजिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उस तरह से उन्होंने अपना भाषण प्रारम्भ किया था। यह बात सही नहीं है कि उन्होंने और कुछ किया। खाली भाषण प्रारम्भ किया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप लोग मेरी बात सुनिये, वह कह रहे थे मेरे साथ अन्याय हुआ है। जिस समय मीटिंग नहीं थी उस समय आप इधर पधारे, तो आपको इधर आने का क्या अधि-कार था ? और सतीशचन्द्र जी के पास आकर मजाक करने का क्या अधिकार था ? तो क्योंकि सदन चल नहीं रहा था, इसलिए विद्युत् मंत्री का यहां पधारना और सतीश चन्द्र जी से मजाक करना प्रिवलेज था, तो वह भी मजाक था।

दूसरा विश्नोई जी के कान पर लगी है, मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, वह लाउड स्पीकर यहां नहीं है। वह यहां से उसे इस तरह से हिला रहे थे।

(शोरगुल)

श्री प्रद्युम्न सिंह : गलत बात आप मत करिये। आपसे उम्मीद नहीं है कि आप गलत बात करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तोड़ कर ले आये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बस।

श्री मदनसिस (दांता रामगढ़) : ऐसा भी मान लिया जाय, तो माननीय विश्नोईजी यह कह दें कि माननीय सदस्य और इनके अन्दर कोई खुनस थी, कोई बातचीत थी ? पिछले दिनों में, अध्यक्ष महोदय, कई दफा ऐसी घटनाये हुई हैं, इससे भी तेजी आई है लेकिन आज तक किसी माननीय सदस्य ने लाउड स्पीकर नहीं फेंका। अगर फेंकना ही था तो विश्नाई जी के ही क्यों देते, अगर वह देते तो उनको देते जो कैनाल एरीया के हैं........

श्री अध्यक्ष : अच्छा निशान होना चाहिए। निशाने बाज होना चाहिए। (शोर गुल) आर्डर। आर्डर प्लीज। माननीय बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह दोनों माननीय सदस्य हैं........

एक माननीय सदस्य : ऐसे ही रखते हैं सदस्य ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शांति रखिये।

# Page No. 130



श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अपने सदस्यों में डिसीप्लीन रखिये ।

श्री नरसीसिंह : भेड़ नहीं हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के मित्रों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मामला गम्भीर है गम्भीर मसले पर गम्भीरता से विचार करें तो ही कुछ बात हो सकती है । असहमत आप किसी चीज से हो । लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार कुछ विचार नहीं हो सकता ।

श्री रामकिश : इससे कुछ नतीजा नहीं हो सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह क्या बात है कि आप हर माननीय सदस्य को रिफ्यूट करें । सबको कहने का अधिकार है, आप उनको कहने दीजिये पहले उनकी सुनिये उसके बाद में आप विरोध कर सकते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपसे भी निवेदन है कि जो माननीय सदस्य कहें वह सही कहें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय व्हिप महोदय । आर्डर प्लीज ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपको नम्रता से निवेदन कर सकता हूं........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री बद्री प्रसाद गुप्ता ।

श्री खेतीसिंह : यह भी आपको हक है कि हमें उपदेश भी देवें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपको इतना निवेदन करता हूं कि आज जिस तरह से प्रोवोकेशन हो रहा है, अगर आप हाउस को कॉन्फीडेंस में लेकर कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं, आप कन्टेम्पचुअस लेंगवेज में बात करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि मैं उपदेश देने के लिए खड़ा हुआ हूं तो जितना सदमा आपको है उतना ही सदमा सबको है । लेकिन इस तरह का एटीट्यूड लेकर चलेंगे, तो मैं समझता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं । आप हर एक आदमी को एक सा समझते हैं । लेकिन हर एक आदमी रामचन्द्र आर्य नहीं है जिसको इस तरह से उठा सकते हैं........

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह सही क्यों नहीं कहते ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सही और गलत का फैसला करने वाले आप नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप स्वीकार करते हैं तो वह क्यों नहीं करते ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस तरह से मामला हल नहीं होगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप स्वीकार करें और यह न करें यह क्या बात है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चीफ व्हिप बन गये हैं........

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमको ही डांटने लगे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । दोनों माननीय सदस्य ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या बात हुई ? एक आदमी बोल रहा है उसको आप सुनिये, शांति से सुनिये ! (शोरगुल) वह एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको क्या चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दोनों मेरे दल के सदस्य हैं और मैं अपनी और उनकी ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको और सारे सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और करते रहेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे प्रजातंत्र को किसी तरह का धक्का पहुंचे । और खास तौर से जो आपकी कुर्सी है, उसके लिए हम किसी तरह का अपमान करें इससे तो अच्छा है कि हम सदन छोड़ कर चले जांय । मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि बिश्नोई जी को चोट लगी जाने अनजाने में, मैं इंदलिया को जानता हूं, चुन्नीलाल इंदलिया को, उनकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है । आपका भी एलीगेशन यह नहीं है कि इन्होंने जान बूझ कर आपको कोई मारने की गरज से यह कार्यवाही की हो । हो सकता है यह किसी गलती से हो गया । मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं उनकी ओर से और सारे दल की ओर से । मैं भी माननीय बिश्नोई जी से क्षमा चाहता हूं कि उनको इस तरह से चोट लगी । लेकिन किसी की मन्शा उनको चोट पहुंचने की नहीं थी और इनकी गलती से ऐसा हुआ है तो जो सजा आप दें वह मानने के लिए तैयार हैं । इसलिए ऐसा ख्याल करना कि जान बूझ कर कार्यवाही की है । ऐसी मन्शा नहीं है ।

दूसरी बात है, आपकी कुर्सी है, उसके बारे में अर्ज करूं कि यह बात दुरुस्त है, जिस समय सदन चलता है उस समय इस कुर्सी का अपमान करें ऐसा करना हम कदापि नहीं चाहते । सदन जब चलता है उस समय, यह बात सही है कि नियम बाकायदा लागू होते हैं और सदन चल रहा है उस वक्त कुर्सी पर सदन के अध्यक्ष बैठे हुए हैं तो सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए और सब इज्जत करते हैं........

श्री अध्यक्ष : नहीं करनी चाहिए ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लेकिन खाली कुर्सी है और हाउस एडजार्न हो चुका है उस वक्त जाने अनजाने कोई बैठ जाते हैं तो इसमें आसन की बेइज्जती करने की मन्शा नहीं है । उस समय श्री रामचन्द्र, जिनको ठीक तौर से कोई बात मालूम नहीं है कि क्या कानून है क्या नियम है, ने यह समझा कि हाऊस एडजार्न हो गया है और वह जाकर आसन पर बैठ गये.... ...

श्री अध्यक्ष : कुछ परम्परायें हैं । सदन को कुछ परम्परायें हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें कोई आपत्ति नहीं, आप जो हुक्म देंगे उसको मानने के लिए तैयार हैं ।

# Page No. 132



श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : बादशाही परम्परा जरूर है कि क्वीन विक्टोरिया के ताज की जो हुजुरी करें ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात मैं जरूर निवेदन करूंगा कि आप को कुर्सी पर रामचन्द्र जी जाकर बैठ गये । आप के हुक्म से सदन के कई माननीय सदस्य आसन पर जाकर बैठते हैं । क्योंकि उनको आपने अधिकार दे रखा है । उसी तरह यह बैठे हैं तो इनको भी अधिकार दे सकते हैं । इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को मैं चेयरमैन बना दूंगा तब रेक्टीफाई होगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मंशा नहीं है, मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि इस सदन में आपका पूर्ण आधिपत्य है और यह अधिकार उस व्यक्ति को है जो आपके हुक्म से इस आसन पर बैठता है । आप के बिना हुक्म के किसी माननीय सदस्य को इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है । उस सूरत में यदि माननीय रामचन्द्र जी ने भी मार्शल को मना किया कि तुम इस मामले में इण्टरफीयर न करो तो मैं समझता हूं कि वह बात बिलकुल सही थी । इसमें गलती नहीं थी फिर भी अध्यक्ष महोदय महसूस करते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुँचा है । बात की गई है तो उसके लिए मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से क्षमा चाहता हूं । माननीय विश्नोई जी के बारे में मैंने साफ कह दिया कि हमारे प्रति कुछ और ख्याल है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं और हमारी तरफ से प्रजातन्त्र को आघात पहुँचाने वाली कोई कार्यवाही नहीं होगी । जो यह घटना घटी है, उसके लिए मुझे खेद है और अपने दल की ओर से उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (गांधी नगर, जयपुर) : श्रीमान् इस विषय में जो भी विचार विमर्श के बाद निर्णय होगा उसके अन्दर माननीय सदस्य के ध्यान से कुछ बातें रह न जायें इसलिए मैं इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं । श्रीमान इस भवन में जो अध्यक्ष का आसन है, उसके उपयोग के सम्बन्ध में जहां तक प्रश्न है उस पर तो कोई भी निर्णय श्रीमान् दें लेकिन निर्णय देने के पहले सदन की परम्पराओं को ध्यान में रखना आवश्यक होगा जिस समय इस सदन की बैठक यहां नहीं रही हो उस समय भवन का उपयोग किस प्रकार हो सकता है किस प्रकार नहीं हो सकता है इसके सम्बन्ध में कोई नियम अपने यहां जहां तक मैं समझता हूं नहीं बना हुआ है । मगर एक दो बार भवन का उपयोग हुआ है जब सदन बैठक में नहीं था । एक बार का तो खास तौर पर मुझे याद है एक साहित्यिक गोष्ठी के रूप में इसका उपयोग हुआ है । हरिभाऊजी जिस समय मन्त्री थे, उस समय सदन की बैठक के बाद साहित्यिक गोष्ठी के काम में यह भवन आया है और उस प्रकार इसका उपयोग हुआ है । आसन का उपयोग हुआ है और इन सारे आसनों का उपयोग हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : साहित्यिक गोष्ठी नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कान्फ्रेंस के लिए हुआ है ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : जो भी रहा हो, मेरा मतलब यह है कि इस सबको ध्यान में रखते हुए कि सदन में बैठक नहीं हो उस वक्त इस आसन का गोष्ठी या कान्फ्रेंस के रूप में यूज कर लिया जाय। इस पर निर्णय दें। इस सदन को कुछ परम्परायें चली आ रही हैं। वैसे कोई नयी परम्परा ही बनानी हो तो बात दूसरी है। उसके लिए बाकायदा नियम आप बनायें। लेकिन मेरा निवेदन है कि आज की दुर्घटना है उस पर इस स्थिति को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लिया जाए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पूर्व इस सदन में जो कुछ घटना घटी, उस पर मैं अपने दल की ओर से बहुत खेद व्यक्त करता हूँ। यह जो कुछ भी हुआ इसके सम्बन्ध में जो सम्बन्धित माननीय सदस्य हैं, उन्होंने अपनी ओर से स्पष्टीकरण किया है। और वह सदन के समक्ष हैं। मुझे उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कुछ तथ्यों को रखा। जहां तक तथ्यों का प्रश्न है यद्यपि उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारी का इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया है। लेकिन जहां तक तथ्यों का सवाल है, उन तथ्यों को उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए अब यह सदन के देखने का प्रश्न होगा कि नियमों के अनुसार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जाये अथवा न की जाये। और की जाये तो क्या की जाये। वह एक अलग प्रश्न है। इसके सम्बन्ध में अभी विचार प्रकट करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। लेकिन इतना मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं यह बात मैंने कई बार कहा है कि हमें इस बात का फख है कि सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में सारी विधान सभाओं में इस राजस्थान की विधानसभा है जिस विधानसभा कार्यवाही में सबसे कम इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं घटी हैं। इतना सहयोग, इतना सामंजस्य सदन की कार्यवाही चलाने में विरोधी दल की ओर से रहता है, और हम लोग हमेशा इस बात का प्रयास करते है :

To err is human and to persist is inhuman.

गलतियां सभी से होती हैं। लेकिन गलतियों को नहीं मानना, यह अमानवीयता है। गलतियां स्वीकार हमने हमेशा की हैं। पिछली कई बार, एक दो बार ऐसे मौके आये जब विपक्ष की ओर से कई उत्तेजनात्मक परिस्थितियों के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई। उनमें भी उन तथ्यों को स्वीकार किया गया है। सदन में खड़े होकर क्षमा याचना की गई है। खेद प्रगट किया गया है। मैं समझता हूं कि जो इन माननीय सदस्य ने–जिनका इस घटना से सम्बन्ध है–भी इस प्रकार का भाव प्रकट करके चाहे उन्होंने नियमों की आड़ ली हो यह बात अलग है, यह बात निश्चित रूप से उनके क्रेडिट की हैं, जहां तक तथ्यों का सवाल है, चाहे रामानन्द जी का प्रश्न हो जो सार्जेन्ट को उधर करके ले गये। उन्होंने कहा है कि मैं ले गया। इसी तरह रामचन्द्र आर्य ने इन्कार नहीं किया कि आसन पर जाकर नहीं बैठा। यह मैं आपसे बता दूं कि यह किया नियमों की अनभिज्ञता के कारण। इस बात को सदन जानता है कि रामचन्द्र आर्य नियमों के बारे में बहुत ज्यादा जान-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कारी रखते हों ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। मैं उनके पक्ष का समर्थन करने या उनका केस प्लीड करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। यह भी फैक्ट है जिसको ध्यान में रखना है। वह व्यवस्था का सवाल खड़ा करना है। वह इसलिए कि उन्हें बोलने का मौका लेना है। व्यवस्था का सवाल पैदा करने और वहां पर जाकर बोलने का मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्हें तो बोलने का मौका लेना है, चाहे वह आसन या यह आसन हो। यह बात निश्चित है मैं समझता हूं रामचन्द्र आर्य के लिए यह निश्चित बात है कि उनके मन में आसन से बैठकर आसन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं थी। इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने एक साल में देखा होगा, वह व्यवस्था का सवाल उठा देते हैं, जब किसी बात को कह नहीं सकते हैं, यह निश्चित बात है। वह बोलते हैं तो न तो उनको आसन दिखता है और न कुछ दीखता है। वह आंख मीचकर बोलते हैं। बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। वह भावावेश में होते हैं और उनको सिवाय गंगानगर और गंगानगर के किसान के और कुछ नहीं दिखता है। आसन नहीं दिखता है। अध्यक्ष को उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को सभापति, सभापति महोदय को सभापति महोदया, और महोदया को महोदय कह जाते हैं। मैं समझता हूं इस पृष्ठभूमि में उनके आचरण पर विचार करें। उन्होंने खेद प्रकट किया है। विपक्ष के दल के सदस्य होने के नाते दल के नेता ने खेद व्यक्त किया है। और विपक्ष के सदस्य हैं इसलिए मैं भी खेद प्रकट करता हूं कि इस प्रकार का आचरण किया। मेरी पार्टी इस बात को मानने वाली है मेरी पार्टी के सदस्यों और पार्टी का इतिहास है हिन्दुस्तान और दूसरे राज्यों में, मध्यप्रदेश में इस प्रकार की अप्रिय घटना घटी। पार्टी ने गम्भीर रुख लिया। और उस सदस्य को निकालने की कार्यवाही की। मेरी पार्टी के सदस्यों की ओर से मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरी पार्टी लोकतन्त्र के लिए श्री रघुनाथ बिश्नोई का खून नहीं बहाना चाहती। कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य का खून नहीं बहाना चाहती, कांग्रेस पार्टी के एम० एल० एज० हैं उनका खून नहीं बहाना चाहती, यदि देश में लोकतन्त्र की भावना की और लोकतन्त्र की रक्षा के लिए खून बहाने की आवश्यकता होगी तो हमारी पार्टी सबसे आगे रहेगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई के साथ जो हुआ उसका मुझे खेद है। उनके जाने अनजाने चोट आई लेकिन उन पर प्रहार करने की मंशा किसी की हो यह बिल्कुल गलत है। इसलिए इसके सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हम नियमों की आड़ लेकर चलें, नियमों का हवाला देकर चलें, इस प्रकार की बात कहना मैं समझता हूं अलग चीज है। मैं नियमों की बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं सारे प्रश्नों को सारी घटना को कानूनी रूप नहीं देना चाहता। मैं इसको उससे बाहर निकाल देने की कोशिश नहीं करना चाहता। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, इस सदन में जो कुछ हुआ है, वह खेदजनक है। यह अप्रिय घटना है, इस पर सब दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर मुख्यमंत्री से और कांग्रेस पार्टी के मित्रों से और सभी साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि यह अप्रिय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

घटनाएं होती क्यों है ? भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसकी रोकथाम के लिए हमें विचार करना चाहिए।

(2 म. प)

हिन्दुस्तान भर में इसकी रोकथाम के लिये विचार चल रहा है। हमारे राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटें, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बारे में हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैंने बिजिनेस एड्वाइजरी कमेटी में यह बात कही है, कांग्रेस के सीनियर मेम्बर्स से जब भी बात करने का मौका मिला तो मैंने यह बात कही है, मन्त्रियों से मैंने यह बात कही है कि यह उत्तेजना का वातावरण उत्पन्न होता है, इसका कारण यह है कि सदन में माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, इसलिये सदन की बैठकें जल्दी जल्दी बुलाई जाय जिससे कि सदन के माननीय सदस्य अपनी बातें अच्छी तरह से रख सकें, सबको बोलने का अवसर मिल जाय। सदन के माननीय सदस्य बोलना ही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं ? आप राज कर रहे हैं You have got your way and we have got our say. हमारे लिये कहने के अलावा और क्या हो सकता है ? आप चाहें जैसे शासन चलायें पर लोकतन्त्र इतनी नाजुक वस्तु है, लाजवन्ती की तरह कि इसके साथ डेलीकेसी से व्यवहार नहीं किया तो यह कुम्हला जाती है। यदि इसके साथ कठोरता का व्यवहार किया जाता है तो इसका दिल कुण्ठित हो जाता है, यह सिकुड़ जाता है। इसके लिये सरकार को हमेशा विचार रखना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्रियों से, और मुख्य मंत्री जी से कि यदि किसी कारणवश मुख्य मंत्री यहां सदन में हर समय उपस्थित नहीं रह सकें तो डिप्टी लीडर को हमेशा सदन में उपस्थित रहना चाहिये। संसद 7 महिने चलती है, विधान सभा 3 महीने चलती है, उसमें इधर से उत्तेजना होना स्वाभाविक है, उधर से भी उत्तेजना होना स्वाभाविक है, उसमें हस्तक्षेप करने वाला जिम्मेदार मंत्री सदन में नहीं रहे तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। उत्तेजना के कारण हैं, उनमें से एक छोटी सी बात है पर उसे कहे बिना मैं नहीं रह सकता, सारा बजट आपने पास कर दिया, उसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं, कोई सामग्री समय पर नहीं मिलती, रात को दो दो बजे लोगों को जगा जगा कर डाक बांटना, आज का बिजिनेस रात को मिलता है, फिर कैसे डेकोरम मेन्टेन हो, इस प्रकार का रवैया है, इसमें कैसे सुधार हो, इसके लिये सरकार विचार नहीं करती, एक सेशन की प्रोसीडिंग्स 6 महिने तक प्रिन्ट करा के नहीं दी जाती, लोकतन्त्र में काम करने वाले लोगों के प्रति इस प्रकार का कन्टेम्प्चुअस एटीट्यूड लेकर यह सरकार चलती है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं।

सदन के माननीय सदस्य एडवाइजरी कमेटीज में जाते हैं या और और विभाग सरकार के बुलाते हैं तो उनको भत्ते के लिये कहा जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है, असेम्बली के पास जाओ, असेम्बली वाले उस भत्ते के लिये कहते हैं कि सरकार के पास जाओ, 700 रुपये के भत्ते के लिये उनको इधर से उधर और उधर से इधर फिराया जाता है, तो इस प्रकार का कन्टेम्प्चुअस एटीट्यूड सदन के माननीय सदस्यों के प्रति

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, इस पर गम्भीरता से सरकार को विचार करना चाहिये।

65 लाख अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के बारे में समाज कल्याण की रिपोर्ट सदन में समय पर नहीं रखी जाती उस पर सरकार बहस नहीं करना चाहती, उस पर बहस करने के लिये 5 दिन के लिये, दो दिन के लिये हाउस को बढ़ा दिया जाय, इसके लिये सरकार तैयार नहीं होती, इस कारण ऐसी घटनाएं होती है। इस सम्बन्ध में सरकार को खुलासा करना चाहिये, सरकार के कई कदम, हर कदम तो मैं नही कहता पर कई कदम उत्तेजना फैलाने के कारण बनते हैं, इस प्रकार के कारण पैदा ही नही हों और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नही हो, इसके लिये गम्भीरता पूर्वक विचार करके सरकार को कदम उठाना चाहियें।

श्री रामकिशन शर्मा (बैर) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ सदन में आज हुआ उससे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य या सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य खुश नहीं हैं। इस बात का हमें अफसोस है कि इस प्रकार की घटना सदन में घटी। पर इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन करना है कि सरकार को अपना मस्तिष्क बर्फ की तरह ठंडा रखना चाहिये, जो राज्य करते हैं उनको बनिस्बत शासित के ज्यादा ठंडा रहना चाहिए। मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्ताव रखा है, किस कारण से रखा है, मैं नहीं कह सकता पर माननीय सदस्यों ने जिनके विरुद्ध यह प्रस्ताव रखा गया है उन्होंने जो स्पष्टीकरण किया है, वह किसी भय से नहीं अपितु लोकतन्त्र की भावना से प्रेरित हो कर किया है। यदि जिद्द के कारण आप कुछ कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा दण्ड नहीं हो जायगा कि जिससे वे माननीय सदस्य घबड़ा जायं, पर मैं मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जिस सन्दर्भ की वजह से झगड़ा हुआ, उनके दिमाग में जो कारण था व्यक्तिगत तौर पर निवेदन कर दिया, उस प्रक्रिया में कहां तक जा सकते थे, कहां तक नहीं जा सकते थे, यह अलग अलग दलों के सोचने की बात थी। रामानन्द जी और रामचन्द्र जी आर्य के बारे में जो प्रस्ताव मुख्य मन्त्री ने रखा है, वह अपनी जगह एक है, पर दूसरा यह भी पक्ष है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर देने के बाद में अध्यक्ष के आदेश के बिना सार्जेन्ट ने कार्यवाही की। तो दोनों पक्ष अपने आपमें एक महत्व रखते हैं। माननीय सदस्यों ने जिनके विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया गया है, उन्होंने जो स्पष्टीकरण किया है, खेद व्यक्त किया है, वह किसी भय के कारण नहीं बल्कि सदन की गरिमा को बढ़ाने और सदन का कार्य अच्छी तरह से चले इसलिये किया है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापिस लें। मेरी अपनी मान्यता है कि मुख्य मन्त्री जी को अपना प्रस्ताव वापिस ले लेना चाहिये।

रामानन्दजी ने अपनी स्थिति को स्वीकार किया है, रामचन्द्रजी ने अपनी स्थिति को स्वीकार किया है, चुन्नीलालजी ने स्वीकार किया है, इसके बावजूद सदन और क्या बड़ा काम करना चाहता है ? इसलिये मैं मुख्य मन्त्रजी से प्रस्ताव वापिस लेने के लिये आग्रह करूंगा।

(श्री रामकिशन )

जहां तक श्री रघुनाथ विश्नोई के चोट लगी है, उन्होंने जो भावना व्यक्त की है, उसका हमारे हृदयों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, उन्होंने गलत ढंग से रखने की कोशिश नहीं की उनके जो चोट लगी है उसके लिये हमें, सदन के सभी सदस्यों को दुःख है, खेद है।

हम तो यही कह सकते हैं कि सद्भावना से कार्य किया जाय और वह केवल वचन से नहीं कार्य से करें। यदि इसे जिद् का कारण बना लेगे तो उत्तेजन के कारण बढ़ते ही जायेंगे। अतः मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से, सब पक्षों से और सरकार से निवेदन करूंगा कि यह जो कुछ हो गया है, यहीं खत्म करें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर....

श्री मनोहरसिंह मेहता : मास्टर आदित्येन्द्रजी को भी बोलने दीजिये, साहब।

श्री अध्यक्ष : मास्टर आदित्येन्द्रजी :

श्री मास्टर आदित्येन्द्र (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरी पार्टी के नेता ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। इसलिये मेरे बोलने की जरूरत भी नहीं थी लेकिन यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिये मैं भी अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि एक दो बातें इस सम्बन्ध में कहूं। आगे जो कुछ भी हुआ वह वास्तव में अच्छा नहीं हुआ। मैं स्वयं देख रहा था, लेकिन मैंने हस्तक्षेप किया भी नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं कैसे हस्तक्षेप करूं, मेरे हस्तक्षेप करने का असर होगा भी कि नहीं। लेकिन जो हुआ वास्तव में इसलिये हुआ कि श्री रामचन्द्रजी आर्य कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, सम्बन्धित मंत्री महोदय से खास तौर से उन प्रश्नों के सम्बन्ध से पूछ रहे थे, जो उनके क्षेत्र से सम्बन्धित थे और बार बार कह रहे थे कि जब हमारी सरकार समाजवादी होने का दावा करती है तो वह जमीनों को नीलामी पर क्यों लगाती है? ऐसा नहीं करना चाहिये। उनका असली मन्तव्य तो यही था। वे इस मामले में थोड़ा गरम भी हो गये थे। इसके अलावा दूसरे महानुभाव भी बार बार इस मामले में सवाल पूछ रहे थे और हमारे उपाध्यक्ष महोदय का ऑर्डर के लिये बार बार आदेश था, फिर उपाध्यक्ष महोदय ने एडर्जन कर दिया सदन को। इसके बाद कुछ आवाजें ऐसी सुनीं कि रामचन्द्रजी आर्य वहां बैठें, वे कितना समझते थे कितना नहीं समझते थे वह अलग प्रश्न है पर वे वहां बैठे। इसके बाद मामला आगे बढ़ा, सार्जन्ट और एक के बाद दूसरे और तीसरे जाकर उनको उठाने लगे। जब जब यह कर दिया तो श्री रधुनाथ बिश्नोई के चोट आई, इस बारे में तो जब मुख्य मन्त्रीजी ने कहा तभी मुझे मालूम हुआ पर वास्तव में यह बुरी बात है। यह बात जरूर है कि चुन्नीलालजी माइक को बार बार पीट रहे थे उस समय माननीय दौलतरामजी ने अपनी पार्टी के सदस्य होने के नाते उनसे कहा कि ऐसा मत करो, इस पर वे रुक भी गये, फिर बाद में माइक कैसे गिर गया, या उनके हाथ से गया, मैं नहीं देख रहा था, पर माइक की आवाज जरूर आई। मैं समझता था कि चोट नहीं लगी पर चोट लगी।

(श्री मास्टर आदित्येन्द्र)

जहां तक श्री रामानंद का सवाल है, मैं मानता हूं कि वह कम्यूनिस्ट पार्टी के हैं लेकिन यह कहना खाली कि कम्यूनिस्ट प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते हैं और इसलिए रामानंदजी को कोई सजा दी जाय, यह ठीक नहीं है लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा, मैं समझता हूं रामानन्दजी बीच बचाव कर रहे थे, वह नहीं चाहते थे कि झगड़ा बढ़े और यह बात मुझे जरूर बुरी लगी कि सार्जेन्ट ने जो श्री रामचन्द्र आर्य को जबर्दस्ती हटाया। उसने खुद स्वीकार किया है कि धक्का दिया है। वह चीज भी मुझे ठीक मालूम नहीं लगी लेकिन उस समय वह बीच बचाव कर रहे थे। आज जो कुछ हुआ है उसका इरादा नहीं था सिवाय शोर करने का। जब अध्यक्ष बारबार कहते हैं आर्डर, आर्डर तो मुझे वह चीज भी बुरी लगती है चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो मैं समझता हूं कि एक दो बार कहने के बाद जरूर बैठना चाहिए यदि वे प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है शायद अपने आप ही इस बात के लिए हम सबों को शिक्षा मिलेगी और आगे से इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मुख्यमंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है वह इसको वापस ले लें, इसका अच्छा असर होगा और इससे अच्छा वातावरण बनेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो कुछ घटना इस सदन में हुई, जिन परिस्थितियों में हुई उस संबंध में विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव इधर से भी आए हैं और उधर से भी आए हैं। घटना के संबंध में मैं अपने विचार अधिक व्यक्त नहीं करना चाहता। इस सदन ने स्वयं ने इस प्रश्न पर विचार विमर्श करके इस पर खेद प्रकट किया है, यह संतोष का विषय है कि कुछ ऐसी दुखद घटना हो जाने पर भी हमने अपनी परम्पराओं को ध्यान में रखा, उनके निर्माण को ध्यान में रखा और हम उससे पीछे नहीं हटे, कुछ कदम गलती करने के बावजूद भी आगे बढ़े हैं। यह सदन का सौभाग्य है कि हमारी परम्परायें, हमारी गरिमा, हमारी प्रतिष्ठा माननीय सदस्यों ने ऐसी विषम स्थिति में भी कायम रखने का प्रयास किया। यह अभूतपूर्व घटना है जो संभवतः राष्ट्र की किसी विधान सभा में संभावित नहीं हो सकती। मुझे स्वयं को खेद है कि माननीय श्री बिश्नोईजी को चोटें आई। उस संबंध में माननीय सदस्यों के विचारों से मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं। श्री बिश्नोई का कन्ट्रीब्यूशन इस सदन में सहिष्णुता और सज्जनता के आधार पर बहुत उच्च रहा है और जो अभिव्यक्ति उन्होंने की, उससे सहिष्णुता का परिचय मिला है, बिना लाग लपेट के, अपनी बात को बिना उत्तेजना के, हालांकि उत्तेजना स्वाभाविक थी, सदन के समक्ष रखी। मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई विश्वास नहीं किया जा रहा हो लेकिन उनको मेडिकल आफिसर ने एक्जामिन किया है। मेरे पास उनका जो सर्टीफिकेट आया है, वह इस प्रकार है:—

(i Lecerated wound ¼"x1/8" x1/16" on right external ear

(ii Abrasion ¼"x1/8" on Right external ear.

The injuries are fresh and caused by blunt object.

(श्री अध्यक्ष)

खैर, माननीय सदस्य को जर्बात पहुंची और इसने मुख्यतः सदन के कान्शन्स को जागृत किया है, परम्पराओं को निभाने के लिए।

मैं इस आसन के संबंध में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष ने केवल 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया था। अगर स्थगन अनिश्चित काल के लिए या कल तक के लिए होता तो परिस्थितियां कुछ विभिन्न होतीं। मैं इसको विवादाग्रस्त नहीं बनाना चाहता लेकिन इस आसन को अध्यक्ष का आसन नहीं समझना चाहिए, सदन का आसन समझना चाहिए। आसन की गरिमा और प्रतिष्ठा में सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा है, इस आसन पर बैठने वाले की नहीं है। आसन पर बैठने वाला परम्पराओं और संसदीय परम्पराओं के अंतर्गत लास्ट सर्वेन्टऑफ दी हाऊस कहलाता है। लास्ट सर्वेन्ट ऑफ दी हाऊस इस पर बैठते हैं और वह सेवा भावनाओं का ऊंचे से ऊंचा प्रतीक है, उस तरीके से इस प्रश्न को देखना चाहिए। 15 मिनट के उस अवकाश में कोई माननीय सदस्य यहां आकर आसन को ग्रहण कर लें, तो यह तथ्यों से विपरीत जाता है, माननीय सदस्य स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्योंकि परम्परायें इस आसन की प्रतिष्ठा और गरिमा को कायम रखने की रही हैं तो उस संदर्भ में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं कि जहां तक इस आसन का संबंध है, आसन बराबर निष्पक्षता से सहयोग लेता रहा है और देता रहा है। माननीय श्री सतीशचन्द्रजी ने एक माननीय सदस्य के संबंध में कहा, जिससे मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूँ कि आसन ने धैर्य नहीं छोड़ा है, बराबर उद्विग्नता पैदा करने के बावजूद, आसन ने धैर्य नहीं छोड़ा, मौका दिया जैसे माननीय आदित्येन्द्रजी ने अपने भावों को व्यक्त किया, उन्होंने भी कुछ खेद व्यक्त किया। तो मैं अधिक विस्तार से नहीं कहना चाहता, क्योंकि सदन की गरिमा, इसके नियमों का पालन और अनुपालन माननीय सदस्यों पर है। मुझे जरूर खेद हुआ इसलिए खेद हुआ कि जो प्रश्न माननीय सदस्य को उद्विग्नता दिए हुए था, उसका हल निकालने का आसन प्रयत्न कर रहा था, उस समय भी ऐसा मालूम हुआ कि आसन ने उस प्रश्न पर विक्षोभ प्रकट किया है। इसलिए आसन पर बैठने वाले व्यक्ति लास्ट सर्वेन्ट ऑफ दी हाऊस की तरह मुझको खेद हुआ, जिसको मैंने माननीय सदस्यों के सामने अभिव्यक्त किया लेकिन खेद के बावजूद मुझे आशा बंधती है कि माननीय सदस्यों ने आसन की स्थिति को जो विषमता लिए हुई थी, उसको समझा है और समझने के बाद इस पर पुनर्विचार करने का दृढ़ निश्चय किया है। जो विशेषाधिकार प्रस्ताव मेरे पास आए हैं, मैंने उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि माननीय सदस्यों ने अभिमत प्रकट किया है, सदन के माननीय नेता को संबोधित करते हुए, क्योंकि सदन की कार्यवाही में जितनी उद्विग्नता थी उतनी ही शांति आई है। ऐसी हालत में मेरा भी विचार है कि चूंकि सत्र क्लोज हो रहा है, हम चाहते हैं, सहृदयता से, सहानुभूति से और पारस्परिक स्नेह से समाप्त हो।

दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्यों को

(श्री अध्यक्ष)

चिता दिए हुए है, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट के संबंध में, मैं स्वयं इसका हल निकालने की कोशिश में था और मैंने माननीय नेता महोदय से भी बात की है। मेरा विश्वास है कि यह सदन पुन: अगस्त के महीने में बुलाया जा सकेगा, उस समय मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यह रिपोर्ट और दूसरी भी जो रिपोर्ट्स अवशेष हैं, पूर्ण अध्ययन के साथ उन पर विचार किया जा सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी धारणा प्रकट करते हुए माननीय नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि वे अपनी भावनायें रखते हों, तो व्यक्त करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : अध्यक्षजी मुझे इस बात की खुशी हुई घटना बहुत दुखद हुई है लेकिन इस सदन में जो भाव विरोधी दल के नेताओं ने प्रगट किये इस घटना के प्रति उससे खुशी भी हुई है कि हमारा सदन ऊंचा उठकर के इस प्रकार की घटनाओं की भर्त्सना कर सकता है यह हमारे लिये सन्तोष की बात है।

सदन में जो मुझे इस तरह का प्रस्ताव रखना पड़ा इस बारे में सदन यह जानता है कि इस प्रकार के प्रस्ताव को हम कभी भी बहुमत के आधार पर लाये हैं यह कल्पना करके मैं कभी भी नहीं चलता और न हमने कभी यह प्रयास ही किया है कि हम इस आधार को लेकर चलें। अच्छा होता अगर श्री रामानन्द जी और श्री आर्य भी इस घटना के बारे में कम से कम खेद प्रगट करते लेकिन मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता। सारा सदन अपने विचार जाहिर कर चुका है और इस घटना की भर्त्सना की है। इस भूमिका में मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा दी जाती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 2.22 पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई)

## परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या 1131 से सम्बन्धित)

प्रतिलिपि पत्र संख्या पं० 10 (64) कृषि-5/67 दिनांक 18 नवम्बर, 1967 संचालक कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर की ओर से कृषि प्रकोष्ठ-5 विभाग, का।"

विषय :—कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किये जाने वाले चालान का स्थान।

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विभिन्न कृषि उपज मण्डियों में अगला निर्णय होने तक कोई नये चालान सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जावें, किन्तु जो चालान प्रस्तुत किये जा चुके हैं उन पर विधिवत् कार्यवाही होती रहे।

अतः आपसे निवेदन है कि मण्डी समितियों को इस निर्णय की सूचना दे दी जाय।

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या 1132 से सम्बन्धित)

Government of Rajasthan
Department of Education

No. EDB/Aid/A/16007/68/65-66 Dated 26-11-65

Form : The Addl. Director,
Primary and Secondary Education,
Rajasthan, Bikaner.

To :— The Management,

________________

________________

Sub :— Appoiment of Trained and Qualified Staff in aided Institutions.

Whereas an adequate number of qualified and trained teachers is now available in all except Science subject, it is hereby ordered with immediate effect that all aided institutions should appoint only qualifed and trained teachers in future. This will, however, not apply to science teachers. Appointment of underqualified and for untrained teachers in subjects other than science will be considesed for Grant-in-aid only if a non availability certificate to this effect is obtained from the Employment Exchange.

Sd.
(Anil Bordia)
Additional Director,
Primary and Secondary Education.

## परिशिष्ट ३

( तारांकित प्रश्न संख्या 1045 से सम्बन्धित )

प्रश्न सं. 1 से सम्बन्धित सूचित फर्म मगनी राम भूतसिंह ने जो 13 क्लेम प्रस्तुत किये हैं :—

| | |
|---|---|
| 1. साहबजादी फरूक प्रलीयान | कर्जा भिन्न भिन्न तारीखों का है जैसे— 15-3-1911, 14-10-1917 ग्रादि के हैं व कर्जा निजी कार्य के लिए लिया गया। |
| 2. साहबजाद मोहम्मद खान साहब बहादुर | 1905 में |
| 3. साहबजाद मोहम्मद सादिक खान | 7 जनवरी, 1900 निजी खर्च हेतु चार ग्राना प्रति माह |
| 4. साहबजादा मोहम्मद सलिमान | 20 ग्रक्टूबर, 1906 में निजी खर्च हेतु |
| 5. साहबजादा ग्रब्दुल्लाह खान | दिनांक ज्ञात नहीं है। |
| 6. साहबजादा ग्रब्दुलवहीद खान साहब भूतपूर्व जागीरदार बावड़ी | |
| 7. साहबजादा ग्रब्दुलवहीद खान साहब | |
| 8. साहबजादा ग्रहसानुल्लाह खान | तारीख दर्ज नहीं। |
| 9. हर लेट हाइनेस मालिका मोहम्मद जमानी | 6 ग्रक्टूबर, 1901 रु० 4 ग्राना प्रतिशत के ग्राधार। |
| 10. साहबजादा मुग्रातग्रलीखान | तारीख ज्ञात नहीं है। |
| 11. साहबजादी ग्रहमरुन्निसा बेगम साहबा | ,, ,, |
| 12. साहबजादा ग्रब्दुल हाफिज खान | तारीख ज्ञात नहीं है। |
| 13. स्पेशल कोर्ट | तारीख ज्ञात नहीं है। |

प्रश्न के भाग संख्या (4) से सम्बन्धित सूचा

राज्य सरकार द्वारा चुकाये गये

| | |
|---|---|
| 1. साहबजादा फारूखअली खां से सम्बन्धित | रु.57095.84 |
| 2. ,, मोहम्मदखान शमशेरजंग | रु.46,823.34 |
| 3. ,, अब्दुलवाहि खान | रु.15,750.00 |

आपसी तसफिया दोनों पार्टी ने किया।

| | |
|---|---|
| 1. श्रीमती अरुन्निसा बेगम | रु. 6,491.22 |
| 2. साहबजादा सादिक अली खां | रु. 6163.13 |

(ग) जागीर मुआवजे में से काटे गये

| | |
|---|---|
| 1. श्री अब्दुल वहीब खां भूतपूर्व जागीरदार बावड़ी | रु. 23,790.19 |

(घ) जिलाधीश द्वारा चुकाये गये :

| | |
|---|---|
| स्पेशल कोर्ट के विरुद्ध क्लेम | रु. 4777.19 |

# परिशिष्ट ४

( समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर )

## स्थगित प्रश्न

(30-3-68)

### राशीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०

982. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राशीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड को सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव बेंक लिमिटेड, बीकानेर से आज तक कब कब कितना—कितना कर्जा मिला और वापिस किन तारीखों को चुकाया गया ?

(2) क्या यह सच है कि श्री रणजीत सिंह, भूतपूर्व सहकारी प्रसार अधिकारी ने इस समिति के सदस्यों के झूठे अंगूठे लगवा कर ऋण की राशि का गबन किया ? यदि हां, तो कितनी राशि का और राज्य सरकार ने इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि श्री रणजीत सिंह के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है ? यदि हां तो इसकी क्या वजह है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

## अल्पकाल सूचना प्रश्न

### अधिकारियों की पदोन्नति

144. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कुछ व्यक्तियों को समय से पहले पदोन्नत करने के अभिप्राय से मेरिट फारमूला ('Merit Formula) अपनाया था ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ अधिकारियों की कम वरिष्ठता होने पर भी उन्हें पदोन्नत करने के लिए उनके क्रमांक बढ़ाए गए और उनको राज्य कोष से नकद इनाम दिलवाया गया ? कृपया उनके नाम मय पद व इनाम कारण सहित सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि मेरिट फारमूला के आधार पर 'ए' व 'बी' दो सूचियां तैयार की गई थी ? अगर हां तो अलग अलग नाम मय पद की सूची सदन की पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त 'ए' सूची में आने वालों को पदोन्नत कर दिया है व 'बी' सूची वालों को नहीं ? अगर हां, तो कब व क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1966 व फरवरी, 1967 में इन पदोन्नतियों के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं प्रस्तुत हुई हैं ? अगर हां, तो कब कब व उनमें कौन कौन सी तारीखें निश्चित हुई व सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(6) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में इमरजेन्सी रिक्रूटमेन्ट राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (इमरजेन्सी रिक्रूटमेंट) रूल्स 1956 के अधीन जून, 1967 में किया गया था ?

(7) क्या यह सही है कि सन 1957 में इमरजेन्सी रिक्रूटमेंट द्वारा भर्ती किये गये अधिकारियों की वरिष्ठता, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (इमरजेन्सी रिक्रूटमेंट) रूल्स 1956 के नियम 23 के अधीन निर्दिष्ट की गई थी ? अगर हां, तो कृपया सूची सदन की पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(8) क्या यह सही है कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (इमरजेन्सी रिक्रूटमेंट) रूल्स 1956 के नियम 23 के उपनियम (सी) को राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है ? अगर हां, तो कब व क्यों ?

(9) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के समक्ष कुछ अधिकारियों ने वरिष्ठता व पदोन्नति के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की थी जो 30 जुलाई सन 1963 को अन्तिम रूप से खारिज कर चुकी है ? अगर हां तो नामों की सूची मय कारणों के सदन की पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(10) क्या यह सही है कि नियम 23 (सी) के निरस्त करने के पश्चात कुछ अधिकारी वरिष्ठता के प्रश्न को उठाकर रिट याचिका लेकर उच्च न्यायालय में गए हैं ? अगर हां, तो उनके नाम मय तारीख दायरा रिट की सूची सदन की पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(11) क्या यह सही है कि नियम 23 (सी) के निरस्तीकरण के बाद सन 1956 की सीधी भर्ती द्वारा लिये गए कुछ अधिकारियों को सन 57 की इमरजेन्सी द्वारा भर्ती किए गए अधिकारियों में वरिष्ठ बना दिये जाने का प्रयास हो रहा है ? अगर हां, तो क्यों ? कृपया नामों की सूची देने का कष्ट करें ।

(12) क्या यह सही है नियम 23 (सी) को निरस्त कर देने से एक अधिकारी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसे नगद इनाम देकर मेरिट प्रमोशन की 13 फहरिस्त में लाया गया है व वह जूनियर होते हुए भी उप सचिव का पद ग्रहण किये हुए है जिसे केवल आई. ए. एस. एम. या उच्च वरिष्ठता प्राप्त अधिकारी ही ग्रहण कर सकता है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

## परिशिष्ट ५

( तारांकित प्रश्न संख्या 1138 से सम्बन्धित )

भाग एक से सम्बन्धित सूची

कोटा व झालावाड़ जिलों में हाई स्कूल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूल

| क्र.सं. | नाम संस्था | जनता द्वारा प्रदत्त राशि | सरकार द्वारा प्रदत्त राशि | निकटतम उच्च तथा उ.मा.वि. की दूरी। | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनेल | 15000 | 6000 | 11 मील | भवन अपूर्ण है। |
| 2. | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मनोहर थाना | 10000 | 12000 | 23 मील | निर्माण.कार्य.निर्माण-विभाग- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है। संस्था के चलाने के लिए अस्थाई व्यवस्था है। |
| 3, | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगधार | 24369 | 10000 | 16 मील | निर्माण कार्य पूरा हो चुका है |
| 4. | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवानी [illegible] | 15000 | 10000 | 11 मील | केवल दो बरामदों का निर्माण बाकी है |
| | कोटा | | | | |
| 1. | उच्चतर मा०वि०सीसवाली | 35000 | 10000 | | |
| 2. | उच्चतर मा०वि० सांगोद | 8513.32 | 8000 | 11 मील कनवास सैकन्डरी स्कूल | भवन अपूर्ण है। |
| 3. | उच्चतर मा०वि० किशनगंज | 25000 | 10000 चैरिटी फंड | 10 मील बोरा हा० सै० स्कूल | -यही- |
| 4. | उच्चतर मा०वि० रामगंजमंडी | 13681 | 25000 ,, | 9 मील उ०मा०वि०चेचट | -यही- |
| 5. | उच्चतर मा०वि० चेचट | 38000-24000 पं० समिति | | 9 मील उ०मा०वि० रामगंज मंडी | -यही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | उच्चतर मा०वि० भण्डाना | 15000 | | | भवन पूर्ण है, राज्य सरकार द्वारा कोई राशि नहीं दी गई। |
| 7. | उच्चतर मा०वि० इन्द्रगढ़ | 35000 | 20000 | 5 मील सै० स्कूल लाखेरी | भवन अपूर्ण है। |
| 8. | उच्चतर मा०वि० अटरू | 22760 | 12000 | 20 मील उ०मा०वि छीपाबड़ोद | भवन अपूर्ण है। |
| 9. | उच्चतर मा०वि० आवा | 00009 | 15000 | | इस विद्यालय भवन में विज्ञान भवन का निर्माण जनता तथा राज्य सरकार द्वारा बनाने की योजना चल रही है। |

परिशिष्ट ६

( तारांकित प्रश्न संख्या 1141 से सम्बन्धित )

STATEMENT SHOWING THE INFORMATION IN RESPECT OF POWER GENERATED IN UNITS OF THE PLANT NO. 1st WITH EFFECT FROM 17th October, 1967.

| S.No. | Month ending | Units generated | Units consumed | Plant run total hours during the month |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15th October, 67 | 64300 | 47750 | 162.20 hrs |
| 2. | November, 67 | 76300 | 50997 | 205.35 hrs |
| 3. | December, 67 | 16900 | 115300 | 47.00 hrs |
| 4. | January, 68 | 54600 | 32972 | 179.00 hrs |
| | Total G. | 212100 | 143249 | 593.55 hrs |

............

## परिशिष्ट ७

**(तारांकित प्रश्न संख्या 1145 से संबंधित)**

जिला चूरू तहसील सुजानगढ़ क्षेत्र के निम्नलिखित पंचायतों से विद्युत् मांग पत्र प्राप्त हुए हैं।

| नाम जिससे मांग पत्र प्राप्त हुए हैं | विषय |
|---|---|
| 1—सरपंच ग्राम पंचायत भोमसर | ग्राम भोमसर के विद्युतिकरण हेतु। |
| 2—सरपंच ग्राम पंचायत, जागलिया | ग्राम जागलिया के विद्युतिकरण हेतु। |
| 3—सरपंच ग्राम पंचायत खारिया कमीखमपुरा | ग्राम खारिया कमीखमपुरा के विद्युतिकरण हेतु। |

# परिशिष्ट ८

(तारांकित प्रश्न संख्या 1153 से संबंधित

खण्डवार 31–12–67 तक की बकाया का विवरण

| खण्ड कार्यालय का नाम | | रकम जो बकाया है |
|---|---|---|
| 1. | उदयपुर | 9,93,927 |
| 2. | डूंगरपुर | 88,534 |
| 3. | जोधपुर | 6,64,727 |
| | बीकानेर | 5,29,178 |
| 5. | मकराना | 4,86,919 |
| 6. | जयपुर | 12,02,900 |
| 7. | अलवर | 1,70,827 |
| | कोटा | 28,82,557 |
| 9. | भीलवाड़ा | 13,54,590 |
| 10. | सवाई माधोपुर | 25,49,437 |
| 11. | अजमेर | 2,97,788 |
| | कुल | 1,12,31,384 |

## बकाया की वसूल के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का विवरण

1. 56,75011 रु० की रकम को वसूल करने के लिए तहसीलदार (खनि) एवं विभिन्न जिलाधीशों के पास भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही हो रही है।

2. 19,54,605 रु० की रकम के मामले विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। उनकी वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगी हुई है अतः मामलों में निर्णय होने पर वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

3. 94,462 रु० की बकाया ऐसी है जिसकी वसूली किश्तों में करने के आदेश दिये हुए है। उसके अनुसार वसूली की जा रही हैं ।

4. 80,262 रु० की रकम ऐसे व्यक्तियों में बकाया है जिनसे बहुत प्रयत्न करने पर भी वसूली नहीं हो सकी और उनकी कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है और वसूली का कोई साधन नहीं है। इसलिये इस रकम को अपलेखन करने की कार्यवाही की जा रही है ।

5. 1,95,352 रु० की रकम कुछ तो दूसरे विभागों के विरुद्ध बाकी है और कुछ पार्टियों को वापस लौटाने वाली रकमों में से समायोजन करना है। अतः समायोजन की जा रही है और जल्दी ही जमा हो जायगी ।

6. 7,74,077 रु० के मामले ऐसे हैं जिनमें कुछ विवाद होने से राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं ।

7. 24,57,615 रु० के मामले ऐसे हैं जिनमें वसूली करने के लिए विभागीय तौर पर नोटिस भेजे जा चुके हैं। इसलिए ये जल्दी ही जमा हो जावेंगे ।

## परिशिष्ट ९

(अतारांकित प्रश्न संख्या 659 से संबंधित)

जिला अलवर

1. बहरोड़
2. नीमराना
3. बन्सूर
4. मंडावर
5. किशनगढ़वास
6. कोटकासिम
7. तिजारा
8. रामगढ़
9. उमेरन
10. लक्ष्मणगढ़
11. बसुआ
12. राजगढ़
13. रेणी
14. थाना गाजी

जिला-सवाई माधोपुर

15. सवाई माधोर
16. खन्डार
17. बौंली
18. बामनवास
19. महुआ
20. गंगापुर
21. टोडाभीम
22. सपोटरा
23. करौली
24. हिन्डौन

जिला-झालावाड

25. झालरापाटन
26. खानपुर
27. डग
28. पिडावा
29. बकानी
30. मनोहरथाना

जिला चित्तौडगढ़

31. छोटी सादड़ी
32. बिम्बाहेडा
33. कपासन
34. डुगला

35. भैंसरोरगढ
36. चित्तौडगढ़
37. भदेसर
38. राश्मी
39. भोपालसाग
40. बैगू
41. प्रतापगढ़
42. प्रचनेरा

जिला-भरतपुर

43. सेंगर
44. कुम्हेर
45. डीग
46. कांमा
47. धौलपुर
48. रूपवास
49. वैयर
50. बयाना

# परिशिष्ट १०

(अतारांकित प्रश्न संख्या 663 से संबंधित )

सूची 'क'

विवरण सहित पालिका तारांकित प्रश्न संख्या 268 की

| क्र० सं० | नाम व्यक्ति | किसान कहां का रहने वाला है ? | ऋण के लिए प्रार्थना पत्र कब प्राप्त हुआ | कितनी रकम का प्राप्त हुआ ? | आवेदन पत्र किस स्टेज पर है ? | रकम किस कारण चाही गई थी ? | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | श्री भूराराम पुत्र नेताराम जाट | जेतासर | 23-3-63 | 1,000) | रहन पत्र से उठाये एतराजों की पूर्ति सदस्य द्वारा नहीं करवाई गई है । | भूमि सुधार हेतु | |
| 2. | श्री मोटाराम पुत्र दानाराम | ,, | ,, | 3,000) | ,, ,, | ,, | |
| 3. | श्री पेमाराम पुत्र श्री हेमाराम | ,, | ,, | 3,000) | नई ऋण प्रणाली के अनुसार पत्रादि तैयार नहीं हैं । | ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | श्री पेमाराम पुत्र श्री मोतोराम | जेतासर | 23-3-63 | 1,250) | नई ऋण प्रणाली के अनुसार पत्रादि तैयार नहीं है। | ,, | |
| 5. | श्री बन्नूसिह पुत्र श्री अमरसिह | ,, | ,, | 2,600) | ,, ,, | ,, | |
| 6. | श्री गणपतराम पुत्र श्री पूरणराम | ,, | ,, | 3,000) | ,, ,, | ,, | |
| 7. | श्री आसाराम पुत्र श्री भैराराम पुत्र | ,, | ,, | 2,250) | ,, ,, | ,, | |
| 8. | श्री लियाराम पुत्र श्री भैराराम | ,, | ,, | 1,800) | ,, ,, | ,, | |
| 9. | श्री खिवाराम | ,, | ,, | 1,250) | ,, ,, | ,, | |
| 10. | श्री तेजसिह पुत्र श्री नत्थीसिह | ,, | ,, | 3,000) | ,, ,, | ,, | |
| 11. | श्री मूलाराम पुत्र श्री खेताराम | ,, | ,, | 3,000) | ,, ,, | ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | श्री उमाराम पुत्र श्री राघुराम | जेतासर | 23–3–63 | 3,000) | नई ऋण प्रणाली के अनुसार पत्रादि तैयार नहीं हैं । | भूमि सुधार हेतु | |
| 13. | श्री भैरूराम पुत्र श्री लिखमाराम | ,, | ,, | 3,000) | ,, ,, | | |
| 14. | श्री मालाराम पुत्र श्री श्योजीराम | ,, | ,, | 3,000) | ,, ,, | | |

# परिशिष्ट ११

(अतारांकित प्रश्न संख्या 681 से संबंधित)

प्रेम नगर औद्योगिक बस्ती में प्रस्तावित उद्योगों की सूची

| क्र० सं० | उद्योग का नाम | उद्योग के प्रकार |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1— | पीपलिया मेटल वर्क्स | आर्टिफिसियल जरी और मेटेलिक माइलर |
| 2— | पदमा बाइण्डिंग टेप फेक्टरी | कोटन बाइण्डिंग टेप्स |
| 3— | पंकज मेटल कारपोरेशन | वूडन केबल ड्रम्स और पैकिंग मेटेरियल |
| 4— | अशोक इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन | अलमूनियम बी० आई० आर वायर अण्ड स्टेण्डर्ड वायर। |
| 5— | प्रोग्रेशिव इण्डस्ट्रीज | बेल्डिंग आइटम्स, आइरन डोर्स शटर्स इत्यादि |
| 6— | जय जवान यूटेन्शल | अलमूनियम यूटेन्शल और एन ओडीयम आर्टिक्लस |
| 7— | मोर्डन ग्रेय और एक्ट्रा पेपर बोर्ड फेक्टरी | ग्रेय एण्ड एक्ट्रा पेपर बोर्ड |
| 8— | अलफूरनेज इण्डस्ट्रीज | अलमूनियम हिंग्स, टायर बोल्ट्स, फर्नीचर इत्यादि |
| 9— | श्री गनेश आइरन अण्ड स्टील वर्क्स | नेल्स, बोल्ट्स, नट, रीवटस अण्ड टाइ शेड्स |
| 10— | शाह प्लास्टिक्स | स्टेण्डर्ड प्लास्टिक आइटम्स |
| 11— | प्रेम नगर सीमेन्ट वर्क्स | एवस्टोज सीमेन्ट पाइप्स, जालिज, |
| 12— | पीपलिया इन्जीनियरिंग वर्क्स | मशीनरी पार्ट्स, ट्रेक्शन अण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स |
| 13— | कृषि उद्योग | एयर टाइट बोक्सेज। |

# शुद्धि पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रेल, 1968)

| स्कंभ सं० | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | शीर्षक | अङ्ग | अंक |
| 1 | 7 | नियुक्त | नियुक्ति |
| 1 | 14 | पेटल | पटेल |
| 1 | 15 | कृपा | कृपया |
| 1 | अंतिम से 4 | मलचन्द्र | मूलचन्द |
| 3 | 9 | चम्बम | चम्बल |
| 8 | 10 | अध्यापकों | अध्यापकों को |
| 16 | 9 | किसी | किसी को |
| 18 | 17 | अधिक | अधिक से अधिक |
| 20 | 10 | जीज | बीज |
| 40 | 1 | क्य | क्या |
| 44 | 5 | जय | जाय |
| 47 | शीर्षक | ब्रश्नोत्तर | प्रश्नोत्तर |
| 48 | 2 | किये | किये बिना |
| 48 | अंतिम | स्थगित प्रश्न | |
| 51 | अंतिम से 4 | गोयले | गोयल |

| स्कंभ सं० | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 54 | 5 | एक एक साथ | एक साथ |
| 54 | अंतिम से 10 | स्वागत | स्थगित |
| 55 | 4 | खड़ा | बड़ा |
| 59 | 5 | आप | आप इस |
| 61 | अंतिम से 5 | माननीय | माननीय सदस्य |
| 66 | 7 | समक्ष | सक्षम |
| 66 | 14 | अनिवार्य | अनिवार्यता |
| 68 | अंतिम | इस तरह को | इस तरह की × × × × × × × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्य विवरण से निकाले गये। |
| 69 | 1 और 2 | (अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्य विवरण से निकाला गया) | |
| 72 | 19 | शिक्षा मंत्री) | (शिक्षा मंत्री) |
| 73 | 12 | बारे | बारे में |
| 74 | 6 | हित से | हित के |
| 84 | 5 | डगा | डागा |
| 86 | अंतिम से 2 | यही | सही |
| 87 | 19 | द्वारा | द्वार |
| 97 | 5 | इस सवाल | सवाल इस |
| 97 | अंतिम से 5 | नात | बात |

| स्कंभ सं० | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 100 | 4 | फार्म | फर्म |
| 107 | अंतिम से 10 | नदला | बदला |
| 110 | ,, 4 | श्री कृष्ण शर्मा | श्री जयकृष्णशर्मा |
| 114 | ,, 9 | मुक्य | मुख्य |
| 134 | 1 | 530 | 533 |
| 134 से 160 | शोषंक | अनु. सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर | अतारांकित प्रश्नोत्तर |
| 143 | 3 | अधिक | आर्थिक |
| 155 | 1 | शतीसचन्द्र | सतीशचन्द्र |
| 155 | 11 | नरेन्द्र जो | नरेन्द्र बी. |
| 155 | अंतिम से 2 | 28-8-66 | 28-8-67 |
| 156 | 3 | 4-3-64 | 4-8-67 |
| 157 | 6 | श्री दूर्गालाल | श्री दुर्गालाल |
| 157 | 10 | सहकारी | सरकारी |
| 159 | 3 | शास्त्रा | शास्त्री |
| 161 | 16 | मध्यमिक | माध्यमिक |
| 162 | 11 | माघ्यलिक | माध्यमिक |
| 165 | 7 | क्षत्र | क्षेत्र |
| 168 | 20 | प्रार्थपा | प्रार्थना |
| 171 | 18 | नियुक्तिकरण | विद्युतिकरण |
| 171 | अंतिम से 8 | विदयुनिकल | विद्युतिकरण |
| 173 | 13 | की पर | की मेज पर |

| स्कंम सं० | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 176 | अंतिम से 5 | मनोजन | मनोरंजन |
| 177 | 10 | स्वीकृत) | (स्वीकृत) |
| 177 | 11 | अ ज्ञा | आज्ञा |
| 178 | 9 | ले ल | ले लें |
| 179 | 13 | अध्क्षीय | अध्यक्षीय |
| 180 | 10 | इनहें | इन्हें |
| 187 | 1 | (महाराव | (महारावल |
| 189 | अंतिम से 2 | प्रप्त | प्राप्त |
| 193 | 8 | (आदेशउत्तार | (आदेशानुसार |
| 196 | 2 | स्वीकृति | स्वीकृत |
| 196 | 9 | जहां जहां जहां | जहां जहां |
| 198 | 1 | श्री चुन्नीलाल इंवालिय | श्री चुन्नीलाल इंदलिया |
| 199 | 7 | भदेरणा | मदेरणा |
| 200 | 17 | श्री रमचन्द्र अर्य | श्री रामचन्द्र आर्य |
| 200 | अंतिम से 4 और 9 | आवठन | आवंटन |
| 201 | 14 | किसानों | किसान |
| 201 | 19 | आवियना | आबियाना |
| 201 | अंतिम से 3 | पहुं | पहुंचने |
| 202 | ,, 10 | साथ | हाथ |
| 203 से 211 | शीर्षक | संदंभ | संबंध |
| 208 | अंतिम से 11 | खातेदारी | खातेदारी |

| स्कंभ सं० | पंक्ति सं० | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 210 | अंतिम से 4 | समाजे | सामने |
| 217 | 1 और 8 | लड़डा | लड्ढा |
| 219 | 11 | जर्मन | जमीन |
| 220 | अंतिम से 6 | हुसरजजी | हंसराजजी |
| 221 | 3 | ह | है |
| 221 | 14 | एक्सप्लोयट | एक्सप्लोयट |
| 223 | 7 | (श्री मुकटबिहारीलाल) | (श्री मुकुटबिहारीलाल) |
| 226 | अंतिम से 6 | विसनों | किसानों |
| 227 | 7 | खती करते जा | खेती करते आ |
| 228 | 5 | एन्ववारी | एन्क्वायरी |
| 235 | 19 | उप अध्यक्ष | उपाध्यक्ष |
| 235 | अंतिम से 4 | सार्जेन्ट रूट आर्म्स | सार्जेंट एट आर्म्स |
| 238 | शीर्षक | निष्कासिक | निष्कासित |
| 239 | 1 | (श्री रामनन्द अग्रवाल) | (श्री रामानन्द अग्रवाल) |
| 246 | 17 | ऐसा हुआ | ऐसा मालूम हुआ |
| 248 | 18 | आर्य भी | आर्य ने भी |
| 248 | 21 | आसान | आसन |
| 250 | अंतिम से 14 | —— | कि लोगों को रोका |
| 251 | 4-5 | पलियामेंट्री | पार्लियामेंटी |
| 254 | शीर्षक | निाका | निष्का. |
| 255 | अंतिम से 10 | श्रा | श्री |

| स्कंभ सं० | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 256 | अंतिम से 12 | आर | अगर |
| 257 | शीर्षक | सदन | सदस्यों |
| 259 | 14 | श्री रामकिश | श्री रामकिशन |
| 262 | शीर्षक | निष्कासिक | निष्कासित |
| 266 | 4 | विधान सभा | विधान सभा की |
| 273 | अंतिम से 10 | श्री मास्टर आदियेन्द्र | मास्टर श्री आदित्येन्द्र |
| 273 | „ 6 | महत्वपूर्व | महत्वपूर्ण |
| 280 | अंतिम | स्यागित | स्थगित |
| 281 | „ 2 | कार्ययाही | कार्यवाही |
| 296 | 4 | पालिका | तालिका |

---